खण्ड–500, अंक–6
मंगलवार, 20 आषाढ़, शक संवत् 1939
(11 जुलाई, 2017 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2017)

(खण्ड 500 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2016

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-7
राष्ट्रीय गीत	9
उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्रदर्शन ...	9-14
प्रश्नोत्तर	14-41
आतंकियों द्वारा अमरनाथ यात्रियों पर किये गये कायराना हमले में मारे गये श्रद्धालुओं के प्रति शोकोद्‌गार	41-43
वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण ...	43-76
वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक साहित्य वितरण व्यवस्था की सूचना ...	76
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	76-77
सहारनपुर महानगर में मोहल्ला मातागढ़ स्थित पुलिया के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में गंगा नदी के कतिपय घाट के तट के पक्का निर्माण एवं समस्त सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत मांट ब्रान्च गंग नहर पर क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के कतिपय मार्गों के लेपन एवं मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	78
जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज तहसील मुख्यालय के बगल से गुजर रहे हाई-वे पर ट्रामा सेन्टर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78-79
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में विद्युत आपूर्ति के लिये 132 के0वी0ए0 विद्युत केन्द्र की स्थापना एवं अन्य कतिपय कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के अशरफपुर वरवां से कटेहरी मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	80
नगर फिरोजाबाद के आसफाबाद स्थित रेलवे क्रासिंग संख्या-62 पर उपरिगामी पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80-81
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीलासपुर के अन्तर्गत अतिथि गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	81

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के घाघरा नदी के तट पर किसानों के घरों को कटान से बचाने तथा कटान में समाहित किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	82
संविधान सम्मत न होने के बावजूद दो-दो उप मुख्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाकर नियमों एवं परम्पराओं का उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	82-84
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति)	84
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	85-86
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	86-107
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	107-108

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 11 जुलाई, 2017 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-381

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजय प्रताप सिंह, ''लल्ला भइया'', कुंवर — गोण्डा
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
9. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल कुमार मौर्य, श्री — सोनभद्र
12. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
13. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
14. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
15. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
16. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
17. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
18. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
19. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
20. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
21. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
22. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
23. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
24. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
25. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
26. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
27. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
28. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
29. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
30. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
31. अवतार सिंह भडाना, श्री — मुजफ्फरनगर
32. अवधेश सिंह, श्री — वाराणसी
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
34. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
35. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
36. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
37. असलम अली, श्री — हापुड़
38. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
39. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
40. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
41. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़

42. आलमबदी, श्री आजमगढ़
43. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री हरदोई
44. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
45. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
46. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
47. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
48. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
49. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
50. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
51. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
52. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
53. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
54. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
55. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
56. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
57. ओमकुमार, श्री बिजनौर
58. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
59. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
60. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
61. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
62. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
63. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
64. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
65. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
66. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
67. काली प्रसाद, श्री देवरिया
68. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
69. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
70. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
71. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
72. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
73. केसर सिंह, श्री बरेली
74. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
75. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
76. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
77. गंगा, श्री कुशीनगर
78. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
79. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
80. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
81. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
82. गौरी शंकर, श्री जालौन
83. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
84. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
85. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
86. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
87. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
88. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
89. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
90. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
91. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
92. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
93. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
94. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
95. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
96. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
97. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
98. जयमंगल, श्री महाराजगंज
99. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
100. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ

101. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
102. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
103. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
104. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
105. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
106. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
107. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
108. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
109. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
110. दल बहादुर, श्री रायबरेली
111. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
112. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
113. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
114. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
115. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
116. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
117. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
118. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
119. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
120. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
121. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
122. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
123. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
124. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
125. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
126. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
127. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
128. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
129. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
130. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद
131. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
132. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
133. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
134. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
135. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
136. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
137. नसीर अहमद खाँ श्री रामपुर
138. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
139. नाहिद हसन, श्री शामली
140. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
141. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
142. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
143. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
144. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
145. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
146. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
147. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
148. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
149. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
150. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
151. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
152. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
153. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
154. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
155. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
156. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
157. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर

158. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
159. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
160. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
161. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
162. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
163. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
164. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
165. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
166. फागू चौहान, श्री मऊ
167. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
168. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
169. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
170. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
171. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
172. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
173. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
174. बावन सिंह, श्री गोण्डा
175. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
176. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
177. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
178. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
179. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
180. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
181. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
182. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
183. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
184. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
185. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
186. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
187. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
188. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
189. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
190. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
191. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
192. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
193. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
194. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
195. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
196. महबूब अली, श्री अमरोहा
197. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
198. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
199. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
200. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
201. महेश चन्द्र, श्री कानपुर नगर
202. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
203. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
204. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
205. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
206. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
207. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
208. मुख्तार अन्सारी, श्री मऊ
209. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
210. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
211. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
212. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
213. मौ0 फईम, श्री मुरादाबाद
214. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
215. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
216. योगेश वर्मा, श्री खीरी
217. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
218. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर

219. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
220. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
221. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
222. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
223. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
224. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
225. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
226. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
227. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
228. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
229. रवि शर्मा, श्री झांसी
230. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
231. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
232. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
233. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
234. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
235. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
236. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
237. राज करन कबीर, श्री बांदा
238. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजिया, श्री हरदोई
239. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
240. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
241. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
242. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
243. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
244. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
245. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
246. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
247. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
248. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
249. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
250. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
251. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
252. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
253. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
254. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
255. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
256. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
257. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
258. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
259. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
260. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
261. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
262. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
263. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
264. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
265. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
266. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
267. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
268. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
269. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
270. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
271. लाखन सिंह, श्री औरैया
272. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर

273. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
274. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
275. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
276. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
277. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
278. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
279. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
280. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
281. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
282. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
283. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
284. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
285. विनय शाक्य, श्री औरैया
286. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
287. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
288. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
289. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
290. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
291. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
292. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
293. वीरेन्द्र, श्री एटा
294. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
295. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
296. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
297. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
298. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
299. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
300. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
301. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
302. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
303. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
304. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
305. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
306. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
307. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
308. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
309. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
310. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
311. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
312. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
313. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
314. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
315. संगीता, श्रीमती गाजीपुर
316. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
317. संजय, श्री बुलन्दशहर
318. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
319. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
320. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
321. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
322. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
323. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
324. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
325. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
326. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
327. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
328. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
329. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
330. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
331. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
332. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
333. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ

334. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
335. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
336. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
337. सहेन्द्र सिंह रमाला, श्री बागपत
338. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
339. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
340. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
341. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
342. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
343. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
344. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
345. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
346. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
347. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
348. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री बहराइच
349. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
350. सुरेन्द्र, श्री बलिया
351. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
352. सुरेश कुमार, श्री शामली
353. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
354. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
355. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
356. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
357. सुरेश राही, श्री सीतापुर
358. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
359. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
360. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
361. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
362. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
363. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
364. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
365. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
366. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
367. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
368. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
369. सौरभ सिंह, श्री खीरी
370. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
371. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
372. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
373. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
374. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
375. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
376. हरीराम, श्री सोनभद्र
377. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
378. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
379. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
380. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
381. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), उप मुख्य मंत्री (डा0 दिनेश शर्मा), ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह), परिवहन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह), पंचायती राज एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, मुलिस्म वक्फ, हज एवं राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष-

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

सुजलाम् ।

सुफलाम् ।

मलयज शीतलाम् ।

शस्य श्यामलाम् ।

मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

[11.04] उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्रदर्शन

***नेता विरोधी दल (श्री रामगोविन्द चौधरी)-**

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है, प्रदेश आग में जल रहा है, कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है।

(समाजवादी पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अनेक सदस्यगण अपने हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर सदन के वेल में आकर सरकार के विरोध में नारे लगाने लगे, जिससे घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

यह अनुचित है। पोस्टर का प्रदर्शन कतई अनुचित है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

श्रीमन्, कानून-व्यवस्था के नाम पर प्रदेश की जनता एकदम तबाह हो चुकी है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को जेल में भेजा जा रहा है और यह सरकार बिल्कुल कान में तेल डालकर के सो रही है। यह सरकार जनता के हितों की उपेक्षा कर रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह आपको शोभा नहीं देता है। आप लोग कृपया अपनी सीटों पर चलें। मा0 नेता विरोधी दल आप इन्हें अपनी सीटों पर बैठायें। आप लोग अपनी सीट पर जाकर अपनी बात कहें। आप जो भी बात कहना चाहते हैं, नियमों के तहत कहें, आप सदन की नियमावली का पालन करें। माननीय रामगोविन्द जी, माननीय नेता विरोधी दल आप जो भी कहना चाहते हैं, अपनी सीट से कहें। यह पूरा उत्तर प्रदेश आपके इस काम को देख रहा है। इस तरह से नहीं चलेगा। आदरणीय सदन के भीतर इस तरह का अशोभनीय व्यवहार नहीं चलना चाहिए मैं माननीय नेता विरोधी दल से फिर से आग्रह करता हूं। आपका प्रदर्शन पर्याप्त हो गया। आप सीधे मांग करिये कि आप स्थगन चाहते हैं। आप की इच्छा इस सम्पूर्ण आदरणीय सदन के 403 माननीय सदस्यों के अधिकार को हनन करने की है। माननीय राम गोविन्द जी कृपया अपनी सीट से बात कहें आप बहुत गरिमामय आसन पर हैं। आप इस तरह उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं माननीय राम गोविन्द जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने सदस्यों को सीट पर ले जायें और अपनी बात अपनी सीट से कहें। माननीय राम गोविन्द जी कृपया बतायें कि क्या आप उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ आम जनों के विरोध में यह प्रदर्शन कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

(वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे)

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। केवल अखबारों की सुर्खियां बटोरनें के अलावा, जनता ने इन्हें नकार दिया, जब जनता ने नकार दिया तो केवल अखबारों की सुर्खियां बटोरने के कारण आज यहां पर यह पर्चा लिए चले आ रहे हैं। जनता ने पूरी तरह से समाज वादी पार्टी को नकार दिया। पूरे विपक्ष को नकार दिया। इनके पास कोई काम नहीं रह गया। लोग इनके पास नहीं आते हैं और अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए, केवल मीडिया में अपना स्थान बनाये रखने के लिए आज यहां तमाशा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इनके पास कोई काम नहीं है, सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करे, अपने स्थान से कहिए, आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। अगर आप आम जनता के हितैशी हैं तो अपने स्थान पर जाकर बात करिये। अगर आप उत्तर प्रदेश की आम जनता के हित में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया अपनी सीट पर जाईये। माननीय नेता विरोधी दल से आग्रह है कि वह अपने सदस्यों को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और वे अपनी सीट से अपनी बात कहें यह कोई तरीका नहीं है। यह कोई संसदीय तरीका नहीं है, इसकी अनुमति मैं नहीं देता। माननीय नेता विरोधी दल अगर आप स्थगन चाहते हैं तो आप अपनी सीट से बतायें। क्या आप चाहते है कि सदन स्थगित कर दिया जाये? आप सदन के स्थगन का प्रस्ताव करिये तो हम सरकार से बात करें। नारे बाजी नहीं चलेगी, इस नारे बाजी से कुछ नहीं होगा। आप लोग अपने-अपने क्षेत्रों के नेता हैं, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने आपको चुनकर भेजा है। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। अगर आप चाहते हैं कि स्थगित कर दिया जाये तो आप खुलकर बतायें। क्या आप उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ आबादी के हितों में यहां कोई बहस न हो, यह चाहते हैं? आप यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुद्दों को न उठाया जाये। इस तरह पोस्टर से सड़क पर मुद्दे उठाये जाते हैं। (नारेबाजी जारी) क्या आप स्थगन चाहते हैं ? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, एक स्वर में बताइए कि क्या आप स्थगन चाहते हैं ? सम्भवतः आपसे पहली बार ऐसा सवाल किया गया होगा इस पीठ से। मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूं, यह प्रश्नकाल है मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी के आदरणीय सदस्यों से सवाल कर रहा हूं कि क्या आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही का स्थगन चाहते हैं? माननीय नेता विरोधी दल, कृपया आप बताइए कि क्या आप स्थगन चाहते हैं? माननीय सदस्यगण अब आपका प्रदर्शन हो गया, अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। आप संस्थाओं को इस तरह नष्ट नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की विधान सभा देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था के रूप में, देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में है और आप मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर माननीय सदस्य, आदरणीय सदस्य, आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। आप यह ध्यान करिए कि आप स्वयं सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको स्मरण होना चाहिए कि इस आदरणीय सदन के विशेषाधिकार का आप उल्लंघन कर रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश की जनता का 10 मिनट ले लिया है। उत्तर प्रदेश की जनता का 10 मिनट ले लिया।

(इस दौरान समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन के वेल में खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

सरकार तो खूब चलेगी, अगर आप बहस नहीं करेंगे। आप बहस में जाइए सरकार तो चल रही है। आप सरकार से सवाल पूछने को तैयार नहीं बैठे हैं। आप सब आदरणीय सदस्य हैं और आप सरकार से सवाल पूछने को तैयार नहीं बैठे हैं। नारेबाजी में सवाल नहीं होते हैं। माननीय राम गोविन्द जी, अब लोग थक गए होंगे, मैं तो थका नहीं हूं तो इनको मना कर दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जिन हालात में इन्होंने प्रदेश को छोड़ा था। इन्होंने गिरावट का माहौल हर क्षेत्र में बनाया था। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, हर क्षेत्र में जो गिरावट का माहौल था उसको समाप्त करके हम प्रदेश का ग्राफ ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। हम हर क्षेत्र में विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हर दिशा में हमने सुधार किया है। हमारी सरकार ने जो 100 दिन पूरे किए और उसमें जनता ने योगी सरकार के द्वारा हर क्षेत्र में किए गए कार्यों का स्वागत किया है और इनके पास कोई काम नहीं है। ये केवल अखबारों की सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, मीडिया में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं और केवल इसीलिए ये विधान सभा में तख्तियां लेकर आए हैं। ये सदन का

समय बरबाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बरबाद कर रहे हैं, सदन इसके लिए नहीं है।

(विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार सरकार के न चलने सम्बन्धी नारे लगाते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, सरकार तो चलेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सरकार खूब चल रही है, डंके की चोट पर चल रही है और आगे भी चलेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम गोविन्द जी, अगर अब यह कर्मकाण्ड पूरा हो गया हो तो सबको बुला लीजिए। अगर यह कर्मकाण्ड पूरा हो गया हो तो सबको वापस बुला लीजिए। अब सदन भी चल जाए, इतना काफी हो गया। अब हो गया, काफी हो गया। अब कुछ सवाल-जवाब भी हो जाए। माननीय राम गोविन्द जी कुछ कह रहे हैं, अब आप लोग बैठिए। अब हो गया, अगर आप सदन स्थगित कराकर विजेता की मुद्रा में आना चाहते हैं तो खुलकर कहिए। अगर आपकी इच्छा सदन के स्थगन की ही हो तो मांग करिए न।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य द्वारा सदन की वेल में खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाए जाने से व्यवधान की स्थिति)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

शोर से नहीं होगा। माननीय रामगोविन्द जी, अब हो गया।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

मान्यवर, गुण्डागर्दी चरम सीमा पर है। कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। घरों से महिलाओं को निकलना मुश्किल हो गया है। लड़कियों से बलात्कार हो रहे हैं। सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। हर तरफ हमले हो रहे हैं सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं है। हम लोग क्या करें हम लोग किस तरह कहें, हम लोग आपके पास आए हैं। आप हमारी समस्याओं को समाधान करिए। सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार पंगु हो गई है। सरकार केवल सो रही है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय रामगोविन्द जी, अपने सदस्यों को कहिए कि वह अपनी सीट पर चले जाएं। माननीय रामगोविन्द जी, आप सब सदस्यों को सीट पर बुलाइये आप आग्रह कीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके कारनामों को जवाब दे दिया। अब इनके पास कोई काम तो है नहीं, ये क्या करें ? इसके अलावा इनके पास कोई काम तो है नहीं, जनता ने जब नकार दिया तो विधान सभा का समय खराब करने आ गए। 224 की सरकार इनकी बनी थी और 5 साल सरकार चलाने के बाद 47 की संख्या पर रह गए। जनता ने नकार दिया। इनके पास कोई काम नहीं

है, ये सब बेरोजगार हो गए। उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, जिस स्थिति में ये लोग छोड़कर गए थे, हर दिशा में उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग यह कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सदन स्थगित कराने में शीर्षज्ञ है। माननीय रामगोविन्द जी बताइये क्या करना है? आप बताइये क्या स्थगन चाहते हैं आप? स्थगन से विजेता की मुद्रा में जाना चाहते हैं क्या आप ? मैं करीब 50 बार माननीय रामगोविन्द जी से और आप सब लोगों से अनुरोध कर चुका हूं और इससे बड़ा स्पष्ट हो गया है कि आप सब सदन की कार्यवाही का स्थगन कराकर आनंदित होना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ आदरणीय जनता आपके इस कृत्य को देख रही है। मुझे आपने निर्वाचित किया है, मैं आहत हूं। अभी भी समय है कि आप अपनी सीट पर जाएं और माननीय रामगोविन्द जी जो कहना चाहते हैं, वह कह दें। आपके इस तरह के शोर मचाने से, सदन में व्यवधान डालने से यह सिद्ध हो गया है कि आप सदन की कार्यवाही का स्थगन ही चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के जनता के हितों के बारे में अपनी सीट से नियमानुसार कुछ भी कहने की आपकी क्षमता नहीं है आप अपनी सीट पर जाइये, वहां से कहिए। यह देख लिया गया और सदन के भीतर इस तरह के पोस्टर लेकर आना, यह सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन है। पहले होता रहा होगा, पोस्टर दिखाना, यह सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन है। आप सब पढ़े-लिखे लोग हैं। भविष्य में आप लोग यह चाहते हैं कि आपकी तलाशी बाहर ली जाया करे, आप इस तरह की गलत परिपाटी डाल रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि माननीय विधायक जब प्रवेश द्वार पर घुसें तो उनकी तलाशी ली जाए, यही आप चाहते हैं। आप लोग यही चाहते हैं न माननीय राम गोविन्द जी। माननीय राम गोविन्द जी, आपने तय किया है कि स्थगन कराना है। आपका कर्मकाण्ड 20 मिनट हो गया। बहुजन समाज पार्टी के नेता बोलने के लिए खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता बोलने के लिए खड़े हैं, सब सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहते हैं। आपका यह पौरूष, पराक्रम और वीरता थोड़ा और जोर से चिल्लाइये हम हटने वाले नहीं हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

बहुजन समाज पार्टी के माननीय नेता जी खड़े हैं, कांग्रेस के माननीय नेता जी बोलना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है। विगत तीन महीनों में कानून-व्यवस्था को सुधार कर पाने में योगी सरकार पूरी तरह से फेल है। जनता से किए गए सारे वायदे पूरे करने में यह सरकार पूरी तरह से फेल हो गयी है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को भी कानून व्यवस्था के संबंध में चिन्ता जतानी पड़ी है। बार-बार अधिकारियों का, आई0पी0एस0 अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मान्यवर, सरकार के दो मंत्री आपस में ही अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं तो पहले ही कह चुका हूं इनके पास कोई काम नहीं है, जनता इन्हें पूछ नहीं रही है। मार्च, 2017 के चुनाव में जनता ने पूरी तरह से इन्हें नकार दिया, पूरी तरह से इनको खारिज कर दिया तो यह कहां जाएं। अब यह मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से केवल अपने आप को सुर्खियों में बनाए रहना चाहते हैं। मान्यवर, इनके पास कोई काम नहीं है और सदन का समय और खराब करने चले आएं। यह सदन का समय खराब कर रहे हैं।

(वेल में आये हुए सदस्यगण लगातार नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

सब कर्मकाण्ड आपका चल रहा है, आपका कर्मकाण्ड पूरा हो गया हो तो अपनी सीट पर चलिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह लोग सदन की कार्यवाही चलने नहीं देना चाहते हैं, मेरा अनुरोध है कि अब आप इसमें निर्णय लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मैं अनुरोध कर रहा हूं कि अब आप अपनी सीटों पर चले जाएं।

मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

प्रश्नोत्तर

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में भू-गर्भ जल स्तर ऊपर लाने के लिये वर्षा ऋतु के पानी के संचय हेतु कार्य योजना

***01-श्री संजय गर्ग, श्री मनोज कुमार पारस, श्री पारस नाथ यादव, डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री शैलेन्द्र यादव ललई, श्री नितिन अग्रवाल तथा श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निरंतर नीचे गिरते भू-गर्भ जल स्तर को ऊपर लाने हेतु क्या सरकार वर्षा ऋतु के पानी के संचयन हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ?

यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

लघु सिंचाई एवं पशुधन मंत्री (श्री एस0पी0 सिंह बघेल)-

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर की समस्या के प्रभावी निदान के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 18 फरवरी, 2013 द्वारा प्रदेश में भू-जल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भू-जल रिचार्ज हेतु समग्र नीति निर्गत की गयी है।

सम्बन्धित विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेश के समस्याग्रस्त क्षेत्रों में अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भू-गर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिसमें चेकडैम निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार/नये तालाबों का निर्माण, मेड़बन्दी आदि के कार्य सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी 'ग'

प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की जानकारी

***01-श्री अनुराग सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों व पुस्तकाध्यक्षों के पद बड़ी संख्या में रिक्त होने के कारण अध्यापन व उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (डा0 दिनेश शर्मा)-

जी हां।

जी हां।

प्रवक्ता के 712 पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रेषित अधियाचन के सापेक्ष प्रवक्ताओं की संस्तुति प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की घटती संख्या को बढ़ाये जाने की कार्य योजना

***02-श्री नितिन अग्रवाल तथा श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में निरन्तर छात्रों की घटती संख्या को बढ़ाने हेतु क्या सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा, राजस्व तथा वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)-

जी हां।

प्रदेश के राजकीय प्राथमिक/परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा निम्नवत् कार्य किये जा रहे हैं :--

(1) दिनांक 01-7-2017 से 31-7-2017 की अवधि में स्कूल चलो अभियान आयोजित किया जा रहा है।

(2) विद्यालयों का सघन निरीक्षण कराया जा रहा और निरीक्षण आख्याएं ऑनलाइन अपलोड करायी जा रही हैं। निरीक्षण के लिए प्रदेश स्तर पर भी टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जनपदीय अधिकारियों का लक्ष्य निर्धारित करते हुए विद्यालयों का निरीक्षण किए जाने का निर्देश दिया गया है।

(3) बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों को भरते हुए शिक्षकों के समायोजन की व्यवस्था करके शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

(4) शिक्षकों के शिक्षण कौशल में संवर्द्धन हेतु प्रतिवर्ष सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। तत्क्रम में प्राथमिक स्तर पर आरम्भिक पठन कौशल एवं गणितीय दक्षता विकास हेतु तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(5) छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्कूल बैग, ड्रेस, जूते-मोजे उपलब्ध कराया जा रहा है। विद्यालय में बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए पौष्टिक मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

(6) विद्यालयों में उच्च प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर, कला, खेलकूद एवं गृह विज्ञान इत्यादि विषयों में शिक्षा के लिए लगभग 43000 अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती की गई है।

(7) विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(8) हाउस होल्ड सर्वे कराकर विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराया जा रहा है।

(9) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12(1)(ग) के वर्ष 2017-18 में कमजोर एवं गरीब वर्ग के 31298 बच्चों का प्रवेश निजी विद्यालयों में कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रभावी कार्य योजना

***03-सुश्री अदिति सिंह तथा श्री बृजेश कुमार प्रजापति-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाने एवं मुख्य धारा में लाने हेतु क्या सरकार प्राथमिक विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों एवं कान्वेंट स्कूलों के तर्ज पर विकसित करने, उनके समानान्तरण शिक्षा प्रदान करने तथा अभिभावकों को परिषदीय स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने हेतु प्रेरित किये जाने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाकर लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ सहित प्रदेश के खण्ड विकास अधिकारियों की नियुक्ति का प्रकरण

***04-मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ सहित प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारियों की भारी कमी होने के कारण प्रदेश के गांवों के विकास कार्यों की गति मन्द हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुरूप खण्ड विकास अधिकारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रदेश में 821 विकास खण्डों के सापेक्ष 457 खण्ड विकास अधिकारी एवं 93 संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं। जनपद मऊ में खण्ड विकास अधिकारी के 09 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 05 खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं।

शासनादेश संख्या-2107/38-1-2016-3जी/88टी0सी0, दिनांक 23-11-2016 द्वारा जनपदों में रिक्त विकास खण्डों का प्रभार निकटवर्ती खण्ड विकास अधिकारियों अथवा प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के अधिकारियों को प्रदान किये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

खण्ड विकास अधिकारी के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पद पदोन्नति (ग्राम्य विकास के संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी हेतु 273 पद, सहकारिता विभाग के अपर जिला सहकारी अधिकारी हेतु 68 पद एवं अर्थ एवं संख्या विभाग के अपर सांख्यिकीय अधिकारी हेतु 85 पद) के हैं, जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाते हैं।

सीधी भर्ती के रिक्त 117 खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर चयन कराये जाने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है तथा पदोन्नति कोटे में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के रिक्त 38 पदों पर चयन कराये जाने हेतु निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग से अधियाचन का प्रस्ताव मांगा गया है। संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष वर्तमान में 231 पद रिक्त हैं। संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर चयन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थापित तकनीकी विद्यालयों द्वारा 100 प्रतिशत प्लेसमेंट के सम्बन्ध में जांच कराकर कार्रवाई की मांग

***05-श्री पंकज सिंह-**

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निजी क्षेत्र में स्थापित तकनीकी विद्यालयों द्वारा 100 प्रतिशत प्लेसमेंट के विज्ञापन निकाले जाते हैं, जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे निजी विद्यालयों जिनके द्वारा भ्रामक सूचनायें देकर विज्ञापन किया जा रहा है, के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'')-

प्रदेश के निजी क्षेत्र में स्थापित तकनीकी विद्यालयों द्वारा 100 प्रतिशत प्लेसमेंट के भ्रामक विज्ञापन निकाले जाने के सम्बन्ध में शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं है।

शिकायतें प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रतिमाह मानदेय अन्य प्रदेशों के बराबर दिये जाने का प्रकरण

***06-श्री कृष्णपाल मलिक तथा श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-**

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मानदेय में प्रतिमाह कितना अंश केन्द्र सरकार व कितना अंश प्रदेश सरकार का है ? क्या सरकार को जानकारी है कि हरियाणा, दिल्ली आदि प्रदेशों की तुलना में प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को कम मानदेय मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय को उक्त प्रदेशों के बराबर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रतिमाह देय मानदेय में 60 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार द्वारा 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अपने संसाधनों से भी रु0 1000.00 प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

जी हां।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय एवं सेवा शर्तों में सुधार हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ऊर्जा की मांग के सापेक्ष ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन एवं उपयोग पर प्रोत्साहन राशि अथवा सब्सिडी देने की मांग

***07-श्री संजय गर्ग तथा श्री रितेश पाण्डेय-**

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऊर्जा की मांग के सापेक्ष आपूर्ति में अन्तर को देखते हुये सरकार का वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा एवं बायोगैस आधारित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों के प्रोत्साहन हेतु कोई कार्य योजना भारत सरकार को भेजी गयी है या भेजे जाने का प्रस्ताव है ? क्या सरकार ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन एवं उपयोग पर प्रोत्साहन राशि अथवा सब्सिडी देने का कोई प्राविधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त ऊर्जा, विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा एवं बायोगैस आधारित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों के प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार को 300 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटाप पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु, 2000 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना की अधिष्ठापना हेतु, सोलर मिनीग्रिड योजना के अन्तर्गत 90 सोलर मिनीग्रिड पावर प्लाटों की स्थापना हेतु, डिसेन्ट्रलाइज्ड डिस्टीब्यूटेड जेनरेशन (डी0डी0जी0)

योजना के अन्तर्गत 38 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु सोलर पावर प्लाण्टों की स्थापना हेतु, लघु एवं सीमान्त कृषकों को सिंचाई के लिये सोलर पम्प उपलब्ध कराये जाने हेतु 22100 सोलर पम्पों के प्रस्ताव एवं डेयरी फार्मों में बायोगैस से ऊर्जा उत्पादन के 77 परियोजनाओं की स्थापना हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रस्ताव भेजे गये हैं।

ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन एवं उपयोग पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा सोलर रूफटाप पावर प्लाण्ट, फैमिलीसाइज बायोगैस प्लाण्ट, बायोगैस से ऊर्जा उत्पादन, सिंचाई हेतु सोलर पम्प पर अनुदान दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं की अधिष्ठापना के उपरान्त सब्सिडी की धनराशि लाभार्थी को अन्तरित की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिये रु0 7100/- प्रति संयंत्र की दर से सब्सिडी अनुमन्य की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के विकास हेतु पृथक पूर्वांचल राज्य बनाने के प्रस्ताव की जानकारी

***08-श्री पारस नाथ यादव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अति पिछड़े पूर्वांचल क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु पृथक पूर्वांचल राज्य बनाने का प्रस्ताव सरकार, भारत सरकार को भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मियों के रिक्त पदों को भरने व सफाई सुनिश्चित कराने की मांग

***09-श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सफाई कर्मियों के रिक्त पदों को भरने तथा सफाई कर्मियों द्वारा प्रतिदिन सफाई कराने की कोई एकीकृत प्रणाली विकसित कर सफाई सुनिश्चित कराने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

वित्त समिति के निर्णयों के आलोक में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-वे0आ0-2-2052/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08-9-2010 में यह प्राविधान है कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों की छोड़कर) नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त

होने वाले पदों के सम्बन्ध में केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित सफाई सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक सफाई कर्मी की तैनाती की गयी। संबंधित अधिकारियों द्वारा इनसे सफाई कार्य कराया जा रहा है। सफाई कर्मियों द्वारा प्रतिदिन सफाई कराने की कोई एकीकृत प्रणाली विकसित कर सफाई सुनिश्चित कराने की सरकार की कोई कार्य योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वाहन दुर्घटना की रोकथाम का विवरण

***10-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अव्यवस्थित यातायात के कारण हो रही वाहन दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्युदर में वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मोटर वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने के फलस्वरूप प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं में घायल और मृत होने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2013 से वर्ष 2017 (माह अप्रैल) तक घटित सड़क दुर्घटनाओं का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
2013	30615	16004	23024
2014	31034	16287	22337
2015	32385	17666	23205
2016	35612	19320	25096
2017 (माह अप्रैल तक)	8577	4695	6049

सुप्रीम कोर्ट कमेटी आन रोड सेफ्टी द्वारा समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 06-07-2017 को परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, मनोरंजन विभाग, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, स्थानीय निकाय निदेशालय एवं बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक, उ0प्र0 के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी थी। यातायात व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित किये जाने हेतु प्रदेश के 12 महानगरों-आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, वाराणसी, अलीगढ़, कानपुर नगर, बरेली तथा मुरादाबाद में

एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणाली लागू किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इस योजना के अन्तर्गत यातायात संकेतों की स्थापना, संचालन एवं अनुरक्षण सभी चौराहों पर रोड फर्नीचर की व्यवस्था, चौराहों की अभियंत्रिकी में सुधार, यातायात चौराहों पर नियामक, चेतावनी, ट्रैफिक सिग्नल रोड मार्किंग आदि लगाया जाना, यातायात पुलिस हेतु कैमरा, इलेक्ट्रानिक चालान आदि की व्यवस्था एवं यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के उपरोक्त 12 जनपदों में स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम परियोजना लागू किये जाने की प्रक्रिया प्रचलित है। इस योजना के अन्तर्गत जन-सामान्य की सुरक्षा के उद्देश्य से सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों तथा महत्वपूर्ण प्रवेश एवं निकास मार्गों पर सर्विलांस कैमरों की स्थापना की जायेगी। प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नवत् प्रभावी कार्यवाही कराई जा रही है :-

1-मोटरयान अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत संचालित हो रहे वाहनों की नियमित रूप से चेकिंग व चालान की कार्यवाही यातायात नियमों के अनुपालन में विशेष ध्यान देकर प्रवर्तनात्मक कार्यवाही जनपद स्तर पर प्रचलित है।

2-जनपद के विभिन्न मार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित आंकड़ों की समीक्षा/विश्लेषण कर सड़क दुर्घटना बाहुल्य स्थलों (ब्लैक स्पाट्स) का चिन्हीकरण एवं दुर्घटना के कारणों को ज्ञात कर ऐसे स्थलों पर लोक निर्माण विभाग व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व अन्य संबंधित विभागों के माध्यम से सड़क की कमियों को ठीक कराये जाने एवं आवश्यक संकेतक बोर्ड/चिन्ह लगवाये जाने की कार्यवाही करायी जाती है। पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, नगर निगम व लोक निर्माण विभाग के बीच परस्पर सामंजस्य को बढ़ाते हुये इस दिशा में सार्थक प्रयास किया जा रहा है।

3-अतिक्रमण के विरुद्ध भी प्रदेश में जनपद स्तर पर समय-समय पर अभियान चला कर तथा पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण कर यातायात को और सुव्यवस्थित किये जाने की कार्यवाही करायी जाती है।

4-यातायात निदेशालय द्वारा प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर में यातायात माह एवं माह दिसम्बर में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इस अवधि में यातायात नियमों/संकेतों का अनुपालन किये जाने हेतु जन-सामान्य व स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित, प्रेरित व जागरूक किया जा रहा है। इसके लिये समाज के विभिन्न समूहों का सहयोग भी लिया जा रहा है। स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किये जाने हेतु स्कूल/कालेजों में निबन्ध, क्विज आदि प्रतियोगताएं आयोजित कराई जाती हैं तथा यातायात नियमों/संकेतों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के पोस्टर व पम्फलेट भी वितरित किये जाते हैं।

5-अनधिकृत रूप से मुख्य मार्गों पर फुटपाथों पर ठेलिया, खुन्चा एवं दुकानों को बढ़ाकर मार्ग पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कराते हुये उन्हें हटाया जाता है। यातायात के भारी दबाव वाले क्षेत्रों में स्कूलों के खुलने एवं बन्द होने के समय एकल दिशा मार्ग की व्यवस्था कर यातायात का दबाव कम करने का प्रयास किया जाता

है एवं भारी वाहनों का आवागमन एक निश्चित अवधि के लिये शहर के अन्दर प्रतिबन्धित कर दिया जाता है।

6-प्रदेश में पुलिस नियतन के सापेक्ष उपलब्ध पुलिस बल के सुचारु यातायात संचालन के लिये यातायात पुलिस को पुलिस कर्मी उपलब्ध कराये जाते हैं।

7-18 परिक्षेत्रीय मुख्यालय के जनपदों तथा जनपद गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में स्थापित यातायात प्रवर्तन केन्द्र में ट्रैफिक एप का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

प्रदेश के इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को री-बोर/मरम्मत कराये जाने की योजना

***11-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के भू-जल स्तर में आई गिरावट की वजह से इण्डिया मार्का-2 हैंडपम्प जो पानी छोड़ रहे हैं अथवा फेल हो गये हैं, का सरकार की रि-बोर कराने अथवा ठीक कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-434/अड़तीस-5-2017-21-एम/2011, दिनांक 08 मई, 2017 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को यह दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के रि-बोरिंग का कार्य 14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जायेगा। सम्बन्धित ग्राम पंचायतें हैण्डपम्पों के रि-बोरिंग का कार्य स्वयं करा सकती हैं अथवा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं (उत्तर प्रदेश जल निगम/यू0पी0 स्टेट एग्रो लि0) के माध्यम से करा सकती हैं। दोनों ही विकल्पों के अनुसार रि-बोर कराये गये हैण्डपम्पों में गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के थानों/मालखानों में जमा/जब्त वाहनों को नीलाम एवं नष्ट करने की जानकारी

***12-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के थानों में तथा मालखानों में जमा/जब्त वाहनों को समयबद्ध नीलाम/नष्ट करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

वादों से संबंधित वाहनों का निस्तारण संबंधित न्यायालयों द्वारा लावारिस वाहनों का निस्तारण उप जिलाधिकारी द्वारा धारा-457/458/459 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत तथा विभिन्न विभागों यथा-खनन, परिवहन, आबकारी, नारकोटिक्स आदि विभागों द्वारा जब्त किये गये वाहनों का निस्तारण संबंधित विभागों के अधिनियम में दिये गये प्राविधानों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की ग्राम सभाओं को समग्र विकास से जोड़ने की मांग

***13-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या समग्र ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोहिया समग्र विकास ग्राम योजना व जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना वर्तमान में संचालित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ग्राम सभाओं को समग्र विकास से जोड़ने के लिए कोई नयी योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

ग्राम सभाओं को समग्र विकास से जोड़ने सम्बन्धी वर्तमान में कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दू अन्त्येष्टि स्थलों के विकास एवं अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने की कार्य योजना

***14-डा0 आर0के0 वर्मा-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दू अन्त्येष्टि स्थलों के विकास एवं अवस्थापना सुविधायें मुहैया कराने हेतु सरकार ने कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास के सम्बन्ध में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों में नागरिक अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु यह योजना वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ की गयी है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-21/2015-33-3-2014-100(21)/2014 दिनांक 02 सितम्बर, 2014 एवं संशोधित शासनादेश संख्या-1009/33-3-2016-100(21)/2014, दिनांक 26 मई, 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 13.23 लाख प्रति अन्त्येष्टि स्थल की दर से कुल 755 अन्त्येष्टि स्थल, वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु0 13.23 लाख प्रति अन्त्येष्टि स्थल की दर से कुल 755 अन्त्येष्टि स्थल एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु0 24.36 लाख प्रति अन्त्येष्टि स्थल की दर से कुल 521 अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

***15-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

[5वें सोमवार के ता0प्र0सं0-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में वर्तमान समय में तैनात जिलाधिकारियों का विवरण

01-श्री हरिओउम यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कुल कितने जिलाधिकारी तैनात हैं ? क्या सरकार उनकी सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिलाधिकारी तैनात हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :--

(दिनांक 04 जुलाई, 2017 की स्थिति अनुसार)

जनपद	जिलाधिकारी का नाम
1	2
आगरा	श्री गौरव दयाल
फिरोजाबाद	सुश्री नेहा शर्मा
मैनपुरी	श्री यशवन्त राव
मथुरा	श्री अरविन्द मलप्पा बांगरी
इलाहाबाद	श्री संजय कुमार
कौशाम्बी	श्री मनीष कुमार वर्मा
फतेहपुर	श्री मदनपाल
प्रतापगढ़	श्री सरद कुमार सिंह
कानपुर नगर	श्री सुरेन्द्र सिंह
कानपुर देहात	श्री राकेश कुमार सिंह-I
इटावा	सुश्री सेल्वा कुमारी जे0
औरैया	श्री जय प्रकाश सगर
फर्रूखाबाद	श्री रवीन्द्र कुमार-II
कन्नौज	श्री जगदीश प्रसाद
फैजाबाद	श्री संतोष कुमार राय
अम्बेडकरनगर	श्री अखिलेश सिंह

1	2
बारांबकी	श्री अखिलेश तिवारी
सुल्तानपुर	श्री हरेन्द्रवीर सिंह
अमेठी	श्री योगेश कुमार
गोरखपुर	श्री राजीव रौतेला
देवरिया	श्री सुजीत कुमार
महाराजगंज	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह
कुशीनगर	श्री आन्द्रा वामसी
झांसी	श्री कर्ण सिंह चौहान
जालौन	श्री नरेन्द्र शंकर पाण्डेय
ललितपुर	श्री मानवेन्द्र सिंह
बांदा	श्री महेन्द्र बहादुर सिंह
चित्रकूट	श्री शिवाकान्त द्विवेदी
हमीरपुर	डा0 मन्नान अख्तर
महोबा	श्री अजय कुमार सिंह-II
गोण्डा	श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह
बहराइच	श्री अजय दीप सिंह
बलरामपुर	श्री राकेश कुमार मिश्रा
श्रावस्ती	श्री दीपक मीणा
सहारनपुर	श्री प्रमोद कुमार
मुजफ्फरनगर	श्री गौरी शंकर प्रियदर्शी
शामली	श्री इन्द्र विक्रम सिंह
लखनऊ	श्री कौशल राज शर्मा
हरदोई	सुश्री शुभ्रा सक्सेना
लखीमपुर खीरी	श्री आकाश दीप
रायबरेली	श्री अभय

1	2
सीतापुर	सुश्री सारिका मोहन
उन्नाव	सुश्री अदिति सिंह
मेरठ	श्री समीर वर्मा
गौतमबुद्धनगर	श्री बृजेश नारायण सिंह
बागपत	श्री भवानी सिंह खंगारौत
बुलन्दशहर	डा0 रोशन जैकब
गाजियाबाद	सुश्री मिनिष्ती एस0
हापुड़	श्री कृष्णा करूनेश
बरेली	श्री राघवेन्द्र विक्रम सिंह
बदायूं	सुश्री अनिता श्रीवास्तव
पीलीभीत	सुश्री शीतल वर्मा
शाहजहांपुर	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह
मुरादाबाद	श्री राकेश कुमार सिंह-II
अमरोहा	श्री नवनीत सिंह चहल
रामपुर	श्री शिव सहाय अवस्थी
बिजनौर	श्री जगतराज
सम्भल	श्री आनन्द कुमार सिंह-II
वाराणसी	श्री योगेश्वर राम मिश्र
चन्दौली	श्री हेमन्त कुमार
जौनपुर	डा0 सर्वज्ञ राम मिश्र
गाजीपुर	श्री संजय कुमार खत्री
आजमगढ़	श्री चन्द्र भूषण सिंह
बलिया	श्री सुरेन्द्र विक्रम
मऊ	श्री ऋषिरेन्द्र कुमार
मिर्जापुर	श्री विमल कुमार दुबे

1	2
भदोही	श्री विशाख जी0
सोनभद्र	श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय
बस्ती	श्री अरविन्द कुमार सिंह
सन्तकबीरनगर	श्री मार्कण्डेय शाही
सिद्धार्थनगर	श्री कुणाल सिलकू
अलीगढ़	डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद
हाथरस	श्री अमित कुमार सिंह
कासगंज	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह
एटा	श्री अमित किशोर

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की तहसील अतर्रा के ग्राम-काछिन पुरवा (बजरंगपुर), अंश नगवारा, पो0-ओरहा में जल निकासी की समस्या को दूर करने की जानकारी

02-श्री संजय गर्ग-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील अतर्रा के ग्राम-काछिन पुरवा (बजरंगपुर), अंश नगवारा, पो0-ओरहा में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण रास्तों में पानी भरा रहने से नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में जल निकासी की समस्या को दूर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की तहसील अतर्रा के ग्राम-काछिन पुरवा (बजरंगपुर), अंश नगवारा, पो0-ओरहा में वर्ष 2012-13 में जिला पंचायत बांदा द्वारा सी0सी0 रोड का निर्माण कराया गया था। सी0सी0 रोड के दोनों ओर काश्तकारों के खेत हैं, जल निकासी हेतु काश्तकार अपनी खेत की भूमि देने को तैयार नहीं है, जिसके कारण उक्त स्थान पर जल निकासी हेतु नाली बनवाया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

जनपद बस्ती के वि0 स0 क्षे0 सल्टौआ गोपालपुर में संचालित विद्यालय शक्ति विद्या विहार पूर्व मा0 विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की मांग

03-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के सल्टौआ गोपालपुर में विगत दस वर्षों से संचालित शक्ति विद्या विहार पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मान्यता प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां। विद्यालय को मान्यता प्रदान किया जाना प्रबन्धतंत्र द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र रूधौली में स्थापित राजकीय महाविद्यालय में संस्कृत, भूगोल, गृह विज्ञान आदि विषयों की मान्यता देने की मांग

04-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय रूधौली, जनपद बस्ती में संस्कृत, भूगोल, गृह विज्ञान आदि विषयों को मान्यता देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

आवश्यक वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के कारण।

जनपद अलीगढ़ के नव सृजित ब्लाक गभाना के भवन निर्माण कराये जाने की मांग

05-श्री दलवीर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में नव सृजित ब्लाक गभाना के भवन का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

समुचित भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण जनपद अलीगढ़ में नव सृजित ब्लाक गभाना के भवन का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का लम्बित मानदेय भुगतान का प्रकरण

06-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में कितने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां कार्यरत हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मानदेय भुगतान समयानुसार नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनका कब तक का मानदेय भुगतान लम्बित है तथा इसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद बागपत में 917 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां कार्यरत हैं।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय का भुगतान माह मार्च, 2016 से पी0एफ0एम0एस0 (डी0बी0टी0) प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, बागपत से प्राप्त सूचना के अनुसार 894 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मानदेय का भुगतान किया गया है। 03 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय का भुगतान उनके द्वारा नियमित रूप से कार्य न किए जाने के कारण रोका गया है। 20 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का माह मार्च, 2016 से मानदेय का भुगतान लम्बित है।

पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा Validate न किए जाने के कारण 20 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का माह मार्च, 2016 से मानदेय का भुगतान लम्बित है।

माह मार्च, 2016 से माह फरवरी, 2017 तक मानदेय का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा Validate न किए जाने के कारण जनपद स्तर से पूर्व की भांति ई0 पेमेंट के माध्यम से जनपदों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के खाते में मानदेय की धनराशि हस्तान्तरित किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में निशानेबाजों को निर्गत एवं लम्बित शस्त्र लाइसेंसों की जानकारी

07-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के निशानेबाजों को शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बागपत में गत 5 वर्षों में कितने तथा किन-किन निशानेबाजों को शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये गये तथा कितने निशानेबाजों के आवेदन-पत्र किस कारण से लम्बित हैं ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाजों को शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये जा रहे हैं परन्तु प्रदेश स्तर के निशानेबाजों के शस्त्र लाइसेंस मा0 उच्च न्यायालय द्वारा लगायी गयी रोक के कारण नहीं निर्गत किये जा रहे हैं।

जनपद बागपत में विगत 5 वर्षों में कुल 05 राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाजों को शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये गये हैं, जिनके नाम निम्नवत् हैं :- (1) श्री फारूक अली, (2) श्री भगत सिंह, (3) श्री विपिन दांगी, (4) श्री विपिन राणा एवं (5) श्री सचिन कुमार तथा कुल 07 निशानेबाजों के आवेदन पत्र पुलिस स्तर पर जांच हेतु लम्बित हैं।

प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश दि0 27-04-12 में दिये गये आदेश के अनुपालन में एस0सी0/एस0टी0 के कार्मिकों की पदोन्नति का प्रकरण

08-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 27/4/2012 में दिये गये आदेश के अनुपालन में कार्मिक विभाग उ0प्र0 के शासनादेश दिनांक 21-08-2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 15/11/97 से 28/4/2012 तक की अवधि को आधार मानते हुए प्रदेश में कार्यरत एस0सी0/एस0टी0 के कार्मिकों का नियमानुसार पदावनत किया गया है ? यदि हां, तो दिनांक 15/11/1997 से पूर्व के पदोन्नत कार्मिकों को पदावनत/पदोन्नति की प्रक्रिया को फ्रीज किया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। सिविल अपील संख्या-2608/2011, यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-04-2012 द्वारा 'उत्तर प्रदेश सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994' की धारा-3(7) एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) का नियम-8(क) अल्ट्रावायर्स (ultra-vires) कर दिये जाने के कारण उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 28-04-2012 के पूर्व एवं 15-11-1997 के पश्चात् पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8(क) का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हों, उस स्तर पर उन्हें पदावनत किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या-8/4/1/2002 टी0सी0-1-का-2/2015, दिनांक 21-08-2015 के माध्यम से समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की माँग

09-श्री राम अचल राजभर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक तैनात हैं ? यदि नहीं, तो उक्त तैनाती सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

वर्ष 2017-18 हेतु स्थानान्तरण/समायोजन की नीति दिनांक 13-6-2017 को निर्गत की जा चुकी है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के मा0 कांशीराम महाविद्यालय गभाना में स्नातकोत्तर की कक्षा शुरू कराये जाने की मांग

10-श्री दलवीर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु मा0 कांशीराम महाविद्यालय गभाना, जनपद अलीगढ़ में स्नातकोत्तर की कक्षा सरकार शुरू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की कमी के कारण।

11-श्री दलवीर सिंह-

[2सरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अलीगढ़ में संचालित बेसिक शिक्षा निजी स्कूलों में कमजोर गरीब वर्ग के बच्चों को 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश की जानकारी

12-श्री दलवीर सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में संचालित बेसिक शिक्षा के कितने निजी पब्लिक स्कूलों में कमजोर एवं गरीब वर्गों के बच्चों के लिये 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश

एवं स्कूल बस सुविधा हेतु मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हाँ।

जनपद-अलीगढ़ में वर्ष 2017-18 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के अन्तर्गत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के 112 बच्चों का प्रवेश 27 मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया गया है। जनपद में निजी पब्लिक स्कूलों में बस सुविधा हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के जे0के0 कैंसर हास्पिटल का मुख्य प्रवेश द्वार नं0-1 बन्द खुलवाये जाने की जानकारी

13-श्री अमिताभ बाजपेयी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के जे0के0 कैंसर हास्पिटल का मुख्य प्रवेश द्वार नं0-1 बन्द होने की वजह से मरीजों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गेट को खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी नहीं। जे0के0 कैंसर हास्पिटल का मुख्य प्रवेश द्वार बन्द नहीं, अपितु खुला है। जिससे मरीजों को कोई असुविधा नहीं हो रही है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर गौशाला में कुपोषण से हो रही गायों की मौतों की जानकारी

14-श्री अमिताभ बाजपेयी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर गौशाला में कुपोषण से गायों की मौतें हो रही हैं ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0पी0सिंह बघेल-

जी नहीं।

लागू नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत बिलरियागंज ब्लाक पर एम्बुलेंस गाड़ियों का उपयोग विभाग के पशु चिकित्सालय के अलावा अन्यत्र किये जाने की जानकारी

15-श्री नफीस अहमद-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर, जनपद आजमगढ़ के बिलरियागंज ब्लाक पर कितनी एम्बुलेंस गाड़ियां वर्ष 2016 व वर्ष 2017 में लगायी गई थीं ? क्या उक्त एम्बुलेंस गाड़ियों का उपयोग विभाग के पशु चिकित्सालय में हो रहा है ? यदि कहीं अन्यत्र हो रहा है तो क्या इसकी जांच कराकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर सरकार रखेगी ? क्या सरकार

इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी पर निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0पी0सिंह बघेल-

जनपद आजमगढ़ के बिलरियागंज विकास खण्ड में वर्ष 2016 में कोई भी बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवा वाहन/एम्बुलेन्स आवंटित नहीं थी, बल्कि वर्ष 2017 के माह जनवरी में विकास खण्डों के लिये प्राप्त एम्बुलेन्सों में से एक बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवा वाहन विकास खण्ड बिलरियागंज हेतु आवंटित किया गया है।

जी हाँ।

वर्तमान में एम्बुलेन्स का प्रयोग कहीं अन्यत्र नहीं हो रहा है, बल्कि विभागीय कार्य में नियमानुसार वाहन को प्रयोग में लाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के गर्ल्स इण्टर कालेज, मुफ्तीगंज में नियुक्ति किये जाने का प्रकरण

16-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गर्ल्स इण्टर कालेज, मुफ्तीगंज, लखनऊ जो अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त विद्यालय है, में बिना शासन की अनुमति से फर्जी तरीके से वर्ष 2015 व वर्ष 2016 में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां कर ली गई हैं ? यदि हां, तो इसकी वर्षवार जांच कराकर दोषियों को चिन्हित करते हुए सरकार दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

गर्ल्स इण्टर कालेज मुफ्तीगंज लखनऊ में वर्ष 2015 व वर्ष 2016 में कोई भी नियुक्ति नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

उ0 प्र0 सचिवालय के अधिकारियों एवं कार्मिकों की वर्ष 2017-18 की तबादला नीति का प्रकरण

17-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा उ0 प्र0 सचिवालय के अधिकारियों एवं कार्मिकों की वर्ष 2017-18 के लिए तबादला नीति को मंजूरी दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उ0प्र0 सचिवालय के सचिवालय प्रशासन विभाग, न्याय विभाग, विधायी विभाग, संसदीय कार्य विभाग के कुछ अनुभाग, गोपन विभाग व वित्त विभाग के कुछ अनुभाग के कार्मिकों को तबादला नीति से मुक्त रखा गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार सचिवालय के अन्य विभागों में कार्यरत अधिकारियों व कार्मिकों में इसको लेकर रोष को दृष्टिगत रखते हुए मुक्त रखे गये विभागों को भी तबादला नीति में सम्मिलित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

सम्प्रति सचिवालय प्रशासन विभाग सचिवालय की स्थानान्तरण नीति से मुक्त नहीं है। न्याय, विधायी, संसदीय कार्य विभाग (इन विभागों में स्थापित अधिष्ठान कार्य से संबंधित अनुभागों को छोड़कर) गोपन अनुभाग 1, 5, 6 व 7 वित्त विभाग (व्यय नियंत्रण अनुभागों को छोड़कर) को स्थानान्तरण नीति से सामान्य रूप से मुक्त रखा गया है।

इन विभागों में व्यवहृत किये जाने वाले कार्यों की विशिष्ट प्रकृति तथा अनुभव एवं विशेषज्ञता की आवश्यकता को देखते हुये स्थानान्तरण नीति से सामान्यतया मुक्त रखा गया है।

ऐसा कोई बिन्दु विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के जिलाधिकारी द्वारा दिये गये पत्रांक 8285/2010, दिनांक 27 नवम्बर, 2010 पर कार्रवाई की जानकारी

18-श्री दलवीर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के किरन देवी रा0उ0मा0 विद्यालय बामौती, अलीगढ़ में प्रबंध समिति द्वारा किये गये कदाचार की जांच में जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ की आख्या दिनांक 26 नवम्बर, 2010 पर जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्रांक 8285/2010, दिनांक 27 नवम्बर, 2010 द्वारा दोषियों की सेवा समाप्ति व अनुशासनिक कार्रवाही की संस्तुति की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रकरण में दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी हाँ।

श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा तत्कालीन प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, किरन देवी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बामौती, अलीगढ़ सम्प्रति प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, हापुड़ को शासनादेश संख्या-1278/15-13-16-1(14)/2016, दिनांक 23 नवम्बर, 2016 द्वारा निलम्बित किया गया है। निलम्बन आदेश के विरुद्ध श्री शर्मा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-28708(एस0बी0)/2016 में दिनांक 07-12-2016 को पारित मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निलम्बन आदेश 23-11-2016 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बागपत के पशु पॉलीक्लीनिक में सृजित पदों के अनुसार नियुक्तियां पूर्ण किए जाने की जानकारी

19-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के ग्राम बिजरौल में स्थापित पशु पालीक्लीनिक में सृजित पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पदों पर अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार जनहित में उक्त पशु पॉलीक्लीनिक में रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल-

जी हां।

जनपद बागपत के ग्राम बिजरौल में स्थापित पशु पॉलीक्लीनिक में सृजित पशु चिकित्साधिकारी के 03 पदों के सापेक्ष 03 पशु चिकित्साधिकारी एवं कर्मचारियों के सुजित 09 पदों के सापेक्ष 03 कर्मचारी तैनात हैं तथा 06 कर्मचारियों के पद रिक्त हैं।

कर्मचारियों के शेष रिक्त पदों का कार्य मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागपत द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था कर सम्पादित कराया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बागपत में पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक, फार्मासिस्ट व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर मानक के अनुसार पदों पर नियुक्ति की जानकारी

20-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कितने पशु चिकित्सालयों में मानक के अनुसार पशु चिकित्सक, फार्मासिस्ट व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि नियुक्त हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर निर्धारित मानक के अनुसार नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल-

जनपद बागपत में कुल 34 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं।

27 पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्साधिकारी तैनात हैं तथा 07 पद रिक्त हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट के सृजित 33 पदों के सापेक्ष 17 पदों पर वेटनरी फार्मासिस्ट कार्यरत हैं तथा 16 पद रिक्त हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सृजित 45 पदों के सापेक्ष 45 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं।

मुख्य पशु चिकित्साधिकरी, बागपत द्वारा रिक्त पदों का कार्य जनपद अंतर्गत निकटतम कार्यरत पशु चिकित्साधिकारियों व कर्मचारियों की स्थानीय व्यवस्था कर सम्पादित कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के एस0जी0पी0जी0आई0 में बेड्स व स्टाफ की बढ़ोत्तरी किये जाने की मांग

21-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में आने वाले मरीजों की मांग के अनुसार बेड्स व स्टाफ की संख्या नहीं होने के कारण बिना इलाज के मरीजों को लौटाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में बेड्स व स्टाफ की बढ़ोत्तरी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी नहीं। एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में आने वाले मरीजों को ओ0पी0डी0/आपातकालीन विभाग में देखा जाता है, यदि शैय्या उपलब्ध रहती है, तो मरीजों को समायोजित/भर्ती कर लिया जाता है अन्यथा समुचित प्राथमिक इलाज/सलाह देकर दूसरे चिकित्सालयों को संदर्भित कर दिया जाता है।

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ एक शैक्षणिक संस्थान है। शैय्याओं का निर्धारण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों के आधार पर मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया के मानक के अनुसार किया जाता है। वर्तमान में 1026 शैय्यायें क्रियाशील हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के जूनियर हाई स्कूल में मानकानुसार शिक्षकों की तैनाती की मांग

22-श्री नफीस अहमद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधाान सभा क्षेत्र गोपालपुर में जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों की कमी के चलते पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्कूलों में मानकानुसार शिक्षक तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

वर्ष 2017-18 हेतु स्थानान्तरण/समायोजन की नीति दिनांक 13-6-2017 को निर्गत की जा चुकी है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के कतिपय ब्लाकों में खराब इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की मरम्मत/रि-बोर कराये जाने की मांग

23-श्री नफीस अहमद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के ब्लाक बिलरियागंज व महाराजगंज में खराब इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के कारण पेयजल की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी अथवा रीबोर कराकर समुचित पीने के पानी की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में पशु चिकित्सालयों में स्टाफ एवं दवा की कमी दूर कर समुचित उपचार व्यवस्था कराने की मांग

24-श्री नफीस अहमद-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के पशु चिकित्सालयों में मानकानुसार स्टाफ व दवाओं की कमी होने के कारण जानवरों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उपरोक्तानुसार समुचित उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के कतिपय विकास खण्डों में लघु व सीमांत कृषकों को सिंचाई हेतु फ्री-बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करने का विवरण

25-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के विकास खण्ड-सुजानगंज मुंगरा बादशाहपुर तथा मछलीशहर के लघु व सीमांत कृषकों को

सिंचाई हेतु सरकार ने फ्री बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2014-2015, 2015-2016 तथा 2016-2017 में कितने कृषकों को यह सुविधा दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल-

जी हां।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के विकास खण्ड-सुजानगंज, मुंगरा बादशाहपुर तथा मछलीशहर के लघु व सीमांत कृषकों को सिंचाई हेतु सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-2015, 2015-2016 एवं 2016-2017 में निम्न तालिकानुसार निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत सुविधा उपलब्ध करायी गयी है :--

क्र0सं0	विकास खण्ड	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1	सुजानगंज	49	138	164
2	मुंगराबादशाहपुर	15	105	281
3	मछलीशहर	108	279	385

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की जानकारी

26-श्री मानवेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2016 में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि शिलान्यास के पश्चात् उक्त मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के नागरिकों के उपचार की सुविधा हेतु उक्त मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

भारत सरकार की केन्द्र सहायतित योजना ''इस्टैबलिशमेंट आफ न्यू मेडिकल कालेजज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल्स'' के अन्तर्गत शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज बनाये जाने हेतु दिनांक 18-06-2016 को मा0 केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार एवं तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा संयुक्त रूप से शिलान्यास किया गया। दिसम्बर, 2016 से निर्माण कार्य प्रारम्भ है।

उक्तानुसार।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के वि0 स0 क्षे0 बछरांवा के प्रा0 विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने की मांग

27-श्री राम नरेश रावत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली में बछरांवा विधान सभा क्षेत्र सहित बाउण्ड्रीवाल विहीन प्राथमिक विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चहारदीवारी निर्माण हेतु भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण बाउण्ड्रीवाल विहीन प्राथमिक विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के वि0 स0 क्षे0 बछरांवा के प्रा0 विद्यालय में पेयजल हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प को अधिष्ठापित किए जाने की मांग

28-श्री राम नरेश रावत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के बछरांवा विधान सभा क्षेत्र के कितने ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें आज तक पेयजल हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प नहीं लगाये गये हैं ? क्या सरकार ऐसे विद्यालयों में पेयजल हेतु हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

विधान सभा क्षेत्र बछरांवा के 05 विद्यालयों में पेयजल हेतु हैण्डपम्प अधिष्ठापित नहीं हैं। हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु कार्यदायी संस्था को सूची तथा धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के वि0 स0 क्षे0 बछरांवा के प्रा0 विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कराये जाने की मांग

29-श्री राम नरेश रावत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली की 177, बछरांवा विधान सभा क्षेत्र के शौचालय विहीन सभी प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायवाल-

विधान सभा क्षेत्र बछरांवा के विकास क्षेत्र शिवगढ़ के निर्माणाधीन प्राथमिक विद्यालय बलेथा एवं अजीतखेड़ा में शौचालय निर्मित नहीं है, विद्यालय निर्माण कार्य के साथ-साथ शौचालय का भी निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

यथाशीघ्र।

उक्तवत्।

जनपद सिद्धार्थनगर के कतिपय ग्राम सभाओं में खराब इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को ठीक कराने की मांग

30-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा सोनवल, कटया और सनई लंगडी में खराब इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को सरकार चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद महराजगंज में स्थित मैरी गौ सदन को श्री दिग्विजयनाथ पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किए जाने की मांग

31-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में स्थित मैरी गौ सदन को महन्थ श्री दिग्विजयनाथ पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के मेवालाल अयोध्या प्रसाद इण्टर कालेज में तैनात सहायक अध्यापकों से योगदान लेने एवं उन्हें वेतन भुगतान किये जाने का प्रकरण

32-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेवालाल अयोध्या प्रसाद इण्टर कालेज, इलाहाबाद में तैनात सहायक अध्यापकों से योगदान लेने एवं उन्हें वेतन भुगतान कराये जाने सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-15788/2012 में दिनांक 30-03-2012 को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश के अनुपालन में उन्हें योगदान कराकर वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

याचिका संख्या-15788/2012 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 30-03-2012 द्वारा मण्डलीय समिति के निर्णय दिनांक 05-03-2012 को स्थगित किया गया है। सम्बन्धित अध्यापकों से योगदान लेने एवं वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों की शिक्षा गुणवत्ता और फीस की बढ़ोत्तरी पर नियंत्रण करने की मांग

33-श्री पंकज सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षा में निजी शिक्षण संस्थानों की शिक्षा गुणवत्ता और फीस बढोत्तरी पर नियंत्रण करने नियामक प्राधिकरण के गठन विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र की पत्रांक संख्या 25/वि0/नोएडा/2017, दिनांक 11 अप्रैल, 2017 माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं। उक्त पत्र का संदर्भ समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में छात्रों को परीक्षाफल व डिग्री समय से उपलब्ध कराने की जानकारी

34-श्री दलवीर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, छात्रों को समय से परीक्षाफल व डिग्री उपलब्ध नहीं करा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय में छात्रों को प्रवेश से लेकर परीक्षा तक होने वाली परेशानियों के समाधान के लिए कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के छात्रों के गत वर्षों का परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है। शैक्षणिक सत्र 2016-17 के समस्त परीक्षाफल घोषित किये जाने की तिथि 15 जुलाई, 2017 निर्धारित की गयी है।

डिग्री उपलब्ध कराने हेतु पृथक से सेल का गठन किया गया है। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की डिग्रियों की साफ्ट प्रति सम्बन्धित महाविद्यालयों की लॉगइन में अपलोड कर दी गयी हैं। महाविद्यालय द्वारा डिग्रियों की जांच करने के उपरान्त मुद्रित कर महाविद्यालयों को शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी। गत वर्षों की डिग्रियों के निस्तारण हेतु ऑनलाइन व्यवस्था भी की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध संघ व जन प्रतिनिधियों की शिकायतों पर जांच के निर्देश

35-श्री राम नरेश रावत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली के विरूद्ध शिक्षक संघ व जनप्रतिनिधियों के माध्यमों से शिकायतें उन्हें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) लखनऊ को जांच के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में लगे हैण्ड पम्पों से निकलने वाले दूषित जल की जांच की जानकारी

36-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में लगे हैण्ड पम्पों से निकल रहे दूषित जल से छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर छात्रों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद-बस्ती के प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में लगे हेण्डपम्पों में से जिन-जिन हैण्डपम्पों के जल नमूनों की जांच जनपदीय प्रयोगशाला में समय-समय पर करायी गयी है। उनमें से किसी भी हैण्डपम्प का जल दूषित होने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के हिन्द एग्रो प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम से लाभांश एवं घाटे की जानकारी

37-श्री दलवीर सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्द एग्रो, अलीगढ़ प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है ? यदि हां, तो इस उपक्रम से सरकार को किस-किस वर्ष में इसके अधिष्ठापन से अब तक कितना लाभांश प्राप्त हो चुका है ? क्या वर्तमान में यह उपक्रम घाटे में है ? यदि हां, तो कितने घाटे में है एवं इसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल-

जी हां।

संयुक्त उपक्रम मैसर्स हिन्द एग्रो इंडस्ट्रीज लि0, नई दिल्ली से प्रदेश के उपक्रम उ0प्र0 पशुधन उद्योग निगम लि0, अलीगढ़ को वित्तीय वर्ष 2000-01 में रु0 10,00,000/- का लाभांश प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है।

जी हां।

मै0 हिन्द एग्रो इंडस्ट्रीज लि0, नई दिल्ली की आडिटेड बैलेन्सशीट 31-03-2016 के अनुसार कम्पनी के घाटे की धनराशि रु0 1,64,73,17,659/- है। इसका कारण आर्थिक मन्दी से व्यवसायिक गतिविधियों का प्रभावित होना है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्री के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

38-श्री पंकज सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा में रु0 649.80 करोड़ की लागत से 10 एकड़ क्षेत्र में बने दि चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल को चाइल्ड एण्ड वुमेन हास्पिटल के रूप में एम्स हास्पिटल संचालित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या-01/वि0/नोएडा/2017, दिनांक 24 मार्च, 2017 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

इस सम्बन्ध में दिनांक 06-06-2017 को भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 07-06-2017 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि एम्स की स्थापना एम्स एक्ट के तहत की जाती है। इसके अन्तर्गत किसी चिकित्सालय को एम्स में परिवर्तित किया जाना प्राविधानित नहीं है। पुनः शासन के पत्र दिनांक 28-06-2017 द्वारा भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को एम्स, नई दिल्ली के विस्तार परिसर या किसी अन्य रूप में ग्रहण कर संचालित किया जा सकता है अथवा नहीं। भारत सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

(घोर व्यवधान के कारण 11 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।)

(तदुपरान्त समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन के वेल में आकर बैठ गये।)

(11 बजकर 32 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये बढ़ा दिया है।)

(11 बजकर 42 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है।)

(11 बजकर 57 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट और बढ़ा दिया है।)

12 बजकर 07 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, कानून-व्यवस्था ध्वस्त है, ध्वस्त है।

(वेल में उपस्थित सदस्यगण भी कानून-व्यवस्था ध्वस्त है के नारे लगाने लगे।)

[12.08] आतंकियों द्वारा अमरनाथ यात्रियों पर किये गये कायराना हमले में मारे गये श्रद्धालुओं के प्रति शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी, एक शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, कृपया अपने-अपने स्थान पर चलें।

(वेल में उपस्थित सदस्य अपने-अपने आसन पर चले गये।)

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस सदन को कल जम्मू कश्मीर के अमरनाथ जी की यात्रा से लौट रहे कुछ श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले की जानकारी देनी है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थित अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा के लिए पूरे देश के श्रद्धालुजन बड़ी संख्या में जाते हैं। यात्रा से लौट रहे एक समूह पर कल रात्रि को कुछ आतंकी समूह ने एक कायराना हमला किया है। यह घटना अनन्तनाग के पास घटित हुई है। हम सब इस आतंकी घटना की पुरजोर निन्दा करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में हम सबको मिल करके इस लड़ाई को सफल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। इस आतंकी हमले में 07 श्रद्धालुओं के मारे जाने की सूचना है, कुछ श्रद्धालु घायल भी हैं। हमारे सुरक्षाबल के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी यात्रा को सुरक्षित सम्पन्न कराने के लिए वहां पर लगे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस पूरी घटना की समीक्षा स्वयं की है और सभी श्रद्धालुजनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये आवश्यक हिदायत भी वहां दिये हैं। यह एक कायराना कृत्य है और पूरे देश को इस प्रकार की कायराना हरकतों की पुरजोर निन्दा करनी चाहिए क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ यह लड़ाई किसी एक राज्य की नहीं, किसी एक सरकार की नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई है और पूरे देश की इस लड़ाई में हम सबको इस राष्ट्र के एक नागरिक के रूप में सहयोग करना चाहिए जिससे इस देश से आतंकवाद का नामो-निशान मिट सके और इस देश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। (मेजें थपथपाई गईं) महोदय, इस घटना के तत्काल बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय की एक आवश्यक बैठक रात्रि में ही की है। सावन का महीना वैसे भी काफी महत्वपूर्ण महीना है, एक पवित्र मास है। बड़ी मात्रा में श्रद्धालुजन इस अवसर पर शिवालयों में, पवित्र ज्योर्तिलिंगों में जलाभिषेक का कार्यक्रम करते हैं और उत्तर प्रदेश में भी इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन इस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में पूरी व्यवस्था तय की है

और रात्रि में ही पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी करते हुए श्रद्धालुजनों की सुरक्षा के साथ-साथ हर संभव मदद सभी श्रृद्धालुओं को प्रदान करने की व्यवस्था की है। हम लोगों ने इस सम्बन्ध में कॉवड़ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से भी कुछ अपील की है। खासतौर पर यह देखा जाता है कि जहां पर भीड़-भाड़ होती है, समूह इकट्ठा होता है, तो वहां पर कुछ शरारती तत्व उसका लाभ उठा करके कोई भी ऐसी घटना घटित कर सकते हैं जिससे वह न केवल सुरक्षा के लिये अपितु कानून-व्यवस्था के लिये भी गम्भीर संकट पैदा कर सकती हो। इसके बारे में अलर्ट जारी किया गया है और सावधानी बरतने के लिये भी कहा गया है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड समेत अन्य संबंधित राज्यों जो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं उनके अधिकारियों के साथ लखनऊ में मैंने स्वंय भी बैठक ली थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदेश के डी0जी0पी0 और प्रमुख सचिव गृह ने भी जा करके उन राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस बात को सुनिश्चित किया हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित हो। हम लोगों ने दोनों प्रकार की व्यवस्था की है। एक तरफ कांवड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं से इस सम्पूर्ण व्यवस्था में सहयोग की अपील की है। उनको इस यात्रा के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ-साथ उनकी भावनाओं का भी सम्मान रखते हुए इस बात की व्यवस्था की गई है कि पहले से चली आ रही उन जबरन की घटनाओं पर रोक भी हम लोगों ने लगाई है कि ऐसा कुछ न हो जिससे कोई श्रद्धालु की भावना आहत हो। कांवड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिये एक व्यवस्था बनाई गई है कि वह प्रातः 6.00 बजे से लेकर रात्रि 10.00 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं यात्रा के दौरान और इसको कोई भी प्रशासन जबरन रोकेगा नहीं, उन्हें उसकी परमीशन, कांवड़ यात्रा में जाने वाली समितियों को इसकी परमीशन, संबंधित जिला प्रशासन से लेनी होगी। साथ ही साथ उनसे यह भी आग्रह किया गया है, उनसे यह भी अपील की गई है कि सभी कांवड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालू अपना आई0डी0 प्रूफ अपने साथ रखें जिससे किसी भी प्रकार का पहचान का संकट न हो, क्योंकि अगर कहीं पर कोई तुरत कार्यवाही करनी हो सुरक्षा बलों को,उस समय पहचान का संकट किसी के सामने न आने पाए इस तरह की भी अपील उनसे की गई है। खासतौर पर यह यात्रा पूरे प्रदेश के अन्दर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी,पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और प्रदेश के अन्य भागों में भी हर जगह लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, पवित्र ज्योर्तिलिंगों में जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा और पूरी सर्तकता प्रदेश सरकार द्वारा उनके संबंध में बरती जा रही है मैं आज के इस अवसर पर एक बार अमरनाथ जी की यात्रा में, पवित्र यात्रा करके लौट रहे श्रद्धालूजनों पर जो एक कायराना हमला कल रात्रि को एक आतंकी समूह के द्वारा किया गया है इस घटना की भर्त्सना करता हूं इसकी निन्दा करता हूं और पूरे सदन से इस बात की अपील करता हूं कि वह इस प्रकार की किसी भी आतंकी घटना को किसी अन्य एंगिल से जोड़ने के बजाय इस प्रकार की घटना की पुरजोर शब्दों में निन्दा करें और आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में इस देश के प्रत्येक नागरिक को मिलकर के इस लड़ाई में सहयोग करना चाहिए और इस अवसर पर मैं जो श्रद्धालुजन कल की आतंकी घटना के शिकार हुए हैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजली अर्पित करता हूं। जो घायल हुए हैं उनके प्रति और पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और उत्तर प्रदेश सरकार पुरजोर ढंग से इस बात को कह सकती है कि देश की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम पूरी मजबूती के साथ भारत सरकार के इस अभियान के साथ खड़े हैं। धन्यवाद।

नेता विरोधी दल (श्री रामगोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने जो शोकोद्गार व्यक्त किया है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और इस आतंकी घटना की मैं पुरजोर शब्दों में निन्दा करता हूं। धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना यह कहीं भी क्षम्य नहीं है। लोग पूरी श्रद्धा से अपने देवताओं के दर्शन करते हैं आशीर्वाद मांगते हैं और इस तरह से कायराना हमला करके जो हमारे श्रद्धालुओं पर कार्यवाही की गई है यह आतंकवादियों के लिए और हम लोगों के लिए दोनों लोगों के लिए चुनौती है। इस पर पक्ष और विपक्ष पूरे प्रदेश की जनता श्रद्धालुओं के साथ खड़ी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश में भी हमने अधिकारियों को एलर्ट किया है इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और यह ऐसा समय है, पूरा एक महीना इसमें सर्तक रहने की जरूरत है। यह एक दो दिन का मामला नहीं है पूरा एक महीना सावन में यह चलेगा। अमरनाथ जी कितनी कठिनाई से यात्रा करके लोग जाते हैं और इसलिए जाते हैं कि देवाधिदेव महादेव का हम दर्शन करेंगे और अगर यह सही है कि हम स्वर्ग में भी जाएंगे तो उनके दर्शन का लाभ उठायेंगे। लेकिन अति निन्दनीय घटना करके आतंकवादियों ने देश की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का जो काम किया है उसकी पुरजोर जितनी भी निन्दा की जाए वह कम है। और केन्द्र सरकार हो, दुनिया में प्रधानमंत्री घूम रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में एकजुटता भी बन रही है फिर भी इनके हौसले बुलन्द होते जा रहे हैं। एक त्वरित रणनीति के तहत यह आवश्यक हो गया है कि आतंकवादियों के खिलाफ देश भी एकजुट हो। दलीय भावनाओं से उठकर एकजुट हो और आतंकवादियों को हिन्दुस्तान ऐसा सबक सिखाए कि फिर कभी उनकी हिम्मत न पड़े। हिन्दुस्तान में किसी भी धार्मिक भावना वाले लोगों पर, सेना पर पुलिस पर और नागरिक पर जो हमला करके उनको मौत के घाट उतार रहे हैं इससे निन्दनीय कार्य कोई हो ही नहीं सकता। मैं अपने दल की तरफ से पूरे विपक्ष की तरफ से अमरनाथ यात्रा में जिन दर्शनार्थियों की अकारण मौत हो गई है मैं उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार तक आप हमारी शोक संवेदनाएं भेजें और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग घायल हैं जल्दी से स्वस्थ हों और पूरा अमरनाथ जी का दर्शन करके वह अपने घर वापस आएं बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अमर नाथ यात्रा की इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए और शोक-संवेदना व्यक्त करने के लिए जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय नेता विरोधी दल के साथ सम्पूर्ण सदन ने रखा है उससे पूरे सदन को जोड़ते हुए मैं शोक संतृप्त परिवार को इस आदरणीय सदन की भावनाएं प्रेषित करूंगा और पूरे आदरणीय सदन से अनुरोध है कि दो मिनट के लिए अपने आसन पर खड़े होकर मौन धारण करें।

सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुये।

[12.22] वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष-

माननीय वित्त मंत्री जी बजट प्रस्तुत करें।

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आय-व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

बजट की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित की जाएं।

(प्रतियां वितरित की गईं)

श्री राजेश अग्रवाल-

मान्यवर, महान लोकतांत्रिक परम्पराओं से परिपूर्ण अपने इस उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे आदरणीय सदन के सम्मानित जनसेवी सदस्यों के समक्ष इस गौरवशाली सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वित्तमंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। मार्च, 2017 में प्रदेश के आम चुनाव में छद्म धर्मनिरपेक्ष ताकतों, अराजक तत्वों और अवसरवादी गठजोड़ों को खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी में सम्पूर्ण विश्वास के साथ प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 312 सदस्यों एवं सहयोगी दलों के 13 सदस्यों के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया।...

(बजट भाषण जारी)

जो जनादेश हमें प्राप्त हुआ है, उससे अभिभूत होकर मैं इस परम आदरणीय सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं तथा आदर प्रदर्शित करने हेतु मैं यहां उपस्थित हूं। इस महान प्रदेश को समर्पित भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार इस जनादेश की मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये सतत् क्रियाशील रहकर सदैव प्रयत्न करेगी।

राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का स्मरण करना हमारी प्रतिबद्धतर है। उनको नमन करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के सामने अनेक चुनौतियां है। हमें विरासत में सीमित संसाधन और आर्थिक दृष्टि से विपन्नता प्राप्त हुई है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि विरासत भली है तो खुशहाली है और आगे के कार्यक्रम भी सुगम होते हैं। विगत सरकार से हमें जो प्राप्त हुआ है, उसकी दुःखद सच्चाई से अपने को मोड़ा नहीं जा सकता। इस प्रदेश को विरासत में अपराध एवं अराजकता, निराशावाद और जातिवाद के जहर से जूझता प्रदेश, साम्प्रदायिक उन्माद एवं साम्प्रदायिक दंगों से जलता उत्तर प्रदेश, राजनीति के अपराधीकरण, खनन और भू-माफिया की अवसरवादिता-विकास की दृष्टि से अवरोधित ऐसा उत्तर प्रदेश हमें विरासत में प्राप्त हुआ है।

मान्यवर,

बजट की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुये मुझे एक शायर की पक्तियां याद आ रही हैं-

''वतन की रेत, मुझे एड़ियां रगड़ने दे,
मुझे यकीं है, पानी यहीं से निकलेगा।''

हमारी सरकार की कल्याणकारी अवधारणा और विचारधारा जिससे अब तक सभी लोग परिचित हो चुके हैं, मैं क्रमशः संक्षेप में आपके समक्ष पस्तुत कर रहा हूं :-

'लोक कल्याण संकल्प-पत्र-2017' में हमने कहा कि हम ऐसे प्रदेश के निर्माण के लिये प्रतिबद्ध हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि हो और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिले। पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी ने अपने मार्ग दर्शन में कहा है-

''अर्थ व्यवस्था में न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान (पीने का पानी) शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा होनी चाहिये। इनकी पूर्ति हेतु साधन चाहिये। यह सम्भव होगा जब देश के हर आदमी को काम मिलेगा। इसलिए हर हाथ को काम अर्थव्यवस्था का आधारभूत लक्ष्य होना चाहिये।''

परम आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकास के मूल मंत्र "सबका साथ-सबका विकास" इस ध्येय वाक्य को सम्बल प्रदान करते हुये "मनसा वाचा कर्मणा" के साथ उत्तर प्रदेश के कर्मठ माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उपर्युक्त मूल मंत्र से प्रदेश के चहुंमुखी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उक्त ध्येय वाक्य को एक संजीवनी के रूप में मूर्त स्वरूप देने के लिये प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का स्पष्ट संदेश है कि हम राष्ट्र की प्रगति को नये शिखर पर ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये ठोस प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं। इसके परिणाम भी अंकुरित होने प्रारम्भ हो गये हैं। पिछली सरकारों के 15 वर्षों के कार्यकाल में जनता और अर्थव्यवस्था बेहाल हुई है, किन्तु अब प्रदेश में नव ऊर्जा का संचार हुआ है। उत्तर प्रदेश के लिए विकास एकमात्र मंत्र है। प्रदेश में गरीबी को समाप्त करना हमारी सरकार का लक्ष्य है। माननीय मुख्य मंत्री जी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश अगले पांच वर्षों में 10 प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त करे।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बता दिया गया है कि अपराध तथा अपराधियों के संरक्षणदाताओं के लिये प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। ऐसे तत्वों से पूरी सख्ती के साथ निपटा जायेगा और अगर किसी ने गरीब, निरीह, कमजोर या किसी ने गरीब, निरीह, कमजोर या किसी व्यापारी का उत्पीड़न किया तो फिर उसको प्रदेश की कानून-व्यवस्था दण्डित किये बिना नहीं छोड़ेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी का स्पष्ट मत है कि ''निर्दोषों को छेड़ेंगे नहीं, दोषियों को छोड़ेंगे नहीं''।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के शब्दों में कहना चाहूंगा कि सरकार ने प्रदेश के सर्वागीण विकास और सुशासन की बात कही है और यह सरकार सर्वांगीण विकास और सुशासन हेतु एक भय-रहित समाज स्थापित करके रहेगी, यह हमारा संकल्प है।

मान्यवर, प्रस्तुत बजट लोक कल्याण की अवधारणा के मूल मंत्र से प्रेरित है। इसमें किसानों, दुर्बल वर्ग, महिलाओं एवं बालिकाओं, बुजुर्गों और युवा वर्ग को समाज में भयरहित वातावरण प्रदान करने और सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए सक्षम बनाने की योजनायें सम्मिलित हैं।

हमारा यह बजट ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी आवश्यकताओं बिजली, पानी, सड़क आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधायें समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों के आर्थिक उत्थान को समर्पित है। हमने इस बजट में किसानों की आय में वृद्धि तथा उनके सशक्तिकरण, ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास और रोजगार के अवसर सृजित करने की योजनाओं का समावेश किया है।

इस बजट में जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया है वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को आधुनिकता के पथ पर त्वरित गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए अनेकों कार्यक्रम और योजनायें बजट में शामिल की गयी हैं। इनमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, प्रदेश के पांच महानगरों में मेट्रो, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017, विशेष निवेश बोर्ड का गठन, सिंगल विन्डो क्लियरेन्स की व्यवस्था, मेक इन यू0पी को बढ़ावा, पावर फार आंल आदि कुछ प्रमुख योजनायें हैं। इसके अतिरिक्त शीध्र ही राज्य सरकार टेक्सटाइल नीति लाने जा रही है। इलेक्ट्रांनिक्स और मैनुफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी नीतियां लायी जायेंगी। हमारा यह संकल्प है कि डिजिटल इण्डिया को हमारा प्रदेश और गति प्रदान करे। इसके लिए गरीबों और जरूरतमंदों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए ''टेली लां सर्विस कांमन सर्विस सेन्टर्स'' की स्थापना, छः महीने में राज्य के 100 चिकित्सालयों को ''ई-हांस्पिटल'' योजना से आच्छादित करना, प्रदेश के विभिन्न नगरों में बिजनेस प्रांसेस आउटसोर्सिंग केन्द्रों की स्थापना जैसे कार्यक्रम चलाये जायेंगे। शीघ्र ही सचिवालय में 'ई-आंफिस प्रणाली' लागू की जायेगी।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए बुन्देलखण्ड क्षेत्र को दिल्ली से एक्सप्रेस-वे द्वारा प्राथमिता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण द्वारा जोड़े जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है। बुन्देलखण्ड स्थित कतिपय राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने का प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है।

आप सभी अवगत हैं कि हमारी सरकार ने मंत्रि परिषद् की पहली बैठक में ही यह निर्णय लिया कि प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2016 तक लिये गये फसली ऋण के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च, 2017 तक की अवशेष राशि में से एक लाख रूपये तक की अदायगी राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। इस निर्णय की घोषणा होने से अन्नदाता के घरों में मुस्कान लौट आई। मैं इस सम्मानित सदन को यह बताना चाहूंगा कि इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिये लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शीघ्र ही उन किसानों के बकाया फसली ऋण की अदायगी राज्य सरकार द्वारा किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। किसानों द्वारा ऋण की अदायगी न किये जाने के कारण एन0पी0ए0 हो चुके खातों के लिये बैंकों से विमर्श कर एक मुश्त समाधान योजना लायी जायेगी। यही नही, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस योजना से आच्छादित किसी भी कृषक को कोई नोटिस देकर परेशान नहीं किया जाय। मैं इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि फसली ऋण मोचन के लिये बजट में 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

माल के उत्पादन, आपूर्ति, खरीद या बिक्री तथा सेवाओं पर लगाये जा रहे अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित करते हुये केन्द्र एवं राज्य स्तर पर माल एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) प्रणाली दिनांक 01 जुलाई, 2017 से लागू हो गयी है। इसका उद्देश्य देश में माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर की समान व्यवस्था लागू करना, करों के 'कर भार' प्रभाव को दूर करना तथा माल एवं सेवाओं के लिए ''एकीकृत राष्ट्रीय बाजार'' स्थापित करना है। संसद में इस हेतु संविधान में यथोचित संशोधन किया गया है। उपभोक्ताओं के लिये इस योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ करों का बोझ एवं इसकी जटिलतायें कम होना होगा।

प्रदेश में माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 दिनांक 19 मई, 2017 को अधिसूचित कर दिया गया है। भारत सरकार की एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की संकल्पना पर आधारित माल एवं सेवा कर से आर्थिक वृद्धि होगी तथा कर आधार बढ़ने, व्यापार बढ़ने तथा कर व्यवस्था के सरलीकृत होने

के कारण केन्द्र एवं राज्यों के राजस्व में भी वृद्धि की संभावना है। किसानों के हित में अधिकांश कृषि उत्पादों पर कर की दर 'शून्य' रखी गयी है। छोटे व्यापारियों के एक बड़े वर्ग को जी0एस0टी0 में पंजीकरण से छूट दी गयी है, वहीं दूसरे बड़े वर्ग को जी0एस0टी0 में आसान तरीके से जोड़ा गया है। यह प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। विभिन्न प्रक्रियाओं के निस्तारण के लिये समयबद्ध व्यवस्था है। इस प्रणाली में सभी कार्य आंन लाइन किये जायेंगे तथा करदाता को किसी कार्य के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रणाली की पारदर्शिता के कारण इसे प्रशासित करना भी सरल होगा।

जी0एस0टी0 जागरूकता हेतु पूरे प्रदेश में लगभग दो हजार से अधिक जी0एस0टी0 कार्यशालाएं आयोजित की गयी हैं जिनमें से लगभग ढाई लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जी0एस0टी0 से सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण हेतु वाणिज्य कर के सभी मंडलीय कार्यालय में 'जी0एस0टी0 हेल्प डेस्क' व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई है।

'लोक कल्याण संकल्प-पत्र-2017' में हमने कहा कि सरकार बनने के बाद प्रथम दिवस से ही राज्य को विकास और खुशहाली के मार्ग पर आगे ले जाना हमारा लक्ष्य होगा। सरकार गठन के तत्काल पश्चात् हमने विकास के नये आयामों को प्राप्त करने के लिए किसानों से सीधे गेहूं तथा आलू खरीद, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, नई खनन नीति, ठेके तथा पट्टे में ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था, कार्यालयों में समय से उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय, एंटी-भू-माफिया टास्ट फोर्स का गठन, एंटी-रोमियो स्क्वायड का गठन, अवैध बूचड़खानों पर रोक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार, महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम, कुपोषण को दूर करना, 'मेक इन यू0पी0' को बढ़ावा दिये जाने का निर्णय, कौशल विकास को बढ़ावा, सुगम यातायात सुविधायें, मेट्रो तथा हवाई सेवाओं के विस्तार का निर्णय, भारत सरकार से पॉवर फांर आल पर सहमति, पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड में विकास हेतु नये प्रयास, वी0आई0पी0 कल्चर को समाप्त करना, 24 जनवरी को ''उत्तर प्रदेश दिवस'' मनाने का निर्णय तथा भ्रष्टाचार पर रोक हेतु कड़े कदम उठाये गये।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश की अपार संभावनायें होते हुए भी विगत सरकार की नीतियों एवं प्रदेश में व्याप्त कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण प्रदेश में अपेक्षित निवेश नहीं हो पाया। प्रदेश में नई ''औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017'' लागू की जा रही है, जिसका लक्ष्य रोजगार सृजन एवं प्रदेश का स्थायी, समेकित तथा संतुलित आर्थिक विकास को बल देना है।

इस नीति में बुनियादी सुधार एवं व्यापार करने में सहजता पर विशेष बल दिया गया है तथा यह रोजगार सृजन से भी जुड़ी हुई है। इस नीति के अन्तर्गत ''सिंगल विंडो क्लीयरेंस'' की व्यवस्था की जायेगी तथा माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में ''राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड'' का गठन किया जायेगा। प्रदेश में ''मेक इन यू0पी0'' को बढ़ावा दिया जायेगा। निजी क्षेत्र द्वारा बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में 100 एकड़ तथा मध्यांचल में 150 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित औद्योगक पार्को एवं एस्टेटों तथा बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल में 50 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित एग्रो पार्कों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे। स्थापित इकाइयों की सुरक्षा हेतु समर्पित पुलिस बल को तैनात किया जायेगा।

इस नीति के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं दिव्यांग उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को

प्रोत्साहित किये जाने हेतु ''मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना'' प्रारम्भ की जा रही है। निवेश को प्रोत्साहन एवं ब्राण्ड उत्तर प्रदेश के विपणन को सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश को ''वैश्विक निवेश केन्द्र'' के रूप में प्रस्तुत किये जाने हेतु ''ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट'' आयोजित की जायेगी। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के स्थानीय स्तर के विशेष व्यवसायों के प्रचार पर पर्याप्त बल दिया जायेगा। मैं यहां अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार के पहले 100 दिनों में सुपर मेगा श्रेणी के अन्तर्गत सैमसंग द्वारा 4 हजार 800 करोड़ रुपये और इंटक्स द्वारा मेगा श्रेणी के अन्तर्गत 372 करोड़ रुपये का निवेष स्वीकृत किया गया है।

प्रदेश में ''माइक्रोइरिगेशन'' कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किये जाने हेतु ''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना'' लागू है, जिसके उप घटक ''पर ड्रांप मोर क्रांप-माइक्रोइरिगेशन'' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद हैं। इस योजना के अन्तर्गत बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसलें सम्मिलित है। कार्य योजना वर्ष 2017-18 के अनुसार बागवानी फसलों में 18 हजार 13 हेक्टेयर एवं कृषि फसलों में 22 हजार 139 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित होंगे, जिसमें 2 हजार 903 हेक्टेयर गन्ना फसल क्षेत्र सम्मिलित है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत पर लघु सीमान्त कृषकों को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था निर्धारित कर दी गयी है तथा अनुदान का भुगतान कृषकों को सीधे उनके बैंक खातों में किया जायेगा।

प्रदेश को यह सौभाग्य अनेक वर्षों बाद प्राप्त हुआ है कि केन्द्र तथा राज्य में एक जैसी प्रगतिशील विचारधारा की सरकारें हैं। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का साधुवाद करता हूं। साथ ही इस सुयोग का लाभ प्रदेशवासियों को मिले, इस दिशा में यह सरकार पूर्ण मनोयोग से जुटी है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक क्षेत्र में यथासंभव प्रदेश की विकास योजनायें केन्द्र की योजनाओं के समन्वय से चलायी जायें। गत सरकारों में ऐसे प्रयास कम ही किये गये।

''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना'' के घटक ''पर ड्राप मोर क्राप-अदर इन्टरवेंशन'' के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 159 तालाबों के पुनर्विकास की कार्य योजना इस वर्ष हेतु तैयार की गयी है।

''मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम'' प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम है, जिसमें सभी आवश्यक मानकों का परीक्षण होता है। परीक्षण के उपरांत ''मृदा स्वास्थ्य कार्ड'' पर कृषकों को अपेक्षित फसलों में संतुलित उर्वरक या खादों के प्रयोग की निर्धारित मात्रा की जानकारी भी उपलब्ध करायी जाती है। खरीफ फसलों हेतु कृषि विभाग द्वारा किसान गोष्ठी मेला तथा कृषक-प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि की नवीन तकनीकों के साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है। मृदा नमूने का विश्लेषण निःशुल्क किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 7 लाख मृदा नमूने एकत्र किये जा चुके हैं। इस कार्यक्रम में किसानों को खेतों में संतुलित मात्रा मे विभिन्न तत्वों और खादों के प्रयोग तथा मिट्टी के उपचार की जानकारी मिलेगी जो उत्पादन में वृद्धि तथा कृषि लागत में कमी में सहायक सिद्ध होगी जिसका सीधा सम्बन्ध किसानों की आय वृद्धि से है।

प्रदेश के शहरी गरीबों को व्यापक स्तर पर आवास दिलाने का केन्द्र सरकार एवं हमारी सरकार का संकल्प है। इसके लिए ''प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन'' का लाभ लेते हुये प्रदेश सरकार तत्परता से कार्यवाही कर रही है। गत वर्षों में इस दिशा में अधिक ध्यान नहीं दिया गया।

जबकि हमारा संकल्प है कि हम तत्काल दो लाख गरीबों को आवास दिलाने की कार्यवाही प्रारम्भ करें और वर्ष 2022 तक शहरों में रहने वाले सभी पात्र व्यक्तियों का निजी आवास हो जाये। इसके लिये राज्य सरकार ने आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करायी है। केन्द्र एवं राज्य सरकार के परस्पर सहयोग से यह कार्य सुगमता से सम्पादित होगा।

मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारी सरकार की पहल के फलस्वरूप पिछले कुछ समय में ही हम प्रदेश को वेंटीलेटर लगी हुई 150 लाईफ सपोर्ट एम्बुलेन्स उपलब्ध करवा चुके हैं और हर जनपद को ऐसी दो-दो लाईफ सपोर्ट एम्बुलेन्स दी जा चुकी हैं। ऐसी 100 एम्बुलेन्स और उपलब्ध कराये जाने के प्रयास जारी है। इससे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके अतिरिक्त भी हमारी विशेष प्रतिबद्धता है। चाहे मस्तिष्क ज्वर हो या अन्य महामारी, उनके निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही हम स्वास्थ्य व चिकित्सा पर ध्यान देकर लोगों के जीवन में सुधार लाायेंगे। यह लक्ष्य रखा गया है कि असेवित विकास खण्डों में चिकित्सालयों की स्थापना करायी जाए और ऐसे मण्डलों जिनमें मेडिकल कालेज नहीं है, में मेडिकल कालेजों की स्थापना करायी जाय।

मान्यवर, मुझे यह बताते हुये हर्ष है कि 15 मई, 2017 तक मां गंगा के किनारे 1 हजार 627 गांवों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है। 31 दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश के 30 जनपदों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2019 में गांधी जी की जयन्ती के डेढ़ सौ वर्ष होने जा रहे हैं। हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि अगले वर्ष गांधी जी की जयन्ती 02 अक्टूबर, 2018 तक उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाये। हमारी सरकार की सोच है कि इसमें जन सहभागिता सुनिश्चित कर लक्ष्य को प्राप्त किया जाये।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 'इंसेफ्लाइटिस' (मस्तिष्क ज्वर) की बीमारी के पीछे एक प्रमुख कारण है 'गन्दगी' पूर्वी उत्तर प्रदेश के 38 जिले इस बीमारी से प्रभावित हैं, जिनमें से 7 जिलों में इस बीमारी का प्रकोप अत्यधिक है। इस बीमारी में उपचार से ज्यादा महत्वपूर्ण है- 'बचाव' और बचाव के लिये आवश्यक है 'स्वच्छता' जिसके लिये प्रभावकारी प्रयास किये जा रहे हैं। इन जनपदों में हमारी सरकार के पहले 100 दिनों में विशेष कैम्प लगाकर टीकाकरण अभियान चलाकर 88 लाख 62 हजार बच्चों को प्रतिरोधक टीका लगाया जा चुका है। इसी अवधि में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य कैम्प' लगाकर 87 लाख बच्चों का टीकाकरण कराया गया।

'महिला सम्मान कोष' के अन्तर्गत 'हेल्प डेस्क' की स्थापना की गई है, जिससे चिकित्सालयों में आनी वाली गरीब महिलाओं एवं बच्चों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हो रही हैं।

चिकित्सकों की उपलब्धता बनाये रखने की दृष्टि से व्यापक जनहित में उनकी सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है तथा एक हजार चिकित्सकों के पदों को वॉक-इन इण्टरव्यू के माध्यम से भरा जायेगा।

गरीब जनता को जेनेरिक दवाइयां सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए समस्त राजकीय चिकित्सालयों में जेनेरिक औषधियों की उपलब्धता हेतु 'प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र' की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, समाज के अन्तिम सोपान पर खड़े व्यक्ति को तात्कालिक एवं गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार द्वारा पूरे मनोयोग से सकारात्मक प्रयास किये जा रहे है।

सरकार मे आते ही हमने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 'स्वच्छता की शपथ' दिलाई। इसमें यह शपथ दिलाई गई कि प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने कार्यस्थल को स्वच्छ रखेगा, अपितु अपने घर, मोहल्ले को भी साफ रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति 100 और व्यक्तियों को 'स्वच्छता की शपथ' दिलायेगा। हमारी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि प्रदेश में स्वच्छता की सोच और संस्कृति विकसित हो।

हमारी सरकार ने महापुरुषों के सम्मान के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में कार्य संस्कृति को बढ़ावा देते हुए एक अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पिछली सरकारों ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से विभिन्न महापुरुषों के नाम में अनेक छुट्टियां घोषित की। हमारी सरकार ने ऐसी 15 छुट्टियों के स्वरूप को बदलकर उनको निर्बन्धित अवकाश की श्रेणी में स्थापित किया और यह निर्देश दिये गये कि इन महापुरुषों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किये जायें तथा स्कूली छात्र-छात्राओं तथा अन्य लोगों को महापुरुषों के बारे में जानकारी दी जाये। इससे सभी को प्रेरणा मिलेगी तथा कार्य संस्कृति का विकास होगा।

मान्यवर, अब तक प्रदेश में नेताओं, अभिनेताओं आदि के नाम पर विद्यालयों आदि का नामकरण किये जाने की परम्परा रही है। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय लिया है कि सीमा पर शहीद होने वाले जवानों के नाम पर विद्यालयों, चिकित्सालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि का नामकरण किया जाए ताकि उन शहीदों के नाम हमारी दृष्टि को नित पावन करते रहें तथा हमारे युवाओं के हृदय में देशभक्ति, निःस्वार्थ निष्ठा और अदम्य साहस का संचरण करते रहें।

उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार कानून का राज स्थापित करने तथा सुशासन एवं जन सहभागिता के माध्यम से तीव्र एवं संतुलित विकास की नींव रखने हेतु कृत संकल्प है। इस क्रम में हमारा युवाओं पर विशेष ध्यान रहेगा। हम सभी मामलों में अपनी पार्टी के 'लोक कल्याण संकल्प-पत्र-2017' के अनुरूप बिना किसी भेदभाव के एवं पारदर्शी तरीके से प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रदेश में पूर्व में व्याप्त हुए अवैध खनन सम्बन्धी भ्रष्टाचार से सभी परिचित हैं। इससे प्रदेश सरकार को बहुत अधिक आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी। अवैध खनन परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण करते हुए खनन प्रक्रिया में सरलीकरण, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा एवं राजस्व वृद्धि हेतु 'उत्तर प्रदेश खनन नीति-2017' लागू की गयी। इस नीति के अन्तर्गत खनिजों के परिहार की स्वीकृति हेतु ई-टेण्डर, ई-नीलामी तथा ई-बिडिंग प्रणाली लागू की गयी है। खनन संक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के विकास एवं सुविधाओं हेतु 'जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली-2017' प्रख्यापित की गई है।

नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल (एन0जी0टी0) के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रदेश सरकार को अवैध बूचड़खानों के मुद्दे को लेकर एक निर्देश जारी किया। हमारी सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय और एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम में निर्धारित मानकों का पालन पूरी सख्ती से करवाया गया। इस प्रकरण को लेकर प्रदेश में अशान्ति फैलाने का प्रयास भी किया गया, परन्तु हम सभी पक्षों को यह समझाने में सफल रहे कि इन मानकों का पालन करना पूरे समाज के व्यापक हित में है और इस बात को सभी ने माना एवं सहयोग भी प्रदान किया। इससे हमारी पर्यावरण तथा समाज के प्रति प्रतिबद्धता भी दृष्टिगोचर होती है।

प्रदेश में उपलब्ध विपुल वन सम्पदा एवं विविध बन्य जीवों को संरक्षित एवं संवर्धित करते हुए इको-टूरिज्म को हमारी सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जायेगा। कुकरैल अभयारण्य, सोगीबरवा अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी बिहार, दुधवा नेशनल पार्क एवं चम्बल अभयारण्य आदि वन्य जीव विहारों में पर्यटकों को आकर्षित किये जाने हेतु आधुनिक पर्यटन अवस्थापना सुविधा, इको-टूरिज्म ट्रेल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जायेगा। इससे जहां प्रदेश में इको-टूरिज्म तथा एडवेन्चर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और देशी-विदेशी पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि होगी वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्र का आर्थिक-सामाजिक विकास होगा।

सरकार द्वारा पहली बार शासकीय, ग्राम पंचायत व निजी व्यक्तियों की भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु 'एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स' का गठन किया गया है तथा 'एन्टी भू-माफिया पोर्टल' स्थापित किया गया है। हमारी सरकार के पहले 100 दिनों के कार्यकाल में लगभग 5 हजार 895 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया जा चुका है। इसी अवधि में जन सामान्य की सुविधा हेतु 94 चकबन्दी न्यायालयों में 'कम्प्यूटरीकरण प्रबंधन प्रणाली' विकसित कर ली गयी है।

प्रदेश में अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण उत्पन्न कर कानून का राज स्थापित करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। थानों में आने वाले फरियादियों के साथ शिष्टता, उनकी समस्याओं पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट का शत-प्रतिशत पंजीकरण करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 'एन्टी-रोमियो स्क्वायड' गठित कर महिलाओं की सुरक्षा सुदृढ़ की गई।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु '181-महिला हेल्पलाइन, उत्तर प्रदेश' के 06 सीटर कांल सेन्टर को 30 सीटर काल सेन्टर में विस्तारित कर दिया गया है 'महिला सशक्तीकरण मिशन' के अन्तर्गत प्रदेश के अवशेष 64 जनपदों में 'रेस्क्यू वैन' उपलब्ध कराने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। उक्त वेन सेवा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जी0पी0एस0) से लैस तथा 181-महिला हेल्पलाइन में जूड़ी रहेगी, जिससे किसी भी महिला के उत्पीड़न, आपदा की दशा में 181 डायल किये जाने पर तत्काल सहायता पहुंचेगी।

कृषकों को गेहूं खरीद केन्द्रों पर छनाई-सफाई-उतराई के व्यय भार के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त मण्डी समिति द्वारा दी जा रही सहायता को तीन रुपये प्रति कुन्तल से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति कुन्तल की दर से भुगतान किया गया है। रबी विपणन वर्ष 2017-2018 में 'मूल्य समर्थन योजना' के अन्तर्गत 36.99 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद की गयी है, जो कि गत वर्ष की कुल खरीद 7.97 लाख मीट्रिक टन से लगभग 4.5 गुना अधिक है। कृषकों को 5 हजार 925 करोड़ रुपये का भुगतान 'आर0टी0जी0एस0' के माध्यम से अविलम्ब किया गया। पं0 दीन दयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में वर्ष 2017 को ''गरीब कल्याण वर्ष'' के रूप में मनााये जाने का निर्णय लिया गया है।

सरकार द्वारा गन्ना किसानों को 22 हजार 682 करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित कराया गया जो गत वर्ष के सापेक्ष 9 हजार 440 करोड़ रुपये अधिक है। गन्ना किसानों की शिकायत निवारण हेतु विभागीय टोल फ्री नम्बर-1800-121-3203 जारी किया गया है। प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को 'गन्ना किसान दिवस' का आयोजन शुरू किया गया है, जिसमें किसानों की समस्याओं का स्थानीय एवं त्वरित निदान कराया जा रहा है। निःशुल्क 'गन्ना शोध सूचना प्रणाली' शुरू कराई गई है जिसके माध्यम से प्रथम चरण में प्रदेश के लगभग 60 हजार गन्ना किसानों को एस0एम0एस0 भेजे जा रहे

हैं। ''गन्ना विभाग किसान के द्वार, तुरन्त सदस्यता पहली बार'' के स्लोगन के साथ घर बैठे गन्ना समिति का सदस्य बनाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत 15 हजार 176 किसानों को गन्ना समिति की सदस्यता दी गयी है। गन्ना विकास विभाग द्वारा पूर्व निर्मित 534 किलो मीटर सम्पर्क मार्गों को 30 जून, 2017 तक गड्ढामुक्त किया गया।

निगम क्षेत्र की 2 बन्द पड़ी चीनी मिलों, गोरखपुर में पिपराइच एवं बस्ती में मुण्डेरवा चीनी मिलों को पुनर्संचालित करने का निर्णय लिया गया। निगम क्षेत्र की मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल के क्षमता विस्तारीकरण एवं कोजेन की स्थापना हेतु 73 करोड़ 96 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कराया गया। सहकारी क्षेत्र की 23 चीनी मिलों के अपग्रेडेशन हेतु तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है।

बागवानी फसलों के उत्पादन से विपणन तक के सम्बन्ध में लगभग 12 हजार किसानों को 23 जनपद स्तरीय गोष्ठियों का आयोजन कराकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश के चयनित 23 जनपदों में टिश्यू कल्चर केला उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही पूर्ण की गयी। इस वर्ष निजी शीतगृहों में रिकार्ड 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन आलू भंडारित किया गया। प्रदेश में पहली बार किसानों का 12 हजार 938 कुन्तल आलू क्रय किया गया, जो अब तक का सर्वाधिक हैं

प्रदेश में भू-जल संसाधनों की विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत भू-गर्भ जल विभाग द्वारा ''राज्य भू-जल संरक्षण मिशन'' संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु प्रदेश के समस्याग्रस्त कुल 271 विकास खण्डों एवं 22 शहरों का चयन किया गया है। भू-जल संरक्षण में जन सहभागिता के लिए जनपद स्तर पर 'भू-जल सेना' और ग्राम्य स्तर पर 'पानी पंचायत' का गठन किया जा रहा है जिसके क्रम में 10 भू-जल सेना तथा 70 पानी पंचायतों का गठन किया जा चुका है।

सभी विभागों में क्रय और ठेके दिये जाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये जाने हेतु 'ई-टेण्डरिंग' व्यवस्था लागू कर दी गई है।

लोक निर्माण विभाग में गुण्डा, माफिया तत्वों, आपराधिक छवि वाले ठेकेदारों को पूरी तरह से टेण्डर प्रक्रिया से बाहर करने का राज्य सरकार का निर्णय क्रियान्वित किया जा रहा है। विभाग में टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 'ई-टेंडरिंग' की व्यवस्था लागू की गयी है। सामान्य जनता की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग की एक हेल्पलाईन नम्बर-1800-121-5707 प्रारम्भ की गयी है।

राज्य सरकार ने ''एशियन विकास बैंक'' के साथ जिलों से जुड़ी सड़कों को सुधारने हेतु 2 हजार 782 करोड़ की राशि हेतु अनुबंध किया है। इसमें एशियन विकास बैंक से परियोजना का 70 प्रतिशत हिस्सा कर्ज के रूप में राज्य सरकार को मिलेगा।

सौर ऊर्जा आधारित 95 मेगावाट की विद्युत परियोजनायें अधिष्ठापित की गई। कुल 3.26 मेगावाट रूफटाप ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लाण्टों की अधिष्ठापना करायी गई। प्रदेश सरकार के 'पॉवर फॉर ऑल मिशन' की पूर्ति के दृष्टिगत 'नवीन सोलर पांवर पालिसी-2017' का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।

प्रदेश में कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु 39 असेवित तहसीलों में एक-एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ होंगे। स्वच्छता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए शिक्षण संस्थानों के कैम्पस एवं कार्यालयों में स्वच्छता शपथ दिलवाई गई। सभी राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं को 'रानी लक्ष्मीबाई बालिका आत्मरक्षा कार्यक्रम' के अन्तर्गत जूडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु चरणबद्ध रूप से कुपोषण मुक्त गांव बनाये जाने हैं। इस हेतु 'राज्य पोषण मिशन' द्वारा स्वास्थ्य, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास एवं बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से कुपोषण की रोकथाम हेतु चलायी जा रही योजनाओं को समन्वित और प्रभावी क्रियान्वयन कराते हुए मातृ-शिशु एवं बाल मृत्यु दर और मातृ-बाल कुपोषण में कमी लायी जायेगी।

विभाग में 'टेक होम राशन' के वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए स्टाक का सत्यापन एवं वितरण व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेश निर्गत कर दिया गया है। प्रत्येक स्तर पर 'टेक होम राशन' के स्टाक सत्यापन एवं स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारण की व्यवस्था की गयी है। इससे वितरण व्यवस्था सुदृढ़ एवं पारदर्शी होगी।

अनुपूरक पोषाहार के वितरण हेतु प्रत्येक माह की 5 तारीख को 'बचपन दिवस', 15 तारीख को 'लाडली दिवस' तथा 25 तारीख को 'ममता दिवस' के रूप में मनाया जाय, की नई योजना प्रारम्भ की जा रही है। बाल विकास एवं पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम बार समस्त डाटा के कम्प्यूटराईजेशन का कार्य एन0 आई0 सी0 द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। कुपोषण को दूर किये जाने में सहायता हेतु नयी योजना 'शबरी संकल्प अभियान' की प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार कर ली गयी है। इसके अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं तथा 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार दिया जायेगा।

गरीबों, वचितों, महिलाओं और जरूरतमंदों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए 500 ''टेली लॉ सर्विस कामन सर्विस सेन्टर्स'' की स्थापना की जा रही है।

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षण सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पूर्ण क्रियाशील किये गये हैं। एवं 21 इण्टर कालेजों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के सृजन हेतु 4 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा एक होम्योपैथिक चिकित्सालय का निर्माण आरम्भ कराया गया है। मरदसों के पाठ्य क्रम मे पुनरीक्षण, परिवर्धन करके उनकी शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन विभाग द्वारा 'ई-चालान' व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है, जिससे मौके पर ही 'ई-पेमेंट' से जुर्माना जमा करने की सुविधा के साथ ही वाहन एवं चालक की फोटो भी साक्ष्य के रूप में ली जा सकेगी।

परिवहन निगम की बसों के यात्रियों से फीडबैक एवं जनता से सीधे संवाद हेतु ट्विटर एकाउन्ट, फेसबुक एकाउंट, वाट्सएप एवं टोल-फ्री हेल्पलाईन स्थापित की गई है, जिससे जनता को सीधे संवाद का लाभ प्राप्त होगा।

सरकार के द्वारा 100 दिनों के अन्दर उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य कई वर्षों से लम्बित पारस्परिक अनुबन्ध 13 जून, 2017 को हस्ताक्षरित किया गया जिससे साढ़े तीन करोड़ से अधिक यात्रियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश के तीव्र विकास के लिए यातायात सुविधा को सुगम, सुचारू एवं ध्रुत गति प्रदान करना आवश्यक है। इसलिए हमारी सरकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप यातायात के विकास तथा आर्थिक गतिविधियों एवं पर्यटन के विकास के लिए उपयुक्त यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों को 4 लेन की सड़कों से जोड़ने की व्यापक कार्य योजना है। उक्त के अतिरिक्त, कई प्रमुख शहरों में मेट्रो सेवा प्रारम्भ की जायेगी तथा प्रदेश के कई शहरों में हवाई यातायात के लिए एयरपोर्ट विकसित किये जायेंगे। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना में आगरा-लखनऊ-वाराणसी एवं लखनऊ-इलाहाबाद-गोरखपुर को सम्मिलित कर

सस्ती वायुसेवा प्रारम्भ की जायेगी। जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान कर दी गयी है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। आगरा एयरपोर्ट का विकास एवं उच्चीकरण किया जायेगा जिससे आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हेलीकाप्टर सेवा विस्तार की भी योजना है।

आप अवगत हैं कि वर्ष 2019 में प्रयाग में अर्द्धकुम्भ का आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं। अर्द्धकुम्भ जहां एक ओर आस्था, वैश्विक सभ्यता और संस्कृति का समागम है वहीं यह प्रदेश में राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अर्द्धकुम्भ मां गंगा के पावन तट पर आयोजित होगा। गंगा केवल एक नदी नहीं है अपितु भारतीय संस्कृति के लिए प्राण और ऊर्जा का अजस्र स्रोत है। गंगा को स्वच्छ किया जाना केवल एक सरकारी कार्यक्रम न होकर भारतीय संस्कृति की प्राण रक्षा का अनिवार्य उपक्रम है। आईये, हम सब मिलकर ''नमामि गंगे'' कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लें।

कैलाश मानसरोवर यात्रियों को अनुदान की राशि 50 हजार रुपये प्रति यात्री से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गयी है। जनपद गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन बनाने का निर्णय लिया गया। जनमानस की सुविधा हेतु धर्मार्थ कार्य की वेबसाइट का शुभारम्भ किया गया है। सिन्धु दर्शन का अनुदान वितरण 10 हजार रुपये प्रति यात्री किया गया है।

मथुरा-वृन्दावन-बृज परिक्रमा क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन सुविधाओं के विकास की वृहद् कार्य योजना बनायी गयी है। अयोध्या में रामलीला का निर्बाध मंचन, सरयू नदी के जीर्ण-शीर्ण घाटों का पुनरुद्धार तथा सरयू जी की आरती किये जाने का निर्णय लिया गया है। चित्रकूट में सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करते हुये परिक्रमा पथ का पुनर्विकास तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाायेगा तथा भजन संध्या स्थल का निर्माण कराया जायेगा।

मान्यवर, अब मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट में सम्मिलित महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा सम्मानित सदन के समक्ष इन पंक्तियों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं-

''मैं कतरा हो के भी तूफां से जंग लेता हूं,
मुझे बचाना समन्दर की जिम्मेवारी है।
दुआ करें सलामत रहे मेरी हिम्मत,
यह चराग कई आंधियों पे भारी है।''

किसानों और गांवों के लिए-

- प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण की राज्य सरकार द्वारा अदायगी किये जाने हेतु 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।
- हमारी सरकार ने अनुभव किया कि प्रदेश के आलू किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही थी। किसानों को आलू का उचित दाम दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रदेश मे पहली बार आलू किसानों के लिए एक पैकेज लेकर आई। सरकार ने आलू किसानों से एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का निर्णय लिया जिससे आलू के दाम में वृद्धि हुई जिसका लाभ आलू किसानों को मिला।

- हमारी सरकार ने पहले 100 दिनों के अन्दर गन्ना किसानों को 22 हजार 682 करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित कराया जो विछले वर्ष इसी अवधि में गन्ना किसानों को किये गये 13 हजार 242 करोड़ रुपये से 9 हजार 440 करोड़ रुपये अधिक है।
- कृषि कार्य को समुचित किये जाने और लाभपरक बनाये जाने हेतु कृषि निवेशों के साथ-साथ खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी किसानों के पास होनी चाहिये। इसके लिये हमारी सरकार मृदा परीक्षण प्राथमिकता के आधार पर करवायेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव वाले क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने हेतु 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना' हेतु बजट में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- फसलों की उपज बढ़ाये जाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट की उपलब्धता बढ़ाये जाने की योजना के लिये 19 करोड़ 56 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में सिंचाई हेतु किसानों को 'स्प्रिंकलर' उपलब्ध कराये जाने के लिये 10 करोड़ 41 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के कृषकों को सिंचाई हेतु पर्यावरण हितैषी एवं महंगे डीजल तथा विद्युत आपूर्ति की समस्या के निदान हेतु वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत सोलर फोटोवोल्टइक इरीगेशन पम्प की स्थापना कृषकों के खेतों पर कराये जाने की योजना हेतु 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गन्ना किसानों की उपज को बाजार तक सुगमता से पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिये 200 करोड रुपये तथा मार्गों के अनुरक्षण के लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा एवं इलाहाबाद में विभिन्न फसलों पर अनुसंधान हेतु सेन्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के बन्द सहकारी चीनी मिल पिपराईच के स्थान पर 3 हजार 500 ''टन आफ केन पर डे'' (टी0सी0डी0) क्षमता की नई चीनी मिल जिसे 5 हजार टी0सी0डी0 तक विस्तारित किया जा सकेगा एवं को-जनरेशन प्लाण्ट की स्थापना हेतु 273 करोड 75 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
- बन्द सहकारी चीनी मिल मुंडेरवा के स्थान पर 5 हजार टी0सी0डी0 क्षमता की नई चीनी मिल जिसे 7 हजार 500 टी0सी0डी0 तक विस्तारित किया जा सकेगा एवं को-जनरेशन प्लाण्ट तथा आसवनी की स्थपना हेतु 270 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- निर्माणाधीन सहकारी चीनी मिल सठियांव को इस वर्ष पूर्ण किये जाने हेतु 33 करोड़ 35 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- सहकारी चीनी मिल रमाला की पेराई क्षमता 2 हजार 750 टी0सी0डी0 को बढ़ाकर 5 हजार टी0सी0डी0 किये जाने हेतु 84 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि हेतु संकर शाकभाजी का उत्पादन एवं प्रबन्धन प्रारम्भ किया जा रहा है जिसके लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई है।

अवस्थापना विकास

- प्रदेश के जनसाधारण को विश्वस्तरीय यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ में मेट्रो का कार्य द्रुत गति से चल रहा है तथा कानपुर, वाराणसी, आगरा एवं गोरखपुर शहरों में मेट्रो रेल योजना प्रस्तावित है। प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिये 288 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
- नोएडा में कालिन्दी कुंज से बोटेनिकल गार्डेन तक मेट्रो विस्तार परियोजना का कामर्शियल संचालन प्रारम्भ किया जायेगा।
- मार्गो के चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु 598 करोड़ 65 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने एवं लघु सेतुओं हेतु 451 करोड़ 58 लाख रुपये के कार्य बजट में सम्मिलित किये गये हैं।
- जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु 71 करोड़ 21 लाख रुपये के कार्य बजट में सम्मिलित किये गये है।
- प्रदेश की सड़कों के अनुरक्षण एवं उन्हें गड्ढामुक्त किये जाने हेतु 3 हजार 972 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- 'उत्तर प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम' की स्थापना किये जाने हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु 300 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं हेतु 200 करोड़ रुपये की अवस्थपना विकास की नई योजनायें प्रस्तावित है।
- 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट यवस्था प्रस्तावित है।
- 'मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना' के लिये 385 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ''प्रधानमंत्री आवास योजना'' सबके के लिये आवास (शहरी मिशन) हेतु 3000 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र को दिल्ली से एक्सप्रेस-वे द्वारा जोड़े जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है।

- बुन्देलखण्ड स्थित कतिपय राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने का प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है।
- दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु 218 करोड़ 75 लाख रुपये की बजट व्यावस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के सुदूर ग्रामों एवं मजरों में सामुदायिक पथ प्रकाश की 'पं0 दीनदयाल उपध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना' हेतु 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में चिन्हित स्थलों पर हवाई पट्टियों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- 'कान्हा गौ-शाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना' के अन्तर्गत कांजी हाउस/पशु शेल्टर होम्स की स्थापना हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- तीर्थ-सर्किट के अन्तर्गत वाराणसी, फैजाबाद, अयोध्या, नैमिषारण्य, चित्रकूट, विन्ध्यनगर, कुशीनगर, गोला गोकर्णनाथ, मथुरा, गोरखपुर व देवा शरीफ में बस स्टेशनों का उच्चीकरण तथा नवनिर्माण कराया जायेगा।

उद्योग एवं रोजगार-

- प्रदेश में उद्योगों की स्थापना एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिये हमारी सरकार द्वारा 'औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017' तैयार की गयी है जिसके क्रियान्वयन हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु "विशेष निवेश बोर्ड" की स्थापना के लिये 5 करोड़ रुपये व्यवस्था प्रस्तावित है।
- "सिंगल विण्डो क्लियरेंस" की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लखनऊ में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना के लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पारम्परिक स्वरोजगारियों के सहायतार्थ प्रस्तावित 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के बेरोजगार कृषि स्नातकों तथा कृषि प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2017-2018 में प्रशिक्षित 'कृषि उद्यमी स्वावलम्बी योजना' के अन्तर्गत कृषि केन्द्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

छात्र-छात्राओं के लिये-

- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग आवंटन हेतु रुपये 100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को एक जोड़ी जूता, दो जोड़ी मोजा तथा एक स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु 300 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म एवं पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने हेतु 123 करोड़ 96 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सभी लड़कियों को 'अहित्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना' के अन्तर्गत ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने की योजना हेतु 21 करोड़ 12 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना हेतु 142 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं हेतु 1061 करोड़ 32 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु 941 करोड़ 83 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- समस्त राजकीय तथा अराजकीय महाविद्यालों एवं विश्वविद्यालयों में वाई-फाई सुविधा योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- सभी राजकीय महाविद्यालयों में ''परमवीर चक्र'' विजेताओं के चित्र और उनका जीवन परिचय विद्यालयों की गैलरियों में लगाने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि छात्र-छात्रायें उनकी शौर्य गाथाओं से परिचित हो सकें।

दुर्बल वर्ग के लिये-

- 'मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना' के अन्तर्गत बीमा का आवरण अधिकतम 5 लाख रुपये किया गया है। योजना हेतु 692 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- 'आम आदमी बीमा योजना' हेतु 85 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह के लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सरकार द्वारा एक 'नई फेरी नीति' ठेला, खोमचा, रेहड़ी और सड़क पर सब्जी बेचने वालों के व्यवस्थित पुनर्वास की दृष्टि से लायी गयी है। इसके अन्तर्गत उनका रजिस्ट्रेशन किया जायेगा तथा उनका व्यवस्थित पुनर्वास कराया जायेगा।

हमारी सांस्कृतिक विरासत-

- हमारा प्रदेश प्राचीन संस्कृति का पोषक और वाहक रहा है। परन्तु हमारी युवा पीढ़ी हमारे सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों से शनैःशनैः दूर होती जा रही है। इसलिये हमारी सरकार ने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के अनुरक्षण के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की कई योजनायें बनायी हैं।
- गोरखपुर में 'लोक मल्हार' तथा अयोध्या में 'सावन झूला' के विशिष्ट कार्यक्रमों के आयोजन किये जाने का संकल्प है।

- मथुरा में 'गीता शोध संस्थान' तथा 'कृष्ण संग्रहालय' की स्थापना के साथ ही 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह' के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में माहवार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

- 'स्वदेश दर्शन योजना' के अन्तर्गत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा में रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट एवं कृष्ण सर्किट की योजनाओं के लिये 1240 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- 'प्रासाद योजना' के अन्तर्गत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये 800 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

- वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- अयोध्या में भजन संध्या स्थल का निर्माण व चित्रकूट में परिक्रमा पथ का पुनर्विकास एवं भजन संध्या स्थल का निर्माण कराया जायेगा। अयोध्या में सरयू घाट पर प्रतिदिन संध्या आरती की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही अवाध रूप से रामलीला मंचन पुनः प्रारम्भ किया जा चुका है।

- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु हेलीकाप्टर सेवा के संचालन के लिये 25 करोड़ रुपये, गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के विकास हेतु 25 करोड़ रुपये, विंध्याचल के पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़ रुपये, जनपद मथुरा में नगला-चन्द्रभान का ग्रामीण पर्यटन के अन्तर्गत पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़ रुपये तथा रामायण कॉन्क्लेव के आयोजन हेतु 3 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- इलाहाबाद में अर्द्धकुम्भ मेला, 2019 को आयोजित किये जाने हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे अर्द्धकुम्भ मेले का सफल आयोजन किया जा सकेगा।

मान्यवर, अब मैं बजट में सम्मिलित विभागवार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा-

कानून-व्यवस्था-

प्रदेश में गुण्डों, माफियाओं, अपराधियों तथा अराजक तत्वों को प्रभावी ढंग से न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाकर कानून का राज स्थापित करने के लिये सरकार कृत संकल्पित है। इस संकल्प को मूर्तरूप प्रदान करने के लिये थानों की कार्य-प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव लाते हुये वहां पहुंचने वाले फरियादियों के साथ शिष्टतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करने तथा उनकी समस्याओं पर त्वरित एवं प्रभावी वैधानिक कार्यवाही करते हुये उनके द्वारा दी जाने वाली प्रथम सूचनाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसका अनुश्रवण पुलिस महानिदेशक से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों द्वारा नियमित एवं निरन्तर किया जा रहा है।

पुलिस की संगठनात्मक संरचना एवं पुलिसिंग प्रणाली में बदलाव लाते हुये जोन स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक तथा परिक्षेत्र स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों की तैनाती का निर्णय लिया गया है। इससे अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा जनसामान्य की समस्याओं के त्वरित, समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान हेतु अनुभवी, परिपक्व एवं वरिष्ठ स्तरीय नेतृत्व प्राप्त होगा।

नारी शक्ति का शसक्तीकरण एवं उनके सम्मान की रक्षा सरकार का महत्वपूर्ण संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिये प्रत्येक जनपद में महिला सम्मान प्रकोष्ठ स्थापित कर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं, कामकाजी महिलाओं तथा बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आने-जाने वाली महिलाओं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है।

पुलिस बल के लिये आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन हेतु समस्त सुविधाओं से सुसज्जित मानकीकृत थाना प्रशासनिक भवनों का निर्माण, विद्यमान थाना भवनों में प्राथमिकतापूर्वक आगन्तुक कक्षों का निर्माण एवं महिलाओं के लिये महिला बैरकों का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है।

अधीनस्थ पुलिसकर्मियों की आवासीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक जनपद में शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की कड़ी में प्रारम्भिक चरण में 800 आरक्षियों, मुख्य आरक्षियों तथा उप निरीक्षकों एवं निरीक्षकों के लिये श्रेणी-ए एवं बी के लिये कुल 800 यूनिट्स के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

इस वर्ष लगभग 33 हजार 200 पुलिसकर्मियों, जिसमें 30 हजार पुलिस कांस्टेबल और 3 हजार 200 सब इन्सपेक्टर हैं, की भर्ती की जायेगी। आगामी पांच वर्षों के अन्दर एक लाख पचास हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।

पुलिस को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय में जनपद स्तरीय कार्यालयों तथा सी0सी0टी0वी0 डाटा सेन्टर आदि की कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने, पुलिस रिकार्ड का डिजिटाइजेशन किये जाने तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु उपकरणों का क्रय किया जायेगा।

कृषि-

- वर्ष 2017-2018 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 567 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 11 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2017-2018 में 56 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य है जिसमें खरीफ की फसलों हेतु 11 लाख कुन्तल एवं रबी की फसलों हेतु 45 लाख कुन्तल का वितरण किये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2017-2018 में 42 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सभी कृषकों को मृदा परीक्षण कार्ड दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।
- 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' के अन्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना की योजना राज्य की प्राथमिकताओं में है जिसके लिये 19 करोड़

56 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण कार्यक्रम हेतु 261 करोड़ 66 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वर्ष 2017-2018 में 88 लाख 82 हजार मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- प्रदेश में तिलहनी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 'नेशनल मिशन ऑन सीड एण्ड ऑयल पाम' क्रियान्वित किया जा रहा है।
- 'सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन' के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को किराये पर तथा अनुदान पर कृषि यन्त्र क्रय हेतु वर्ष 2017-2018 में 300 कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा 582 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' के अन्तर्गत वर्ष 2017-2018 में 968 करोड़ 57 लाख रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।
- 'नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना' के अन्तर्गत वर्ष 2017-0218 में परम्परागत कृषि विकास योजना के द्वारा जैविक खेती का कार्यक्रम बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों सहित 30 जनपदों में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान-

- कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ बांदा एवं इलाहाबाद में विभिन्न फसलों पर अनुसंधान हेतु सेन्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषि विश्वविद्यालयों के संकायों एवं विभागों द्वारा विकसित नवीन कृषि तकनीकों को कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से कृषकों तक पहुंचाये जाने एवं उन्हें जागरूक बनाये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से 20 जनपदों में 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है।

ग्राम्य विकास-

- सबके लिये रोजगार, आवास, सड़क एवं पेयजल उपलब्ध कराना वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं।
- आवास विहीन एवं कच्चे आवासों में निवास करने वाले परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' हेतु 4 हजार 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- 'डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना' हेतु 213 करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई है।
- बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं विन्ध्य क्षेत्र में सतही जल आधारित ग्रामीण पेयजल योजना हेतु 2 हजार 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- 'विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि' (विधायक निधि) योजना के क्रियान्वयन के लिये 7 सौ 62 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है।

दुग्ध विकास-

ग्रामीण क्षेत्र के गरीब कृषक, बेरोजगार, निर्बल वर्ग अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध व्यवसाय के प्रति जागरूक करने हेतु दुग्ध संघों तथा समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तारीकरण योजना, कृषक प्रशिक्षण योजना तथा दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों तथा समितियों को 'तकनीकी निवेश कार्यक्रम' के माध्यम से पशु प्रजनन व स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

पी0सी0डी0एफ0 के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत प्रदेश में 10 डेयरी प्लाण्टों की स्थापना तथा 04 डेयरी प्लाण्टों के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु 134 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद कानपुर में निर्माणाधीन नवीन ग्रीन फील्ड मिल्क पाउडर प्लाण्ट को पूरा करने के लिए 35 करोड़ 70 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दुग्ध संघों को सुदृढ़ तथा पुनर्जीवित किये जाने के लिये 57 करोड़ 25 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुपालन-

पशुओं में त्वरित गति से नस्ल सुधार, पशुधन बीमा, पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण, जर्जर पशु चिकित्सालयों का पुनर्निमाण तथा गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ गोवंशीय पशुओं की रक्षा हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

गौशालाओं में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये गौ सेवा आयोग को अनुदान हेतु 15 करोड़ 16 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मत्स्य-

प्रदेश में तालाबों, पोखरों एवं झीलों के रूप में मत्स्य पालन योग्य पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध हैं, जिनकों मत्स्य पालन के अन्तर्गत आच्छादित करते हुये प्रदेश के मत्स्य उत्पादन स्तर बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित किये जायेंगे।

कृषि हेतु अनुपयुक्त 200 हेक्टेयर जलप्लावित भूमि को तालाब के रूप में विकसित कराकर मत्स्य पालन के अन्तर्गत आच्छादित कराया जायेगा।

मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों के सामाजिक संरक्षण हेतु 2 लाख समिति के सदस्यों को निःशुल्क प्रीमियम पर आधारित मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित कराया जायेगा।

सक्रिय मत्स्य पालकों के आवास विहीन 666 परिवारों को एक लाख 20 हजार रुपये प्रति आवास की दर से निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

पंचायती राज-

''स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना'' के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिये 3 हजार 255 करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गयी है।

प्रदेश की प्रत्येक न्याय पंचायत में दो 'चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय' की स्थापना कराये जाने की योजना है जिसके लिये 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक विकास खण्ड की 3 ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये जाने की 'मुख्य मंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना' चालू की जा रही है। इसके लिये 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सड़क एवं सेतु-

प्रदेश के ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता का कार्यक्रम है, जिसके लिये 451 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

मार्गों के चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु 598 करोड़ 65 लाख रुपये एवं जनपद मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़े जाने के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने हेतु 71 करोड़ 21 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

'केन्द्रीय मार्ग निधि योजना' के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु 8 हजार करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

नेपाल राष्ट्र से जुड़ने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों में निर्मित किये जाने वाले मार्गों हेतु 251 करोड़ 67 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित 'उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क परियोजना' के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्यों हेतु 253 करोड़ रुपये तथा एशियन डेवलपमेण्ट बैंक की सहायता से मार्ग निर्माण हेतु 202 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गो पर सेतुओं, रेल उपरिगामी तथा अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 185 करोड़ 69 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

ऊर्जा-

हमारी सरकार विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु दृढ़ता से संकल्पित है, प्रदेश की जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये तथा सुदूर इलाकों तक उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने, विशेषकर कृषकों को सिंचाई हेतु विद्युत की उपलब्धता तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के संकल्पों के साथ प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसी अनुक्रम में भारत सरकार के साथ 24×7 पावर फार आल का प्रपत्र एक अभिनव उपक्रम के रूप में दिनांक 14 अप्रैल, 2017 को हस्ताक्षरित किया गया है। प्रपत्र में प्रदेश की जनता को अक्टूबर, 2018 से 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति तथा प्रत्येक प्रदेशवासी को वर्ष 2019 तक विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में 18 धण्टे ग्रामीण क्षेत्र में 20 धण्टे तहसील क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा 24 घण्टे जनपद मुख्यालयों, शहरों एवं उद्योगों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 330 से 340 मिलियन यूनिट की विद्युत आपूर्ति उपभोक्ताओं को की जा रही है, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। इससे हमारी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति दिखती है।

प्रदेश में अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं को नये विद्युत संयोजन मीटर स्थापना के साथ किश्त में भुगतान के आधार पर निर्गत कराये जा रहे हैं। पुरानें बकायों की वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना (सक्रिय), घरेलू कनेक्शनों एवं नलकूपों पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी की सुविधा के साथ प्रभावी की गयी है। विद्युत चोरी रोकने के अभिनव प्रयास में 'सर्वदा योजना' विद्युत

संयोजन को नियमित किये जाने हेतु चलायी गयी है। इसी अनुक्रम में राज्य में 75 बिजली थाने स्थापित किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है, जिससे विद्युत चोरी पर प्रभावी रोक लगेगी तथा विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत मूल्य भी तद्नुसार प्राप्त होगा। यह विद्युत वितरण कम्पनियों को स्वावलम्बी बनाने के लिये सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु टोल फ्री नम्बर-1912 प्रभावी कराया गया है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिये पर्याप्त संख्या में उपभोक्ता सेवा केन्द्र स्थापित कर संचालित किये जा रहे हैं।

उपभोक्ताओं को खर्च की गयी विद्युत के लिये सही एवं शुद्ध भुगतान किये जाने को सुनिश्चित कराने के लिये समस्त अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर की स्थपना एक विशेष अभियान चलाकर करायी जा रही है।

कृषकों को प्राथमिकता प्रदान करते हुये सिंचाई की उचित एवं पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निजी नलकूपों के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया है। निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण ''आओ एवं पाओ'' की योजना के अन्तर्गत प्रभावी है, जिससे कृषकों को कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ रही है।

हमारी सरकार के पहले 100 दिनों में ''पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना'' के अन्तर्गत 18 हजार मजरों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है।

(वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण पढ़े जाने के दौरान)

श्री राजेश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं बैठकर बजट भाषण पढ़ लूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बैठकर बजट भाषण पढ़ दें।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत-

प्रदेश में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की परियोजनायें स्थापित करने के लिये निजी क्षेत्र के उद्यमियों को अधिक से अधिक निवेश करने हेतु बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा नई 'सौर ऊर्जा नीति' लायी जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आवास एवं नगर विकास-

भू-सम्पदा सेक्टर के विनियमन एवं संवर्धन के लिये 'भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण' (रेरा) की स्थापना करते हुये इसे क्रियाशील किया जायेगा, ताकि भू-खण्ड, अपार्टमेन्ट अथवा भवन का विक्रय दक्षतापूर्ण और पारदर्शी रीति से सुनिश्चित हो सके और भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सम्भव हो सके।

प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधाओं के लिये कई निर्णय लिये गये हैं। इनमें नगरों में स्थित सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाना, फेरी नीति लागू कराया जाना, 31 दिसम्बर, 2017 तक

30 जिलों के नगरीय क्षेत्रों को तथा समस्त नगरीय क्षेत्रों को 2 अक्टूबर, 2018 से पूर्व खुले में शौच रहित बनाया जाना उल्लेखनीय है।

''आगरा पेय जलापूर्ति परियोजना'' के अन्तर्गत 130 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन द्वारा 150 क्यूसेक कच्चा जल लाये जाने की योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

''अटल मिशन फॉर रीज्यूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत)'' योजना हेतु 2 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 61 शहरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा।

श्री राजेश अग्रवाल-

''स्मार्ट सिटी मिशन'' कार्यक्रम हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 13 नगरों में आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा प्रदान करते हुये नागरिकों के लिये बेहतर जीवन स्तर का वातावरण प्रदान किया जाना है। इसके तहत ई-गवर्नेन्स एण्ड सिटीजन सर्विसेज, वेस्ट मैनजमेन्ट, वॉटर मैनेजमेण्ट तथा अर्बन मोबिलिटी के माध्यम से नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाये जाने का लक्ष्य है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर तथा आगरा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों से इलाहाबाद, अलीगढ़ और झांसी को भी स्मार्ट सिटी घोषित किया गया। मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, गाजियाबाद और रायबरेली को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिये गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मा0 वित्त मंत्री जी कुछ असहज महसूस कर रहे हैं इसलिये मेरा अनुरोध है कि बजट भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बतायें कि क्या इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आप सदन के सर्वोच्च आसन पर हैं और मा0 सदस्यों का ख्याल आपके जिम्मे है। आप मा0 मंत्री जी का ख्याल रखें और इस बजट भाषण को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में बतायें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसके आगे मैं बजट भाषण को पढ़ देता हूं।

"स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना" हेतु एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश में जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रीन्यूअल मिशन कार्यक्रम के अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड गवर्नेन्स एवं अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट स्कीमा फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स कार्यान्श में

सवीकृत सीवरेज, जलापूर्ति, ड्रेनेज, नगरीय परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन कार्यों के लिये 85 करोड़ 74 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण-नमामि गंगे' के अन्तर्गत 240 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के नदियों को प्रदूषणमुक्त किये जाने के उद्देश्य से क्रियान्वित 'नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम' के अन्तर्गत प्रदेश की नदियों गंगा, यमुना तथा गोमती के तटों पर स्थित नगरों में नदी प्रदूषण मुक्ति के कार्य कराये जा रहे हैं। इस हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'झील संरक्षण योजना' के अन्तर्गत प्रदेश की झीलों तथा तालों के संरक्षण की योजना हेतु 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना' हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मथुरा-वृन्दावन व अयोध्या नगर निगमों का गठन हमारी सरकार द्वारा नागरिकों को बेहतर सुविधायें दिलाने के लिए किया गया है।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन-

'प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन' योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आवास निर्माण हेतु 3 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में प्रदेश सरकार द्वारा ''मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना'' आरम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत शहरों की मलिन बस्तियों के साथ-साथ शहर के ऐसे अल्प विकसित क्षेत्रों, जहां पर अवस्थापना सुविधाओं का अभाव है, में सी0सी0 रोड, इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण किया जायेगा तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था एवं पेयजल की सुविधा व अन्य अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी जिसके लिये 385 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई-

किसान और गरीब जनता का विकास इस सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार कृषकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु तत्परता से कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश का लगभग 74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, जो देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 346 लाख हेक्टेयर का लगभग 21 प्रतिशत है। आगामी 5 वर्षों में लगभग तीन लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को तटबन्ध निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य कराकर सुरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में प्रदेश में 33 हजार 375 राजकीय नलकूपों एवं 250 लघु डाल नहरों, 28 वृहद् एवं मध्यम पम्प नहरों से कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

'राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना' के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 110 राजकीय नलकूपों का निर्माण आगामी 2 वर्षों में कराया जायेगा।

'राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 205 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण कराया जायेगा।

बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी कार्यों हेतु 647 करोड़ 30 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना' पर काम प्राथमिकता से शुरू किया जायेगा।

लघु सिंचाई-

वर्तमान में प्रदेश का लगभग 78 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र निजी लघु सिंचाई साधनों से सिंचित है।

'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के अन्तर्गत ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना'' हेतु 112 करोड़ 67 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'नेशनल ग्राउण्ड वाटर मैनेजमेंट इम्प्रूवेंट स्कीम' के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के 6 जनपदों- महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी एवं ललितपुर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों-मेरठ, बागपत, शामली एवं मुजफ्फरनगर के कुल 26 अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में भू-जल प्रबन्धन के कार्य प्रस्तावित हैं।

औद्योगिक विकास-

हमारी सरकार के सामने चुनौती यह है कि किस प्रकार विछले वर्षों में व्याप्त हुई औद्योगिक शिथिलता से निजात पायी जाये। इस ओर हमारा विशेष ध्यान है। विगत तीन माह में सैमसंग मोबाइल कम्पनी द्वारा सुपर मेगा श्रेणी के अन्तर्गत लगभग 4 हजार 800 करोड़ रुपये के निजी निवेश का प्रस्ताव तथा इंटेक्स द्वारा मेगा श्रेणी के अन्तर्गत 372 करोड़ रुपये का निवेश स्वीकृत किया गया है।

प्रदेश की सीमा से गुजरने वाले ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर, अमृतसर-कोलकाता इण्टस्ट्रियल कांरीडोर तथा दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कांरीडोर के दोनों ओर इन्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एवं औद्योगिक सुविधाओं का विकास किया जायेगा।

प्रदेश में राजमार्गों एवं एक्सप्रेस-वे के नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा कच्चे एवं तैयार माल के शीघ्र परिवहन हेतु ड्राईपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स हब की स्थापना की जायेगी।

आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे (ग्रीनफील्ड) परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराया जायेगा। लखनऊ से बलिया तक प्रस्तावित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का क्रय एवं अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

गोरखपुर टेराकोटा क्लस्टर का अध्ययन कराकर उनके संवर्द्धन हेतु कन्सलटेंट द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग-

हथकरघा उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेन्द्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग दो लाख उनसठ हजार हथकरघा बुनकर एवं लगभग एक लाख दस हजार हथकरघा हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य है।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-

ग्रामीण अंचलों में अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ इसमें गुणवत्तापरक व पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाना भी हमारी प्राथमिकता है।

100 शय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 85 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जिन मण्डल मुख्यालयों पर मेडिकल कालेज उपलब्ध नहीं है, वहां पर 300 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय प्रस्तावित हैं, यथा-बरेली, मुरादाबाद एवं देवीपाटन इस हेतु 33 करोड 25 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में 50 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में 50 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु क्रमशः 49 करोड़ 75 लाख रुपये एवं 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों की असाध्य बीमारी के उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने की योजना हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

जिला संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु 125 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ परिसर के विस्तार हेतु 19 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वर्तमान सरकार के 'लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017' में सम्मिलित संकल्प की पूर्ति हेतु रोगी तक 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचाये जाने हेतु 108 एम्बुलेंस के औसत को डेढ़ लाख जनसंख्या से घटाकर एक लाख जनसंख्या पर किये जाने हेतु 712 अतिरिक्त एम्बुलेंसों को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

चालू वित्तीय वर्ष में अवशेष जनपदों में कुष्ठ रोग के उन्मूलन का स्तर प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे। साथ ही, कुष्ठ प्रभावित विकलांगता से ग्रसित रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कराने वाले व्यक्ति को 8 हजार रुपये मानदेय दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार आयुष चिकित्सा पद्धति के द्वारा प्रदेश की ग्रामीण एवं शहरी जनता को आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी विधा के माध्यम से दुष्प्रभाव रहित चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से इस पद्धति को और अधिक सुलभ एवं जनोपयोगी बनाने हेतु प्रतिबद्ध है।

प्रदेश के छः जनपदों-लखनऊ, कानपुर, बरेली, बस्ती, कुशीनगर एवं वाराणसी में 'राष्ट्रीय आयुष मिशन' के अन्तर्गत 50 एकीकृत आयुष चिकित्सालयों तथा जिला स्तर पर 16 आयुर्वेदिक कार्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 50 चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य है।

बेसिक शिक्षा-

वर्ष 2017-2018 में 'सर्व शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को पाठ्य-पुस्तकें एवं यूनीफार्म के दो सेट निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

'सर्व शिक्षा अभियान' हेतु 19 हजार 444 करोड़ 35 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 2 हजार 54 करोड़ 74 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा-

'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' हेतु 551 करोड़ 93 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

166 पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालयों के संचालन हेतु 25 करोड़ रुपये धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा-

राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' अन्तर्गत आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु 191 करोड़ 27 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।

प्रदेश के सभी कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 15 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

प्रदेश में नव स्थापित जननाायक चन्द्रशेखर राज्य विश्वविद्यालय, बलिया हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 'पं0 दीन दयाज उपाध्याय शोध पीठ' की स्थापना के लिये 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में 'भाऊराव देवरस शोध पीठ' की स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।

महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने की पारदर्शी ऑन लाइन व्यवस्था हेतु सॉफ्टवेयर विकसित किये जाने एवं अन्य कार्यों के लिये 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्राविधिक शिक्षा-

जनपद सोनभद्र में स्थापित राजकीय इंजीनियरिंग कालेज का संचालन कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर तथा जनपद कन्नौज एवं मैनपुरी में स्थापित राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों का संचालन हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर में हो रहा है। शैक्षिक सत्र, 2017-2018 में इन तीनों इंजीनियरिंग कालेजों का संचालन उनके नवनिर्मित कैम्पसों में प्रारम्भ कराया जा रहा है। इन सभी इंजीनियरिंग कालेजों के अवशेष निर्माण कार्यों के लिए 27 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के निर्माण कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

जनपद बस्ती एवं गोण्डा में एक-एक इजीनियरिंग कालेज का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिनके अवशेष निर्माण कार्यों के लिये 14 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

जनपद मिर्जापुर में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज निर्माण हेतु 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

व्यवसायिक शिक्षा-

'लोक कल्याण संकल्प-पत्र-2017' में प्रदेश के प्रत्येक घर के सदस्य को निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। साथ ही साथ सरकार ने युवाओं को अगले 5 वर्षों में

70 लाख रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा है। उक्त संकल्प तथा लक्ष्यों को फलीभूत करने हेतु सरकार संकल्पित है।

प्रदेश के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिये अपने निजी भवन निर्मित किये जायेंगे तथा निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण कराया जायेगा।

प्रदेश में 'कौशल विकास मिशन' के माध्यम से कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निःशुल्क संचालित कर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगारपरक कौशलों में प्रशिक्षित किया जायेगा।

प्रदेश में प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाने के लिये असेवित क्षेत्रों में सरकारी या निजी क्षेत्र से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जायेगी।

'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' को संचालित कर अधिक से अधिक युवाओं के कौशल का विकास कराया जायेगा।

महिला एवं बाल कल्याण-

'महिला विकास एवं मातृत्व लाभ कार्यक्रम' के लिये 100 करोड़ रुपये तथा 'शबरी संकल्प अभियान' के लिये 262 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के 19 जनपदों के सभी विकास खण्डों में वर्ष 2017-2018 में ग्रामीण स्तर पर महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान एवं सशक्तीकरण योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिये 'महिला एवं बाल विकास अधिकार मंच' की स्थापना की गयी है।

निराश्रित महिला भरण-पोषण अनुदान की योजना हेतु 1 हजार 129 करोड़ 78 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

महिलाओं की सहायता हेतु '181 महिला हेल्प लाइन' का विस्तार किया गया है।

हेल्प डेस्क योजना के अन्तर्गत के0जी0एम0यू0, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जनपद मेरठ, अलीगढ, गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी एवं आगरा हेल्प डेस्क की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत गरीब महिलाओं एवं बच्चों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराया जाना एवं 'उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला तथा बाल सम्मान कोष' से सहायता उपलब्ध कराना एवं मार्ग-दर्शन दिया जाना है।

अल्पसंख्यक कल्याण-

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 791 करोड़ 83 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति योजना हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मान्यता प्राप्त मदरसों तथा मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किये जाने की योजना के लिये 394 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिये अल्पसंख्यक सघन आबादी वाले क्षेत्रों में महिला छात्रावास की योजना हेतु 18 करोड़ 41 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंन्ट प्लान' के अन्तर्गत जनपदों में अल्पसंख्यक समुदाय के चहुमुँखी विकास एवं राष्ट्र की मुख्य धारा में लाये जाने के उद्देश्य से और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मौजूद क्रिटिकल गैप्स को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर

विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं यथा-पक्के आवास की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, घरों में शौचालयों की व्यवस्था इत्यादि भी शामिल है। इस हेतु 340 करोड़ रुपये 90 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण-

पिछड़े वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा देने हेतु छात्रावास निर्माण योजना हेतु 52 करोड़ 66 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना हेतु 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति योजना हेतु 551 करोड़ 28 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दिव्यांग कल्याण-

'सुगम्य भारत अभियान योजना' के अन्तर्गत सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर दिव्यांगजन हेतु बाधारहित बनाये जाने की योजना के लिये 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दिव्यांग पेंशन की राशि 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किये जाने का निर्णय लिया गया है। योजना हेतु 559 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण कार्यों हेतु 18 करोड 40 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दिव्यांगजन हेतु हेल्प लाइन नम्बर-1800 180 1995 क्रियाशील कर दिया गया है।

खाद्य तथा रसद-

प्रदेश में राशन कार्ड में दर्ज यूनिट की आधार सीडिंग कराये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, ताकि राशन कार्ड का दुरुपयोग न हो सके और पात्र व्यक्तियों को समुचित लाभ मिल सके। इस हेतु 76 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

रबी विपणन वर्ष 2017-2018 में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1625 रुपये प्रति कुन्तल की दर से अब तक 36.99 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया जो कि गत पूरे वर्ष में की गयी खरीद 7.97 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष 4.5 गुने से भी अधिक है। 8 लाख 646 किसानों को गेहूं क्रय के सापेक्ष 5 हजार 925 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया गया।

न्याय-

उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के नवीन भवन में अतिरिक्त कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के नव सृजित जनपदों एवं नव सृजित न्यायालयों में न्याय विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सोलर पावर सिस्टम की स्थापना के लिये 20 करोड़ रुपये तथा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिये 20 करोड़ रुपये, सुरक्षा व्यवस्था हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था, निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र फीडर की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मध्यस्थों को मानदेय भुगतान हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राजस्व-

प्रदेश में आपदा राहत के लिये 'राज्य आपदा मोचक निधि' में 744 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

'तालाब विकास प्राधिकरण' के गठन हेतु 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के मण्डल, जनपद, तहसीलों के अनावासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय के लिये 205 करोड़ 13 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के मण्डल, जनपद, तहसीलों के आवासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय के लिये 95 करोड़ 80 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के मण्डलायुक्त कार्यालयों, जनपद कार्यालयों एवं तहसील कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु 1 करोड़ 37 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वन एवं पर्यावरण-

उत्तर प्रदेश में जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल दो लाख चालीस हजार नौ सौ अट्ठाइस वर्ग किलोमीटर है तथा इसका 8 दशमलव 93 प्रतिशत क्षेत्र बनाच्छादित अथवा वृक्षाच्छादित है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु हमारी सरकार कृत संकल्पित है। हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण को अगामी वर्षों में 15 प्रतिशत तक लाया जाए।

वर्ष 2017 में वर्षाकाल में वन विभाग द्वारा 4 करोड़ 30 लाख पौधों तथा अन्य विभागों द्वारा 2 करोड़ 24 लाख, इस प्रकार कुल 6 करोड़ 54 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 07 जुलाई, 2017 तक वन महोत्सव, 2017 मनाया गया। वन विभाग द्वारा अब तक कुल लगभग 01 करोड़ पौधों का रोपण किया जा चुका है।

प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्क एवं 26 वन्य जीव विहार तथा पक्षी विहार हैं, जिन्हें विकसित किये जाने की योजना है।

भविष्य में कृषकों की आय में अभिवृद्धि के लिये वनीकरण के कार्यक्रमों में कृषकों की भूमिका बढ़ायी जायेगी तथा वृक्षारोपण में फलदार वृक्षों को बढ़ावा दिया जायेगा।

वृक्षारोपण के साथ-साथ हमारी सरकार वन्य जीवों के प्राकृतिक वासों के संरक्षण हेतु उपाय कर रही है। वनों में अवैध कटान, शिकार तथा अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है। वन क्षेत्रों के मानचित्रों को डिजिटाइज किया जायेगा तथा अतिक्रमित वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर वृक्षों तथा वनों से आच्छादित करवाया जायेगा।

पर्यावरण के क्षेत्र में भी गंगा नदी के किनारे स्थित कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आदि शहरों में जल गुणवत्ता का अध्ययन कराया जायेगा एवं क्षेत्र के आस-पास उद्योगों से उत्पन्न होने वाले औद्योगिक जलीय प्रदूषण का चिन्हीकरण भी किया जायेगा, ताकि प्रदूषण से उत्पन्न प्रभाव को कम किया जा सके।

संस्कृति-

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर अत्यन्त समृद्ध है, जिसकी लोक एवं शास्त्र की परम्परायें पूरी दुनिया मे अपनी अलग पहचान रखती हैं। यहां का लखनऊ तथा बनारस घराने का कथक जहां एक

ओर विश्वविख्यात है, वहीं पूर्वांचल, अवध, बुन्देलखण्ड तथा ब्रज की लोक संस्कृति की छटा अत्यन्त मनोरम है।

चालू वित्तीय वर्ष में 'पं0 दीन दयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह' के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जाने की योजना बनायी गई है। इस वर्ष पूरे प्रदेश में लोक कला के संरक्षण हेतु कलाकारों एवं कला रूपों का चिन्हीकरण कर प्रमुख मण्डलीय मुख्यालयों पर लोक कला उत्सव का आयोजन कराया जायेगा।

राम कथा संग्रहालय में संरक्षित गुमनामी बाबा से संबंधित दस्तावेजों को डिजिटाइज किया जायेगा। गोरखपुर में 'लोक मल्हार' तथा अयोध्या में 'सावन झूला' के विशिष्ट कार्यक्रमों के भी आयोजन किये जाने का संकल्प है। 'कृष्ण संग्रहालय' की स्थापना के साथ ही 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह' के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में माहवार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने की रूपरेखा बनायी गयी है।

लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 के अनुसार इस वर्ष कलाकारों का उन्नयन एवं प्रशिक्षण, फिल्मों का विकास (डाक्यूमेन्ट्री, ऑडियों विजुअल), लोक कलाकारों को वाद्य यंत्रों के लिये धनराशि की व्यवस्था, कला परिषद् का गठन, कबीर अकादमी की स्थापना, महानगरों तथा जिला केन्द्रों पर कला उत्सव के आयोजन तथा गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालनार्थ 135 करोड़ 26 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था, मथुरा में 'गीता शोध संस्थान' की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा लोक कलाओं के संवर्धन हेतु लोक कलाकारों को बाद्य यंत्रों के लिए अनुदान हेतु 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

राजकोषीय सेवायें-

हमारी सरकार का वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ वित्तीय पहल से आर्थिक विकास व सुदृढ़ता को सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर-

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 65 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

आबकारी शुल्क-

आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 20 हजार 593 करोड़ 23 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण-

स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 17 हजार 458 करोड़ 34 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

वाहन कर-

वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 5 हजार 481 करोड़ 20 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट अनुमान-

मान्यवर, अब मैं वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा-

- प्रस्तुत बजट का आकार 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ 71 लाख रुपये (3,84,659.71 करोड़ रुपये) है, जो वर्ष 2016-2017 के बजट के सापेक्ष 10.9 प्रतिशत अधिक है।
- इस आकार के बजट को वित्त पोषित करने हेतु बजट में संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2016-2017 की अपेक्षा लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है।
- बजट में 55 हजार 781 करोड़ 96 लाख रुपये (55,781.96 करोड़ रुपये) की नई योजनायें सम्मिलित की गई हैं।

प्राप्तियां-

- वर्ष 2017-2018 में 3 लाख 77 हजार 190 करोड़ 88 लाख रुपये (3,77,190.88 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियाँ राजस्व अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में 3 लाख 19 हजार 397 करोड़ 43 लाख रुपये (3,19,397.43 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियां तथा 57 हजार 793 करोड़ 45 लाख रुपये (57,793.45 करोड़ रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2 लाख 32 हजार 908 करोड़ 41 लाख रुपये (2,32,908.41 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 1 लाख 11 हजार 501 करोड़ 90 लाख (1,11,501.90 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 1 लाख 21 हजार 406 करोड़ 51 लाख रुपये (1,21,406.51 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

व्यय-

- कुल व्यय 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ 71 लाख रुपये (3,84,659.71 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल व्यय में 3 लाख 7 हजार 118 करोड़ 63 लाख रुपये (3,07,118.63 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 77 हजार 541 करोड़ 8 लाख रुपये (77,541.08 करोड़ रुपये) पूंजी लेखे का व्यय है।

राजस्व बचत-

- वर्ष 2017-2018 में 12 हजार 278 करोड़ 80 लाख रुपये (12,278.80 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा-

- वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 42 हजार 967 करोड़ 86 लाख रूपये (42,967.86 करोड़ रुपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है।

- राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.6 प्रतिशत अनुमानित है।

समेकित निधि-

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 7 हजार 468 करोड़ 83 लाख रुपये (7,468.83 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है।

लोक लेखा-

- लोक लेखे से 7 हजार 600 करोड़ रुपये (7600 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम-

- वर्ष 2017-2018 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 131 करोड़ 17 लाख रुपये (131.17 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

अन्तिम शेष-

- वर्ष 2017-2018 में प्रारम्भिक शेष 1 हजार 204 करोड़ 55 लाख रुपये (1,204.55 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 1 हजार 335 करोड़ 72 लाख रुपये (1335.72 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है।

मान्यवर, हमारी सरकार का प्रस्तुत बजट यह दर्शाता है कि यह सरकार प्रदेश के सर्वांगीण व त्वरित विकास के लिए पूरी तरह से कृत-संकल्प है। हमारा लक्ष्य है-''सबका साथ-सबका विकास''। हम अपने प्रयासों को लगातार तीव्र करते रहेंगे ताकि उत्तर प्रदेश पांच वर्षों में देश के शीर्ष प्रदेशों में शामिल हो सके।

मान्यवर, मैं मंत्रि-परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, प्रमुख सचिव, वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। मैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, ''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः'', की मंगलकामना के साथ इस विशाल प्रदेश की जनता के सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास, सुख एवं सम्पूर्ण प्रगति की परिकल्पना को साकार करने हेतु मैं पूज्य पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी को सादर स्मरण करते हुए उनके ''लक्ष्य अन्त्योदय-प्रण अंत्योदय-पथ अंत्योदय'' को समर्पित इन पंक्तियों के साथ वित्तीय वर्ष 2017-2018 का प्रदेश का आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूं-

''तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब,
मुझे तो आखिरी घर तक दीया जलाना है।''

वन्दे मातरम्

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाकर बजट भाषण का स्वागत किया गया)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी भाषण का अंतिम शब्द भी बोल दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने वंदे मातरम् पहले ही कह दिया है। वन्दे मातरम्।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमको लगा कि अब इनके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी को न खड़ा होना पड़े।

श्री अध्यक्ष-

बस आप न खड़े होईये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जितने प्रदेश के गलत अनुमान हैं, वह सब इनके पास हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह तो पूरा सदन और पूरा प्रदेश देख रहा है।

[01.55] वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक साहित्य वितरण व्यवस्था की सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, एक सूचना है। बजट प्रस्तुत हो गया है और माननीय सदस्यों को बजट साहित्य वितरित किए जाने की व्यवस्था 'हां' और 'ना' लाबी में की गई है। मैं वह जिले पढ़ देता हूं। समस्त माननीय महिला सदस्य तथा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात और कानपुर नगर जिलों के समस्त सदस्यगण 'हां' लाबी में अपना साहित्य प्राप्त कर सकेंगे और 'ना' सभाकक्ष में सभी नाम निर्देशित सदस्य तथा शेष अन्य जिलों के माननीय सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें। बजट के ऊपर चर्चा अब 13 तारीख से शुरू होगी।

[02.00] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

अब हम नियम-301 की सूचनायें लेते हैं। आज नियम-301 की कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 11 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई, पहली सूचना माननीय श्री संजय गर्ग की है, जो जनपद सहारनपुर महानगर में मोहल्ला मातागढ़ स्थित पुलिया के पुनः निर्माण के संबंध में है, दूसरी सूचना माननीय श्री कुलदीप सिंह सेंगर की है जो जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में गंगा नदी के कतिपय घाट के तट के पक्का निर्माण और समस्त सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की है जो जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत मांट ब्रान्च खण्ड गंग नहर पर क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के कतिपय मार्गों के लेपन एवं मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज तहसील मुख्यालय के बगल से गुजर रहे हाई-वे पर ट्रामा सेन्टर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में विद्युत आपूर्ति के लिये 132 के0वी0ए0 विद्युत केन्द्र की स्थापना एवं अन्य कतिपय कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के अशरफपुर वरवाँ से कटेहरी मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, आठवीं

सूचना श्री मनीष असीजा की नगर फिरोजाबाद के आसफाबाद स्थित रेलवे क्रासिंग संख्या-62 पर उपरिगामी पुल के निर्माण के सम्बंध में है, नवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत अतिथि गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के घाघरा नदी के तट पर किसानों के घरों को कटान से बचाने तथा कटान में समाहित किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बंध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयी :-

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री मनोज कुमार पारस तथा श्री आशुतोष उपाध्याय।

(सदन की सहमति से संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

सहारनपुर महानगर में मोहल्ला मातागढ़ स्थित पुलिया के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[मान्यवर, नियम-301 के माध्यम से लोक महत्व के एक अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत करना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर के मोहल्ला मातागढ़ में बनी पुलिया अत्यन्त जर्जर अवस्था में है तथा ये पुलिया काफी टूट चुकी है जिससे यहां कई बार गम्भीर दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, ये पुलिया पुराना कलसिया और बेहत रोड को चिलकाना रोड से भी जोड़ती है जिससे इस पुलिया पर भारी माल एवं यात्री वाहनों का आना-जाना रहता है तथा जनता की मांग के अनुरूप आज तक उक्त समस्या के निदान हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः लोक महत्व के एक अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सहारनपुर नगर के मोहल्ला मातागढ़ में पुलिया का पुनर्निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में गंगा नदी के कतिपय घाट के तट के पक्का निर्माण एवं समस्त सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र सं0-162, बांगरमऊ, उन्नाव में मां गंगा के सभी तट कच्चे हैं। जिससे यहां सदैव सुरक्षा का भय बना रहता है। कई व्यक्ति अभी तक डूब चुके हैं। यहां पर कई जनपदों के लोग इन घाटों पर दाह संस्कार व लाखों लोग मां गंगा के स्नान के लिये आते हैं। कृपया इन घाटों को मार्बलयुक्त, पक्का घाट बनाने, लेट्रीन, बाथरूम, शुद्ध जल हेतु व छाया हेतु टीन शेड बनाने व 5 कमरे व बरामदे बनाने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने की कृपा करें।

1-नानामऊ घाट

2-रुस्तमपुर घाट (राधन घाट)

3-दबौली घाट (सरैंया घाट)]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत मांट ब्रान्च गंग नहर पर क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत मांट ब्रान्च खण्ड गंग नहर बहती है। जिसका गांव सुनपेड़ा विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के रास्ते पर पड़ने वाला पुल दो वर्षों से क्षतिग्रस्त है। जिसके कारण केवल हल्के वाहन मोटर साइकिल, स्कूटर आदि ही निकल पाते हैं। यह पुल कभी भी पूरा टूटकर गिर सकता है जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से 8-10 गांवों के निवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में इस पुल का शीघ्र बनना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के कतिपय मार्गों के लेपन एवं मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन सिंह-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र लालगंज (351) में ब्लाक लालगंज में देवगांव बजा पारस सिंह के कटरा से बेरमा में खन्ना सिंह के घर होते हुए कब्जा देवगांव में अनिल के घर होते हुए पश्चिम दलित बस्ती तक लेपन कार्य एवं पटरी निर्माण लम्बाई 1200 मीटर और ब्लाक लालगंज में निहोरगंज बाजार में मन्दिर से रामपुर कठरवां झब्बर राम के घर होते हुए दलित बस्ती लेपन कार्य दूरी 2 कि0मी0 ब्लाक-लालगंज में थाना देव के पीछे पश्चिम ईदगाह तक लेपन एवं मरम्मत ब्लाक लालगंज में देवगांव ज्यूवली मार्ग से ग्राम तरफ का से कपूर चौहान के घर तक लेपन एवं मरम्मत कार्य 1 कि0मी0 ब्लाक लालगंज में ग्राम खुम्हा देवरी एवं लहुआ मार्ग से ग्राम नोनीपुर से कन्चनराम के घर तक लेपन एवं मरम्मत कार्य दूरी 1300 मीटर। उपरोक्त सड़कों को लेकर क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर जनता शासन/प्रशासन को अवगत करा चुकी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यानाकर्षण की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज तहसील मुख्यालय के बगल से गुजर रहे हाई-वे पर ट्रामा सेन्टर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

[मान्यवर, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर बिहार बार्डर से सटा हुआ एक पिछड़ा जनपद है। इस जनपद से गुजरने वाला हाई-वे पर आये दिन दुर्घटना होती है, किन्तु यहां ट्रामा सेन्टर स्थापित नहीं होने से दुर्घटना में घायल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोगों को समय पर इलाज न मिल पाने के कारण मौत हो जाती है। उल्लेखनीय है कि कुशीनगर से गोरखपुर जहां पर ट्रामा सेन्टर स्थापित है, की दूरी 100 कि0मी0 तथा बिहार प्रदेश में स्थित छपरा जहां पर ट्रामा सेन्टर स्थापित है की दूरी 150 कि0मी0 है। इसलिये जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज तहसील मुख्यालय जहां से यह हाई-वे गुजरता है, पर एक ट्रामा सेन्टर का अविलम्ब निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज तहसील मुख्यालय के बगल से गुजर रहे हाई-वे पर ट्रामा सेन्टर का अविलम्ब निर्माण कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में विद्युत आपूर्ति के लिये 132 के0वी0ए0 विद्युत केन्द्र की स्थापना एवं अन्य कतिपय कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जयसवाल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र रुधौली में जनपद बस्ती में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे तथा तहसील स्तरीय ग्रामों को 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने की घोषणा विद्युत ट्रान्सफार्मरों पर क्षमता से अधिक भार होने के कारण तथा जर्जर तारों एवं खम्भों की वजह से विद्युत उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज के साथ-साथ लाईट ट्रिपिंग (ब्रेक डाउन) की समस्या के कारण सरकार का आदेश निष्प्रभावी साबित हो रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित दसिया और बघौडी सब-स्टेशन के लिये 132000 के0वी0ए0 सब-स्टेशन गिदही से अलग लाइन बनाकर आपूर्ति दी जाती रही है। परन्तु विगत दो वर्षों से दसिया और बघौडी की लाइन ब्रेक डाउन होने की वजह से 4 स्टेशनों को एक ही लाइन पर जोड़ दिया है। ग्रामीणों के द्वारा बराबर पत्राचार करने के बावजूद विभाग द्वारा केवल गाउखोर सब-स्टेशन को अलग कर दी गयी है परन्तु तीन सब-स्टेशन भानूपुर, दसिया, बघौडी एक ही लाइन पर चलाये जा रहे हैं। लाइनों पर क्षमता से अधिक भार होने से ट्रिपिंग लो-वोल्टेज की समस्या बराबर बनी रहती है।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा तहसील स्तर पर विद्युत उपकेन्द्र बनाकर सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था बनायी गयी थी जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो तहसीलें भानुपुर व रुधौली में नया विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराया गया तथा तत्कालीन मुख्य मंत्री के द्वारा उसका उद्घाटन भी करा दिया गया परन्तु नवनिर्मित भानुपूर तहसील का 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र भानुपुर को अब तक संचालित नहीं किया गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थापित विद्युत उपकेन्द्र रुधौली को वर्तमान में 132 के0वी0ए0 विद्युत केन्द्र वांसी जनपद सिद्धार्थनगर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथा शेष उपकेन्द्रों को जनपद बस्ती से विद्युत आपूर्ति की जाती है। दोनों जनपद के अधिकारियों में संवादहीनता तथा विद्युत आपूर्ति के समय सारणी के अन्तर के कारण उपभोक्ताओं को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त विद्युत आपूर्ति के समस्यायें की निदान हेतु मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्व की सरकार द्वारा स्वीकृत 132 के0वी0ए0 विद्युत केन्द्र की स्थापना तथा ट्रान्सफार्मरों का उच्चीकरण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। 132 के0वी0ए0 के लिये विकास खण्ड रामनगर के ग्राम परसोनिया में पर्याप्त भूमि उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रकरण लोक महत्व का है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराकर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के अशरफपुर वरवां से कटेहरी मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र कटेहरी जनपद अम्बेडकर नगर में अशरफपुर वरवॉ से कटेहरी मार्ग महत्वपूर्ण मार्ग है, परन्तु उक्त मार्ग अत्यधिक टूटी हुई है। जिसके कारण आज जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु लोक महत्व की इस समस्या की तरफ मा0 सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अशरफपुर वरवां से कटेहरी मार्ग को हाट मिक्स से बनवाने की मांग करता हूं।]

नगर फिरोजाबाद के आसफाबाद स्थित रेलवे क्रासिंग संख्या-62 पर उपरिगामी पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नगर फिरोजाबाद की भीषण समस्या से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

नगर फिरोजाबाद अपनी 100 वर्षों से अधिक पुरानी कांच चूड़ी एवं कांच के अन्य उत्पादों के निर्माण, निर्यात के लिये देश-विदेश में प्रसिद्ध है तथा हाल में नगर निगम का दर्जा प्राप्त कर चुका है। नगर फिरोजाबाद में रेलवे क्रासिंग संख्या-62 आसफाबाद चौराहा के दोनों ओर विगत 40 वर्षों से अधिक समय से घनी आबादी, स्कूल, कालेज, अस्पताल एवं व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही है परन्तु नगर फिरोजाबाद से गुजरने वाले अत्यन्त व्यस्त दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर इतनी बड़ी आबादी क्षेत्र में कोई ऊपरिगामी सेतु (आर0ओ0बी0) न होने के कारण क्रासिंग संख्या-62 के (रेलवे लाइन के दूसरी तरफ) क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले एवं आवागमन करने वाले नागरिकों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

जब तक आसफाबाद क्रासिंग संख्या-62 पर ऊपरिगामी सेतु का निर्माण नहीं होगा तब तक बहुत बड़े क्षेत्र का समुचित एवं सर्वांगीण विकास अवरुद्ध रहेगा जिसके निदान हेतु क्रासिंग संख्या-62 आसफाबाद पर एक ऊपरिगामी सेतु का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये फिरोजाबाद नगर की जनता को भीषण समस्या से निजात दिलाने हेतु अतिशीघ्र आसफाबाद स्थित क्रासिंग संख्या-62 पर एक ऊपरिगामी सेतु के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र 168 मलिहाबाद, जिला लखनऊ के निम्नलिखित मार्ग बनाना जनहित में बहुत जरूरी है। यह विषय अति लोक महत्व का है :-

1-वि0ख0 माल के खण्डसरा डामर रोड से जगनी खेड़ा तक दूरी लगभग 1.5 कि0मी0 कच्चा मार्ग का नवनिर्माण, डामरीकरण।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-वि0ख0 माल के माल भरावन रोड स्थित अपना बाजार मण्डी गेट माल से शाहमऊ नहर पुलिया तक दूरी लगभग 1 कि0मी0 खड़न्जा मार्ग का नवनिर्माण, डामरीकरण।

3-वि0ख0 मलिहाबाद के मवई कलां से टिकरा तक दूरी लगभग 1.5 कि0मी0 कच्चा मार्ग का नवनिर्माण, डामरीकरण।

4-वि0ख0 मलिहाबाद के जिन्दौर टिल्ला के पास से रामनगर तक दूरी लगभग 2.0 कि0मी0 कच्चा मार्ग का नवनिर्माण, डामरीकरण।

5-वि0ख0 काकोरी के दुर्गागंज नहर पुलिया से नहर पटरी मार्ग काकोरी बहरू मार्ग पर स्थित ईदगाह तक दूरी लगभग 3.0 कि0मी0 कच्चा मार्ग एवं खड़न्जा मार्ग 3.75 मी0 की चौड़ाई में नवनिर्माण, डामरीकरण।

6-वि0ख0 काकोरी के लोहजरा (सरसण्डा) से बहेलिया तक दूरी लगभग 1.5 कि0मी0 कच्चा मार्ग का नवनिर्माण, डामरीकरण।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त सूचना को ग्रहण करके इस अति लोक महत्व के विषय का संज्ञान लेकर कार्यवाही करने की कृपा करें।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीलासपुर के अन्तर्गत अतिथि गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[मान्यवर, जनपद पीलीभीत की विधान सभा क्षेत्र 130-बीसलपुर के अन्तर्गत कोई भी ऐसा अतिथि गृह नहीं है। जहां कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाये तो उसको ठहराया जा सके। इसी क्रम में लो0 नि0 विभाग द्वारा उन स्थलों पर अतिथि गृह निर्माण किये जाने का प्रस्ताव एवं प्राकलन शासन को प्रेषित किया हुआ है। जो स्थल लो0 नि0 विभाग के हैं, उनका क्षेत्रफल बीसलपुर नगर तथा विलसेड़ा नगर दोनों स्थलों पर कम से कम एक-एक एकड़ से भी अधिक भूमि है। इन दोनों स्थलों पर एक-एक जीर्ण-शीर्ण कोठरी बनी हुई है। जिस पर कि अधीनस्थ अतिथि गृह अंकित है। यह दोनों स्थल बीसलपुर-विलसेड़ा-गोला मार्ग पर स्थित है। जो अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो गया है। इन दोनों स्थलों के प्राकलन शासन स्तर पर अनुभाग संख्या-05 में लम्बित है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की कृपा की जाये तथा दोनों प्रस्तावित एवं शासन स्तर पर लम्बित प्राकलन स्वीकृत कर अतिथि गृह निर्मित कराये जाये।]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के घाघरा नदी के तट पर किसानों के घरों को कटान से बचाने तथा कटान में समाहित किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत घाघरा नदी के किनारे बसी बसावटें/ग्राम पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ गयी है। नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है। कैंथी गांव पंचायत व मरौंचा के कई दर्जन घर नदी के कटान में पूर्व में समा चुके हैं। जुलाई माह में सुखराम,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लल्लन सहित चार घर घाघरा नदी में समा गये हैं। अभी तक स्थानीय प्रशासन व बाढ़ खण्ड-फैजाबाद द्वारा गांव को बचाने के कोई कारगर उपाय नहीं किये गये हैं जिसके कारण क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

[02.01] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-300 की सूचना लेता हूँ। आज दिनांक 11 जुलाई, 2017 को नियम-300 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई।

संविधान सम्मत न होने के बावजूद दो-दो उप मुख्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाकर नियमों एवं परम्पराओं का उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना श्री नितिन अग्रवाल जी की संविधान में उप मुख्य मंत्री बनाये जाने की कोई व्यवस्था न होने के बावजूद प्रदेश में दो-दो उप मुख्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाकर नियमों, परम्पराओं का उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में है। यह नियम-300 में नहीं आती है इसलिए यह नहीं सुनी जाएगी। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(श्री नितिन अग्रवाल जी द्वारा अपनी बात बोलने का प्रयास करने पर)

आप नियम-300 को पढ़िये और नियम-300 में लिखा हुआ है। मैं अपनी तरफ से बोलता तो आप कहते कि मैं किताब से नहीं बोल रहा हूँ। औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों से जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, सदन का कार्य संविधान के जिन अनुच्छेदों से विनियमित होता है उनके सम्बंध में ही औचित्य प्रश्न उठाये जा सकते हैं उनके निर्वचन के बारे में या परिवर्तन के बारे में क्योंकि इस व्यवस्था के अन्तर्गत जो आपने औचित्य का प्रश्न की सूचना दी है उससे सदन के कार्य को विनियमित करने का कोई सम्बन्ध नहीं न तो नियमावली-300 का और न ही संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद का इसलिए यह अग्राह्य है।

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

श्री नितिन जी, वह अग्राह्य है। आप बाद में निर्णय ले लीजिएगा कि वह ग्राह्य है या अग्राह्य।

(श्री नितिन अग्रवाल सदन के वेल में आ गये और वहीं से अपनी बात बोलने लगे)

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, मुझे अपनी बात रख लेने लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

श्री नितिन अग्रवाल जी, मेरा आपसे आग्रह भी होगा सुझाव भी होगा कि अपनी सुविधा के लिए और जो विषय इससे जुड़े है आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला तो यह है कि मा0 देवी लाल जी के उप प्रधानमंत्री पद को लेकर के एक याचिका हुई थी वह याचिका नहीं स्वीकार की गयी

कि उप प्रधानमंत्री क्यों कहा गया? दूसरी बात मंत्रियों की नियुक्ति श्री महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा होती है संवैधानिक प्रावधानों के अधीन है इसलिए उनकी नियुक्ति के किसी विनिश्चय को इस आदरणीय सदन में औचित्य के प्रश्न के रूप में या किसी और प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता है।

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(श्री नितिन अग्रवाल वापस अपने स्थान पर चले गये।)

महामहिम श्री राज्यपाल जी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि आप अलग से पढ़ सकते हैं। हम उस पर अपनी व्यवस्था दे चुके हैं।

***श्री नितिन अग्रवाल-**

व्यवस्था देना आपका अधिकार है लेकिन मान्यवर, हमारी बात तो सुन लें। हमारी बात तो आ जाने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना हमने पढ़ ली। वह सुस्पष्ट है। हमने उस पर निर्णय सुना दिया।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह परम्परा रही है कि जो मा0 सदस्य नियम-300 में सूचना देते हैं। मा0 अध्यक्ष उस सदस्य की बात सुन लेते हैं। उसके बाद अपनी व्यवस्था में अग्राहय करते हैं, वह नियम विरुद्ध बताते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपनी व्यवस्था देने से पहले मा0 सदस्यों की बात सुन तो लीजिए कि वह क्या कहना चाहते हैं। उस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राम गोविन्द चौधरी जी, आपकी बात का पूरा आदर है। लेकिन उनका विषय सुस्पष्ट है। जितना लिखा हुआ उससे उनकी पूरी बात आ जाती है। अगर आती है तो आप ही नियम-300 पढ़ दीजिए। आप नोटिस पढ़कर देख लीजिए।

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, पूरी बात तो हम सूचना में नहीं दे सकते। हमने आपको सूचना दे दी उसके बारे में मैं क्या कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपके किन नियमों में लिखा है कि आप यहां आ जायें जहां आप आ गये थे।

श्री नितिन अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी वहां आने का तो हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है कि अपनी बात को सुनवाना।

श्री अध्यक्ष-

यहां आना आपका अधिकार है।

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, अगर विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जाएगा तो आना पड़ता है। आप हमारी बात तो सुन लीजिए। अग्राह्य, ग्राह्य कर दीजिएगा वह आपका अधिकार है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह तो जबरदस्ती है।

श्री नितिन अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, संविधान के आर्टिकल 164 में यह साफ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी का चयन मा0 राज्यपाल जी करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मा0 मुख्य मंत्री जी के परामर्श से मा0 राज्यपाल जी करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-300 में कैसे आता है इतना बता दीजिए।

श्री नितिन अग्रवाल-

यह आप तय कीजिएगा। हमें अपनी बात तो कहने दीजिए। अनुच्छेद-63 में मा0 उप राष्ट्रपति जी का पद सृजित है।

श्री अध्यक्ष-

आप यह बताइये कि यह नियम-300 में कैसे आता है।

(मा0 अध्यक्ष एवं श्री नितिन अग्रवाल जी के एक साथ बोलते रहने पर)

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप बैठें।

(इस बीच श्री नितिन अग्रवाल जी बोलते रहे लेकिन उनका माइक आफ था।)

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप सरकार से क्यों पूछना चाहते हैं जब मैं उत्तर दे रहा हूं। औचित्य का प्रश्न सरकार से नहीं होता है। आप बैठें। यह नियम-300 में कहां आता है यह आप स्पष्ट करिये। नियम-300 का प्रश्न हमेशा अध्यक्ष से होता है।

(श्री नितिन अग्रवाल जी एवं श्री अध्यक्ष जी के एक साथ बोलने पर)

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, जब उप मुख्य मंत्री की शपथ दिलायी गयी है।

(इस बीच श्री नितिन अग्रवाल जी बोलते रहे लेकिन उनका माइक आफ था।)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें। यह मामला नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है। अब मैं अगली मद लेता हूं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 मई, 2017 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 मई, 2017 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 मई, 2017 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2017 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 व 6 में कुछ नहीं है, अब मद संख्या-7 लेते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10 जुलाई, 2017 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 11 जुलाई, 2017 से दिनांक 28 जुलाई, 2017 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 12 जुलाई, 2017 को निधन के निर्देश सम्बन्धी सूचनायें ली जायं,

2-दिनांक 13 जुलाई, 2017 को वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा हो,

3-दिनांक 17 जुलाई, 2017 को सदन की बैठक न हो,

तद्नुसार दिनांक 11 जुलाई, 2017 से दिनांक 28 जुलाई, 2017 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

जुलाई, 2017

11 मंगलवार	1-12.20 बजे अपराह्न वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण। 2-विधायी कार्य।
12 बुधवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें। 2-विधायी कार्य।
13 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
14 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
15 शनिवार 16 रविवार 17 सोमवार	बैठक नहीं होगी।
18 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
19 बुधवार 20 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
21 शुक्रवार	(1) वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। (2) असरकारी दिवस (आधा दिन)।
22 शनिवार 23 रविवार	बैठक नहीं होगी।

जुलाई, 2017

24 सोमवार 25 मंगलवार 26 बुधवार 27 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
28 शुक्रवार	(1) वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। (2) 03.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-9। आज दिनांक 11-07-2017 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 09 सूचनाओं एवं नियम-311 की 05 सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं। प्रथम सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

1	1) श्री रामगोविन्द चौधरी, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की 2) श्री अजय कुमार लल्लू, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, श्री मसूद अख्तर, श्री नरेश सैनी, श्री राकेश सिंह, सुश्री अदिति सिंह एवं श्री सोहिल अख्तर अंसारी की 3) श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री मनोज कुमार पारस एवं श्री आशुतोष उपाध्याय की 4) श्री लालजी वर्मा की 5) श्री नितिन अग्रवाल की 6) श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्री विनय शंकर तिवारी,	जनपद सीतापुर में दिनांक 09-7-2017 को हुई लूटपाट-मारपीट एवं जनपद रायबरेली में दिनांक 26-6-2017 को 05 व्यक्तियों की नृशंस हत्या तथा जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक 26-6-2017 को हुई घटना पर पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही न किये जाने तथा प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

	श्री रितेश पाण्डेय, श्री रामवीर उपाध्याय एवं श्री लालजी वर्मा की 7) श्री धर्मराज सिंह उर्फ सुरेश यादव एवं श्री शैलेन्द्र यादव उर्फ ललई की नियम-56 में एवं 8) श्री अजय कुमार लल्लू, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, श्री मसूद अख्तर, श्री नरेश सैनी, श्री राकेश सिंह, सुश्री अदिति सिंह एवं श्री सोहिल अख्तर अंसारी की 9) श्री लालजी वर्मा, श्री सुखदेव राजभर, श्री राम अचल राजभर, श्री रितेश पाण्डेय, श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्रीमती बन्दना सिंह, श्री अनिल सिंह एवं श्रीमती सुषमा पटेल की 10) श्री नितिन अग्रवाल, श्री पारस नाथ यादव, डा0 संग्राम यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री मनोज कुमार पारस, श्री वीरेन्द्र यादव एवं श्री अब्दुल्ला आजम खां की 11) मनोज कुमार पाण्डेय, श्री मनोज कुमार पारस एवं श्री आशुतोष उपाध्याय की नियम-311 में प्राप्त सूचनाएं।	
2	श्री सुखदेव राजभर एवं श्रीमती बन्दना सिंह	जनपद आजमगढ़ के थाना रौनापार व कोतवाली जीयनपुर के कतिपय ग्रामों में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

1	श्री संजय प्रताप जायसवाल
2	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री पारस नाथ यादव,

	श्री दुर्गा प्रसाद यादव, डा0 संग्राम, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री महबूब अली, श्री वहाब चौधरी, श्री अब्दुल्ला आजम खां एवं श्री मनोज कुमार पारस।

इसमें अधिकांश सूचनाओं पर विषय लगभग एक ही है। अब मा0 नेता विरोधी दल अपनी बात कहें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी।

श्री सुखदेव राजभर-

अध्यक्ष जी, जनपद आजमगढ़ में अवैध शराब के कारण 30 लोग मरे हैं, उसकी सूचना मैंने नियम-56 में दी थी, कम से कम इतनी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं को सदन के संज्ञान में लायें। इसमें 30 लोग मर चुके हैं, 12 लोगों की हालत सीरियस है। मैंने इसकी नियम-56 के अन्तर्गत सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना है, मैंने देख लिया है, मैंने नेता प्रतिपक्ष को उनकी सूचना के आधार पर ही बुलाया है। आपकी सूचना भी प्राप्त हुई है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनकी सूचना को भी इसी के साथ ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हमारी कोशिश होगी कि इनको भी सुन लें।

माननीय नेता विरोधी दल बोलें।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आज ही सबेरे मा0 मुख्य मंत्री जी अपना व्यस्ततम कार्यक्रम को छोड़कर के कश्मीर की आतंकी घटनाओं की निन्दा करने हेतु यहां पधारे, पूरा सदन उनके साथ था और कुकृत्यों का विरोध किया। यह भी मा0 नेता सदन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरा सावन महादेव जी को शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए बद्रीनाथ कावंड़िये के रूप में एक महीना जाते हैं। तो घटना तो उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गई श्रीमन्, गुरू पूर्णिमा के दिन नैमिषारण्य जनपद सीतापुर में गुरूदेव आश्रम में गुरूपूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा था और महोत्सव से वापस जो श्रृद्धालु जा रहे थे, बीच में 10-15 अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने उनको मारा, पीटा सब रूपये, सामान छीन लिये, मोबाइल छीन लिये, गोली मार दी और उस साधू को गोली भी लगी, वह जाने कि मर गया, चले गये, लेकिन वह साधू जीवित है, अस्पताल में भगवान की कृपा से उनकी दवा चल रही है। चार दिन जब यहां पर विधान सभा का सत्र चला था श्रीमन् उसमें भी कानून-व्यवस्था के नाम पर काफी चर्चायें हुयीं। सरकार बार-बार इस बात की घोषणा करती है कि कानून-व्यवस्था दुरुस्त है, हम काम भी कर रहे हैं। हम भी

चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था दुरुस्त हो, अपराधों में कमी आये, हत्या में कमी आये, चोरी में कमी आये, डकैती में कमी आये, बलात्कार में कमी आये, इसमें सरकार को साथ देने के लिए हम लोग साथ हैं, लेकिन दुर्भाग्य सरकार कहां सोई हुई है कि दिन प्रति दिन आपराधिक घटनायें सुरसा के मुंह की तरह से बढ़ती ही जा रही हैं और अब तो साधु-सन्त भी सुरक्षित नहीं हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस प्रदेश की और क्या हो सकती है, इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे कि प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून-व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए, जो डकैतियां हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, छेड़खानी हो रही हैं, चोरी हो रही है, छिनैती हो रही हैं, राहजनी हो रही हैं, इसको गम्भीरता से लेते हुए सदन की कार्यवाही को रोक करके इस कानून-व्यवस्था पर चर्चा हो और सरकार और पक्ष के लोग इस पर विचार करें कि आखिर में हम देश-प्रदेश की जनता को सुरक्षित किस स्थिति में रख सकते हैं, इन्हीं बातों के साथ मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

(मा0 सदस्य श्री लालजी वर्मा का नाम पुकारे जाने एवं उनके सदन में अनुपस्थित रहने पर)

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कार्य-स्थगन की सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, पूरा प्रदेश आज भयाक्रान्त है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जिस तेजी के साथ लूट, हत्या, डकैती अपने सबाब पर है, आज व्यापारी हो, आम आदमी हो, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। बड़ी उम्मीद के साथ इस प्रदेश में प्रदेश के लोगों ने इतना बड़ा जनादेश दिया था और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में नहीं थी तो उसने एक नारा दिया था- ''न गुण्डाराज, न भ्रष्टाचार, अबकी बार भाजपा सरकार'' और आज महोदय मुझे यह कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि ''चारों ओर लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, छिनैती मचा है हाहाकार, यही है तो भइया असली भाजपा की सरकार'' और भाजपा की सरकार ने जिस तरह लोगों के विश्वास को छलने और ठगने का काम किया है। उससे प्रदेश में अपराधियों का हौसला बढ़ा है। गुण्डे माफिया दिन दहाड़े हत्यायें कर रहे हैं। रायबरेली में क्या हुआ ? रायबरेली में एक पूर्व प्रधान श्री रोहित शुक्ला जो अपनी रिश्तेदारी में गये थे और वहां ऊंचाहार जनपद रायबरेली में जाने के बाद उनके परिजन श्री नागेन्द्र शुक्ल, श्री बच्चा शुक्ला, श्री अनूप मिश्रा, श्री भास्कर मिश्रा, श्री शिव कुमार पण्डित, ऐसे पांच लोग एक परिवार के जिनकी निर्मम हत्या कर दी गयी। मान्यवर, नरसंहार हुआ है। दो लोगों को गोली मार दी गयी, बाकी लोगों को गाड़ियों में जला दिया गया, यह कितनी शर्मनाक घटना इस प्रदेश में घटित हुई। मान्यवर, सीतापुर में एक व्यापारी के श्री सुनील कुमार जैसवाल की पत्नी श्रीमती कामनी और बेटी रितिका को सरे आम बदमाशों द्वारा घर के बाहर गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गयी, मात्र दो बेटियां बची। मैं मौके पर गया था, उस पीड़ित परिवार से मिला वह परिवार आज भी डर और भय में डूबा हुआ है। जेवर में बुलन्दशहर मार्ग पर अपने बीमार रिश्तेदार को लेकर वहां एक व्यक्ति श्री मो0 शकील कुरेशी जो 45 साल के मो0 हबू कुरैशी की हत्या कर दी गयी, महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और वह घटना आज तक नहीं खुली और न ही जो लोग अपराधी थे उनको पकड़ा गया। महोदय यहीं देवरिया में दलित दम्पति सत्यनारायण और उनकी पत्नी की निर्मम हत्या हो गयी।

श्री अध्यक्ष-

आप थोड़ा संक्षेप में बोलें, माननीय राम गोविन्द जी बहुत संक्षेप में आज बोले हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 का प्राविधान यह है कि घटना सुनिश्चित हो, एक घटना के बारे में बोल सकते हैं। आपने ग्राह्यता की अनुमति दी है, जो घटनायें बता रहे हैं उसकी सूचना तो मेरे पास पहले से है नहीं। घटनायें सुनिश्चित हों तो आप कहें।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, मैंने आपको सारी सूचनायें दी हैं और जितनी सूचनाओं को मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष-

आप हमारी एक पंक्ति की बात सुन लें, नियम-56 का प्राविधान है कि किसी सुनिश्चित विषय पर ही सूचना दी जाती है। आप प्रदेश की अनेक घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। उदाहरण में हो तो बात अलग है। अनेक घटनायें इसमें आ गयीं तो जब हम सरकार को उत्तर के लिए कहेंगे तो इनके पास जानकारी नहीं होगी।

श्री अजय कुमार लल्लू-

महोदय नियम-56 की सूचना पूरी पार्टी के सारे सदस्यों की तरफ से दी जाती है तो कानून-व्यवस्था पर सामूहिक चर्चा होती है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं चर्चा नहीं हो रही है। हम आपको मना नहीं कर रहे हैं आप हमारी बात सुन लीजिए। हमारा निवेदन यह है कि कानून-व्यवस्था पर चर्चा नहीं स्वीकृत हुई है, जैसे आप माननीय न्यायालय में जाते हैं तो माननीय न्यायालय में पहले केस के एडमिशन पर बहस होती है, ग्राह्यता पर तो आपका विषय सुने जाने योग्य है, इस पर बोलना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि आप अपनी सारी बातें रख चुके हैं कि एक-आधि लाइन रह गयी है। अगर रह गयी हो तो अन्तिम लाइन बोल दीजिए।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, चाहे पार्षद आरिफ गांधी की हत्या हो, मेरठ में शामली में। बिजनौर में दरोगा की हत्या हो। मिर्जापुर में दो लोगों की हत्या हो और सबसे बड़ी कानून-व्यवस्था के उदाहरण तो यह है जो हमारे पूर्वज, धरोहर श्री राजीव गांधी जी की मूर्ति को भी तोड़ने का दुस्साहस किया गया। मुजफ्फरनगर में गांधी जी की प्रतिमा, इन्दिरा गांधी जी की प्रतिमा को तोड़ने का दुस्साहस। इस तरह की स्थिति फैली हुई है। मान्यवर, एक अन्तिम बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं।

श्री अजय कुमार लल्लू-

चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं हैं, पूरी सरकार बैठी है यहां, पूरी सरकार है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय मुख्य मंत्री जी कुशीनगर गए थे और कुशीनगर जाने से पहले उन्होंने वहां के जिलाधिकारी को निर्देश देकर वहां पर जो दलित भाई थे उन लोगों को साबुन और शैम्पू से नहाकर आने की बात कही थी।

श्री अध्यक्ष-

यहां पर साबुन और शैम्पू का क्या मतलब है ?

श्री अजय कुमार लल्लू-

इसलिए मैं ये साबुन और शैम्पू उनको सप्रेम भेंट करना चाहता हूं।

(तत्पश्चात् श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा सत्ता पक्ष की ओर साबुन और शैम्पू दिखाया गया)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा विरोध किया गया)

(सदन में शोर की स्थिति)

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, उन्होंने इतना बड़ा काम किया था इसलिए उनको यह साबुन और शैम्पू समर्पित है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए। कृपया आप बैठें।

श्री अजय कुमार लल्लू-

अध्यक्ष महोदय, दलितों के साथ, दलितों के ऊपर जिस तरह की मानसिकता का काम किया गया है इसलिए मैं इसे समर्पित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें।

श्री अजय कुमार लल्लू-

ताकि कम से कम उन नेताओं को कुछ पता चले।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप बैठिए। आपका बोला हुआ अब आगे कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। आप जो कुछ बोल रहे हैं, वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। आप कृपया बैठिए। आप अपना स्थान ग्रहण करिए। आप कृपया स्थान ग्रहण करिए।

(सदस्य श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। आपका बोला हुआ कुछ भी कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। आपका बोला कोई भी अंश अब कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। कृपया आप बैठें। कृपया शान्त रहिए।

(श्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं, मा0 ब्रजेश जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

विधि एवं न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कार्य-स्थगन है और उनका कार्य-स्थगन में तो है नहीं। माननीय मंत्री जी, कार्य-स्थगन में कैसे बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन में नहीं है लेकिन उनको कोई आपत्ति है तो हम उनको सुने लेते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, वह नियम के अन्तर्गत नहीं बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने अनुमति दी है। माननीय वर्मा जी, मैं अभी आपका नाम पुकार रहा था तब तो आप थे नहीं। मैं आपको दोबारा बुलवाऊंगा।

श्री ब्रजेश पाठक-

अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध यह है कि आप प्रातःकाल से पीठ से लगातार निर्देश दे रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह नई परम्परा न डालिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, हम आपको सुनेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह नई परम्परा न डालिए, यह हम लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा।

श्री ब्रजेश पाठक-

वर्मा जी, सिर्फ बस 2 मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप एक मिनट में कहें, क्या कहना चाहते हैं ?

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रातः काल से जब से सदन बैठा है। आप लगातार कह रहे हैं कि सदन की सुरक्षा के लिए हमें ऐसे परिपत्रों को सदन में नहीं लाना चाहिए जिससे हमारी तलाशी ली जा सके। प्रातःकाल बैनर लहराए गए और अब ये माननीय सदस्य साबुन, तेल, शैम्पू और मंजन लेकर आए हैं। यह अवैधानिक है, असंवैधानिक है। जिस तरीके से यह माननीय सदस्य जो साबुन और शैम्पू लेकर आए हैं तो हो सकता है कि कोई आग्नेयास्त्र ले आए, कोई बम ले करके आ जाए यहां पर इसलिए मैं माननीय लल्लू जी के कृत्य की निन्दा करता हूं और सदन में प्रस्ताव करता हूं कि सदन इसकी सर्वसम्मति से निन्दा करे ताकि कोई भी इस तरीके का सामान लेकर सदन में न आए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाठक जी, अब आप बैठें, आपका व्यवस्था का प्रश्न हो गया।

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, ये साबुन, तेल, मंजन ले करके यहां पर आए हैं। अगर ये फ्रेश नहीं हैं तो ये टॉयलेट में जाकर फ्रेश हो जाएं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, सदन नाटक के लिए नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाठक जी, अब आप बोल चुके, आप बैठिए। माननीय लालजी वर्मा जी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नियम-56 में एक प्रकरण है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि माननीय श्याम सुन्दर शर्मा जी को आप पहले सुन लें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारे क्षेत्र का प्रकरण है और हमारा नाम भी सूची में 3 नम्बर है तो मेरा सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाण्डेय जी, आपके क्षेत्र का है, हम आपको सुनेंगे। अभी माननीय श्याम सुन्दर शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रकरण हमारे यहां का है और हमारा नाम इसमें तीसरे नम्बर पर आपने ही डाला है इसलिए मेरा सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, इसमें जितने विषय थे मैं सबको सुनना चाहता था लेकिन हमारे माननीय सदस्य और मित्र, बहुत आत्मीय अजय कुमार जी ने विषयान्तर कर दिया, उसमें साबुन ले आए, तमाम चीजें ले आए। मेरा जो संविधान का ज्ञान था तो हमारा ज्ञान मेरा ख्याल जो भी विद्या रथी या वृत्त के विद्वान सदस्य हैं उनका ज्ञान बिल्कुल उसमें लॉ ऐण्ड ऑर्डर में साबुन और शैम्पू तमाम चीजें आ गईं तो खैर उससे तो ज्ञानवर्धन हो गया इसलिए उसमें हमारा 4-5 मिनट चला गया।

(मा0 सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, हम आपको बुलवाएंगे। आप क्या पहले बोलना चाहते हैं ? अगर माननीय श्याम सुन्दर शर्मा जी एक मिनट बोल लें तो आपको क्या कठिनाई है ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, व्यवस्था में तीसरे नम्बर पर हमें ही बोलना है।

श्री अध्यक्ष-

असल में समाजवादी पार्टी से माननीय नेता जी बोल चुके हैं। हम आपको बोलने देंगे लेकिन बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य को बोल लेने दीजिए।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 पार्टीवाइज नहीं होता है। नियम-56 में माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में या प्रदेश में गम्भीर समस्याएं जो घटित होती हैं उसके सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और यह भी बात सही है कि एक कार्य-स्थगन में केवल एक ही ईश्यू रहता है उसकी तात्कालिकता, उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है और वह क्यों उसको उठाना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में होता है। मेरा इसमें आपसे आग्रह है कि जिस विषय पर माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी बोल रहे थे इस विषय पर जितने भी माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिया उन सबको दो-दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं वही कहने जा रहा था।

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह अनुरोध कर रहा था कि प्रकरण हमारी विधान सभा क्षेत्र का है, वह प्रकरण सही तरीके से यहां आ जाए। सभी दल के माननीय सदस्य जो भी उस पर कहना चाहते हैं, उनको भी सुन लीजिए। हम यही आग्रह करना चाह रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले ही क्यों बोलना चाहते हैं ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

पहले बोलने की बात नहीं है, सीरियल में आपने जो व्यवस्था दी है उसी के हिसाब से मैं बोलना चाहता था। सीरियल में तीसरे नम्बर पर हमारा नाम है।

श्री अध्यक्ष-

जैसा कि अभी माननीय रामगोविन्द जी ने कहा वैसा ही हमारा विचार रहा और इसीलिए मैं बुलवा रहा था अब ये खड़े हो गए इतनी देर में तो वे बोल लेते। आप मनोज जी अब आप बैठिए।

*श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, जो हमसे छूट जाए वह ये बोल लें। माननीय अध्यक्ष जी, आपको ढेर सारा साधुवाद एक गंभीर प्रकरण और ऐसा गंभीर है ग्राम भुरजई इटौरा बुजुर्ग थाना ऊंचाहार वह ऐसी काली रात जिसमें सारी लक्ष्मण रेखाएं तोड़कर ब्रुटल मर्डर किये गए। ब्रुटल मर्डर के साथ-साथ अगर मर्डर करने वाले बदमाशों को लाठियों से संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर गोली मारकर संतुष्टि हुई और गोली से भी संतुष्टि नहीं हुई तो उनको आग के हवाले कर दिया गया और इसके बाद इतने बुरे तरीके से मारा कि इतिहास में ऐसा प्रमाण शायद कोई नहीं मिलेगा। इसके साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने आंशिक धनराशि देकर एक संवेदना व्यक्त की थी। माननीय मंत्री एक थे, उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने संवदेना व्यक्त की मैं उनके लिए साधुवाद दे सकता हूं लेकिन जो धनराशि उनको दी गई वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी लेकिन दो भागों में इस पर विभक्तिकरण हुआ और विभक्तिकरण के साथ-साथ एक मंत्री जिन्हें उन लोगों को भावाजंलि देनी चाहिए थी, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी बजाय इसके जो लोग मरे उनके लिए कहा गया कि ये गुण्डे थे, ये बदमाश थे।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय तो कार्य-स्थगन में नहीं आता है।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

कार्य-स्थगन में ही आता है, मान्यवर। इसलिए कार्य-स्थगन में आता है कि सरकार का एक मंत्री कह रहा है कि घटना सही है, कार्रवाई होनी चाहिए दूसरा कहता है कि गुण्डे थे, बदमाश थे, लफंगे थे।

श्री अध्यक्ष-

आप कार्रवाई से सन्तुष्ट हैं ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, कार्रवाई से उनको जो मुआवजा मिला है वह बहुत कम मिला है। दूसरे इसमें इफेक्टिव कार्रवाई एन0एस0ए0 वगैरह की होनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक मंत्री सरकार को चुनौती देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, ऐसी कोई चुनौती नहीं देते हैं।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, अखबारों में यह चुनौती देते हैं, सरकार को यह भुगतना पड़ेगा। जिन मंत्री ने यह बात कही है हम मांग करते हैं कि या तो सदन में वह माफी मांगे, अगर नहीं मांगते हैं तो मुख्य मंत्री जी उनको बर्खास्त करें। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रकरण है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी। मैंने माननीय मनोज पाण्डेय को बुला लिया है आप विषयान्तर न करिए शर्मा जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह विषयान्तर कहां है ?

श्री अध्यक्ष-

यह विषयान्तर हो गया है। मैं तो उनसे बात कर रहा था। मनोज जी आप बोलें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, यह घटना 25 जून ऊंचाहार, रायबरेली की है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मनोज जी, आपका क्षेत्र है और वहां की जो बातें आ गयी हों उनको नहीं दोहराइयेगा, बाकी तथ्य बता दें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने सूचना दी है उसकी ग्राह्यता पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

उसी पर आप बोलें लेकिन जो बातें आ गयी हों उनको न दोहराएं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है। यह घटना 25 जून की हमारी विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार की ग्राम सभा इटौरा बुजुर्ग की है। अभी माननीय श्याम सुंदर जी ने जहां बात कही है उसके आगे की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। निश्चित रूप से यह घटना जो ऊंचाहार इटौरा बुजुर्ग में घटी है, इसने केवल रायबरेली को ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश को शर्मसार करने का काम किया है। इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि 5 नौजवान जिनके नाम हैं-अंकुश मिश्रा-19 वर्ष, अनूप मिश्रा-22 वर्ष, बृजेन्द्र शुक्ला-23 वर्ष और रोहित शुक्ला-26 वर्ष। इन 5 नौजवानों को पहले लाठियों से मारा जाता है, फिर गोलियों से मारा जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देती है कि उनकी दोनों आंखों को भी निकाल लिया गया है। मान्यवर, यह हत्यारे यहीं पर नहीं रुकते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसमें से दो मृतक बृजेन्द्र शुक्ला और रोहित शुक्ला के हाथ और पैर भी काट कर गायब कर दिए जाते हैं, हाथ-पैर वहां नहीं मिलते हैं। मान्यवर, ईंटों से और लोहे से उनके चेहरे को तब तक कुचला गया जब तक उनका चेहरा बर्बाद नहीं हो गया। तीन नौजवानों को गोली, लाठी, डण्डों से मार दिया गया और दो नौजवानों को गाड़ी के अन्दर डाल कर, पैरा डाल कर, पेट्रोल डाल कर यह लोग तब तक जलाते रहे जब तक उनका शव, उनकी बॉडी खत्म नहीं हो जाती है। यह घटना घटती है और एक घण्टे बाद वहां के एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी यह बयान देते हैं कि घटना नहीं यह दुर्घटना है।

श्री अध्यक्ष-

अद्यतन सरकारी कार्रवाई क्या हुई ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए। उस पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह घटना नहीं, दुर्घटना है। बिजली के पोल से लग करके दुर्घटना हो गयी, पांच आदमी मर गए। बिजली विभाग का एम0डी0 मेसर्स संख्या-1343 से यह लिखकर प्रमाण-पत्र देता है कि उस बिजली घर में साढ़े तीन घण्टे बिजली दी ही नहीं गयी, 7.30 से 9.40

तक रोक दी गयी थी। जब पुलिस के लोग और पत्रकार मित्र वहां पहुंचते है और कहते हैं यह तो गनशॉट इंजरी है, यह गोली लगी हुई है। तब पुलिस बयान बदलती है और मुकदमा लिखा जाता है। अध्यक्ष जी, बात एक छोटी घटना की नहीं है, पांच नौजवान मारे गए, उनकी नृशंस हत्या हुई। जिस तरह की हत्या हुई उसने मानवता को तार-तार कर दिया और पूरे प्रदेश और देश का सभ्य समाज आज इस घटना की निंदा कर रहा है। दुःखद घटना है, अमानवीय घटना है लेकिन उससे भी ज्यादा अमानवीय और उससे भी दुःखद यह है कि सरकार के एक मंत्री बयान देते हैं कि वह गुण्डे थे, अपराधी थे, शूटर थे और पैसे ले करके मारने के लिए बुलाए गए थे। उनको अपराधी बताया जाता है। हमने अपने 25 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा कि जिसमें पांच लोग नृशंस मारे गए हों और उनको गुण्डा बताया जा रहा हो, अपराधी बताया जा रहा हो और उन्हें मारने वाले लोगों के साथ खड़ा हुआ जाये। जिन्होंने यह कहा है हम आज उनसे कहना चाहते हैं कि मैं उन बयानों की सी0डी0 भी लाया हूं। आज मानवता शर्मसार हुई है, 5 नौजवान जलाए गए हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस बात को आप चार बार कह चुके हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, बयान दिया जाता है कि वह गुण्डे हैं। हम यह लिख करके देते हैं कि अंकुश मिश्रा, अनूप मिश्रा, बृजेन्द्र शुक्ला इनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, एक एन0सी0आर0 नहीं है। उन्हें अपराधी कहा गया माननीय अध्यक्ष जी, एक जिम्मेदार व्यक्ति सरकार के व्यक्ति ने यह बात कही है यह निश्चित रूप से विवेचना को प्रभावित करने का है यही नहीं अपराधी को और मारने वाले को बचाने का काम किया गया है, यह कोई छोटी घटना नहीं है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हम माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देंगे आभार प्रकट करेंगे कि पीड़ित पक्ष मिला हम लोग मिले माननीय मुख्य मंत्री जी ने 5 लाख की अनुकम्पा धनराशि दी लेकिन सदन के माध्यम से हमने अपनी नोटिस में भी निवेदन किया है कि 5 लाख रुपये की धनराशि उस पीड़ित परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है उसे 20 लाख रुपये किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी मैंने यह भी आग्रह किया है माननीय मुख्य मंत्री जी से भी और इस सदन के माध्यम से भी आग्रह करना चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार के हर मृतक परिवार से एक-एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाय और इस चीज की जांच कराई जाये कि वह कौन लोग हैं जिन्होंने विवेचना को प्रभावित करने के लिए इस तरह के बयान दिये जिससे आज उत्तर प्रदेश के लोग दुःखी है। लोगों में आशंका है कि यह पूरी-पूरी योजना है इस घटना का अलग रूप देने का और अपराधियों को बचाने का।

(सदस्यों द्वारा बोलने की अनुमति मांगने पर)

श्री अध्यक्ष-

अधिकांश लोग बोल चुके हैं अब आराधना जी के बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोलेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मुझे भी मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बैठें।

श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना''-

मान्यवर, यह रायबरेली में जो हत्या हुई इसमें से 5 में से 4 मेरी विधान सभा के थे मेरे कार्यकर्ता थे उनके प्रति संवेदना। मान्यवर, इतना समझ लीजिए कि सदन को मैं कुछ तथ्यों से अवगत

कराना चाहती हूं जो भ्रम फैलाया गया है। जो बातें आ चुकी हैं मैं उनको नहीं दोहराऊंगी, मैं प्रयास करूंगी कि उनको न दोहराया जाय पर मैं कुछ सच्चाई सदन के सामने रखना चाहती हूं। जनपद रायबरेली के थाना ऊंचाहार के ग्राम इटौरा बुजुर्ग में हुए नरसंहार की घटना पर सरकार एवं सम्पूर्ण सदन से मैं आग्रह करना चाहती हूं कि इस घटना को दल, पक्ष-विपक्ष, जाति-बिरादरी के आधार पर न देखें इसको मानवीय आधार पर देखा जाय। सबसे पहली बात मृतक रोहित शुक्ला अपने छोटे भाई देवेश शुक्ला की ससुराल गये थे जहां वह गद्दी पर रहते थे वह अपने भाई से मिलने गये थे और अक्सर जाया करते थे। यह उस सवाल का जवाब है जो पूछा जा रहा था कि आखिर रोहित शुक्ला वहां पर उस गांव में क्या करने गये थे वह अपने भाई से वहां मिलने गये थे। जब वह लोग, उनके साथ के जो 4 और लोग थे नाम बताया जा चुका है मैं उसको दोहराना नहीं चाहती हूं वह सभी लोग जब लौट रहे थे तो रोहित शुक्ला और उनके साथियों को घेरकर नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गयी। हत्यारों का इरादा उन्हें मार डालने का था अन्यथा वह लोग वापस जा रहे थे उन पर हमला क्यों किया गया ? जब रोहित शुक्ला अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे तो सबसे पहले उनके सिर में गोली लगी। अध्यक्ष जी, मैं आपसे 5 मिनट का समय चाहती हूं। वह गाड़ी में बैठे हुए थे और उनके अन्य 4 साथी जो अपनी जान बचाकर भागे थे लगभग ढाई सौ मीटर तीन सौ मीटर पर वह अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, हत्यारों ने उनको पकड़कर गांव में खेत में मार डाला। किस तरह से मारा यह माननीय मनोज जी ने और शर्मा जी ने इस बात को बता दिया है कि किस निर्ममता से उनको मारा गया है। उनको लाठी, डन्डों तथा गोली मारकर उनका चेहरा कूच दिया गया उसके बाद उनके शवों को गाड़ी में डालकर उसमें आग लगा दी गयी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना''-

मान्यवर, मैं आपसे 2 मिनट चाहती हूं और आपका संरक्षण चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपका पूरा विषय आ गया है।

श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना''-

इस घटना के बाद मैं और मेरे पिता सांसद श्री प्रमोद तिवारी जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलने का समय मांगा, उन्होंने तत्काल मिलने का समय दिया। हम उनसे मिलने गये और पूरी घटना हमने उन्हें विस्तार से बताई और हम लोगों ने तीन मांगे माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने रखी थीं।

श्री अध्यक्ष-

तो उनके उल्लेख की यहां क्या आवश्यकता है ?

श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना''-

उनके उल्लेख की आवश्यकता इसलिये है कि हमने उनसे क्या मांगा था, उसका पता कैसे चलेगा कि वह उन्होंने किया कि नहीं किया। पहली बात हमने कहा था कि आई0जी0 से सम्पूर्ण घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाये। दूसरी बात, सम्पूर्ण घटना की समयबद्व ढंग से जांच कराई जाये

और तीसरा मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सहानुभूतिपूर्वक तीनों बातें मान लीं।

श्री अध्यक्ष-

यह मनोज जी बता चुके हैं। अब आप समाप्त करें।

श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना''-

यह आई0जी0 वाली बात नहीं बताई थी। मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं। मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि यह चारों परिवार मेरे विधान सभा क्षेत्र के थे। उनकी जो विधवायें हैं, उनकी जो मांये हैं, जो बच्चे अनाथ हुये हैं, उनका दर्द मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि जिस तरह की राजनीति इस पर हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, इस पर कोई राजनीति नहीं हो रही है।

श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना''-

इस घटना का जो ट्रायल है वह नहीं हो सका है। उसके लिये इसे लखनऊ में स्थानान्तरित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। माननीय लालजी वर्मा जी आप इस पर क्या कहना चाहते थे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम लोग पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं और उसके बाद भी हमें अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलेगा तो मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री डी0बी0 भोंसले और श्री यशवन्त वर्मा ने कानून व्यवस्था के बारे में चिन्ता व्यक्त करते हुये प्रदेश के प्रमुख सचिव और डी0जी0पी0 से प्रदेश में कानून-व्यवस्था में सुधार लाने की बात कही है । मान्यवर, निश्चित रूप से जब पूरे प्रदेश में इतनी ज्यादा कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गयी हो कि माननीय उच्च न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा हो तो ऐसे में दो मिनट में सारी बात आ जाय, यह कैसे सम्भव है। मान्यवर, जहां तक इस घटना की बात है, आपने कहा कि बात आ गयी। मान्यवर, निश्चित रूप से यह बहुत ही गम्भीर विषय है। प्रदेश सरकार का एक मंत्री टी0वी0 के सामने इस बात को कहता है कि वहां अपराधी मारे गये। यानि निश्चित रूप से विवेचना को प्रभावित किया जा रहा है। हमारा आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि उस मंत्री को बर्खास्त किया जाय, इसलिये कि वह अपराधियों के साथ खड़े हुये हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से अगर प्रदेश का कोई मंत्री अपराधियों के साथ खड़ा होगा तो प्रदेश की कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो जायेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह सही नहीं है। योगी जी की सरकार किसी अपराधी को बचाना नहीं चाहती। यह आरोप पूरी तरह से गलत है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस पूरे मामले पर आपसे चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अब आप बैठें वर्मा जी, अब तो पूरी बात आ गयी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज जो अपराध की स्थिति है। उसको मैं बताना चाहता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह चर्चा नहीं हो रही है यह केवल ग्राह्यता के ऊपर आप सुन रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

क्यों इस पर चर्चा स्वीकार होनी चाहिये इसी के बारे में गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं। मान्यवर, आज जो अपराध की स्थिति है जनवरी में डकैती 16 हुयी और आज अप्रैल में 33 हुयी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह कानून-व्यवस्था पर चर्चा नहीं हो रही है। मान्यवर, यह केवल घटना के बारे में बोलें।

श्री अध्यक्ष-

मूल घटना के बारे में सभी पहलुओं पर चर्चा हो गयी है।

अब आप उत्तर तो आने दीजिए, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था के मामले में मा0 उच्च न्यायालय ने भी चिन्ता जताई है इससे शर्म की बात कोई और हो नहीं सकती है।

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर क्या कह रहे हैं, आप चर्चा की मांग कर रहे हैं ना।

श्री लालजी वर्मा-

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा तो हो गई।

श्री लालजी वर्मा-

चर्चा कहां हो गई, आप चर्चा स्वीकार कर लें तो हमें कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष-

आप संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर आने दीजिए। आप सरकार का पक्ष तो सुनेंगे, आप सरकार का पक्ष सुन लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, निश्चित रूप से यह गम्भीर विषय है। मा0 मंत्री जी जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, यह हमारी मांग है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आप अपनी बात रखें।

(विपक्ष के अनेक मा0 सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं, आप कृपया शान्त रहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 राम गोविन्द चौधरी जी ने, मा0 श्याम सुन्दर शर्मा जी ने, मा0 मनोज पाण्डेय जी ने, मा0 लालजी वर्मा जी ने और हमारी महिला सदस्य श्रीमती मोना मिश्रा जी ने अपनी बात कही।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैंने आपसे आग्रह किया था कि इस विषय पर जितने मा0 सदस्यों ने नियम-56 की सूचना दी, आपने उसको एक्सेप्ट भी किया तो आप उनको एक-एक मिनट सुन लें उसके बाद मा0 मंत्री जी से उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

कोई बोल ही नहीं रहा है और हम इस विषय पर अनेक मा0 सदस्यों को सुन चुके हैं। अभी आप बोले, मा0 वर्मा जी बोले, मा0 मनोज जी बोले।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सब खड़े हैं और बोलना चाह रहे हैं। मान्यवर, हमारा विषय दूसरा था, मा0 मनोज पाण्डेय का मामला दूसरा था, श्याम सुन्दर जी का मामला दूसरा था। नियम-56 की सूचना हर मा0 सदस्य अपने हिसाब से देते हैं। जिन मा0 सदस्यों ने सूचना दी है उनको कृपया एक-एक मिनट सुन लें और सबका एक साथ जवाब मा0 मंत्री जी दे दें।

श्री अध्यक्ष-

सारी सूचनाएं तो सुनी नहीं जा सकती हैं जो सूचनाएं लॉ एण्ड आर्डर से जुड़ी थीं उनको हमने ले लिया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जिन सदस्यों ने लिख करके दिया है उनको तो एक-एक मिनट सुन लीजिए। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला गम्भीर है, बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष-

गम्भीर है लेकिन सभी को तो सुना नहीं जा सकता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, सबको नहीं लेकिन जिन्होंने नोटिस दिया है उनको तो सुन लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह सदन की परम्परा रही है कि अगर किसी नोटिस पर 20 मा0 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिये तो ग्राह्यता पर सभी को नहीं सुना जाता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

एक नोटिस पर 20 लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं सभी ने अलग-अलग नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्ष-

अलग-अलग दिये हैं तो बाकी को मैंने अग्राह्य किया और कुछ को हमने जोड़ दिया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, नियमावली में नियम यह है कि जब नियम-56 की सूचना आपके यहां दी जाती है 10 बजे के पहले तो कुछ नोटिस पर कई लोग दस्तखत करते हैं और कुछ अलग-अलग देते हैं। आप नियम-56 की सूचनाओं को सदन में पढ़ देते हैं कि यह विषय है तो यह आपके अधिकार का क्षेत्र है कि आप किसको ग्राह्य करते हैं और किसको ग्राह्य नहीं करते हैं लेकिन ग्राह्यता पर आप एक-एक, दो-दो मिनट जैसी आपकी आज्ञा हो सुनते हैं। तो सभी मा0 सदस्यों की बात तो आ ही गई जिन्होंने लिख करके दिया है, लिख करके ललई यादव जी ने दिया है और भी मा0 सदस्यों ने दिया है तो

एक-एक मिनट आप सबकी बात सुन लें और उसके बाद मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दे दें इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष-

हमने कितने लोगों को सुना है आप देख लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जिन्होंने अलग-अलग नोटिस दिया है उनको एक-एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

हमने बाकी को न सुनने का निर्णय लिया है। आपके कहने का मतलब यह हुआ कि अगर 300 मा0 सदस्य नियम-56 का नोटिस दे दें तो 300 लोगों को सुनें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आपने किसी को खारिज तो किया नहीं, आपने सबको एक्सेप्ट कर लिया। आपने जब कृपापूर्वक सबको स्वीकार कर लिया तो सबको सुन लें। आपने किसी की सूचना को कैंसिल नहीं किया है, आपने कृपापूर्वक सबकी सूचनाओं को स्वीकार कर लिया और भाषण शुरू करा दिया तो जिन मा0 सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग नोटिस दी है। उनकी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

व्यक्तिगत सबको सुनना व्यवहारिक नहीं है। आपकी बात सही है, लेकिन सबको सुनना व्यवहारिक नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राम गोविन्द चौधरी जी, श्री श्याम सुन्दर शर्मा जी, मा0 मनोज पाण्डेय जी, मा0 वर्मा जी, मा0 लल्लू सिंह जी व मा0 आराधना मिश्रा ''मोना'' जी ने एक विषय को उठाया।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

मान्यवर, मेरा अलग विषय है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मेरा विषय अलग था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैंने पहले ही कहा कि आपका विषय तो अलग था। माननीय अध्यक्ष जी, मा0 राम गोविन्द चौधरी जो नेता विरोधी दल हैं, उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया उस सम्बन्ध में हम आपको जानकारी दे दें कि यह क्राइम नं0-128/17 धारा-394, 323 में अज्ञात में एक रिपोर्ट लिखी गयी है और इसकी विवेचना संजय कुमार शुक्ला, एस0आई0 कर रहे हैं। इसमें जिसको इन्जर्ड बताया गया था उनको चिकित्साधिकारी द्वारा अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है प्राथमिक उपचार के बाद। अब वह पूर्णतया स्वस्थ हैं उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। मान्यवर, इसमें घटना का शीघ्र अनावरण कर लिया जायेगा हमारे पास यह रिपोर्ट आयी है। हम यह विश्वास दिलाते हैं कि योगी जी की सरकार किसी भी अपराधी को, किसी भी अपराध करने वाले को, अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बचाना नहीं चाहती, किसी स्तर पर और उसको जो सख्त से सख्त सजा सम्भव है उसको दिलाने की पैरोकारी हम करेंगे।

मान्यवर, दूसरी घटना जनपद रायबरेली, थाना-ऊंचाहार की बतायी गयी। यह बहुत दुःखद घटना है, इसमें कोई शक नहीं है। यह घटना जितनी गम्भीर है उतनी ही गम्भीरता से सरकार ने उसको लिया है। हम आपकी जानकारी में ला दें कि घटना के बाद इसमें मुकदमा अपराध संख्या-285/17 धारा-302, 307, 147, 148, 149, 504, 427 और 120बी भारतीय दण्ड संहिता की धारा के अन्तर्गत तथा 7 क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेंट के तहत ये मुकदमा कायम हुआ, विजय कुमार उर्फ राजा यादव, कृष्ण कुमार, प्रदीप कुमार, शिव कुमार व 3-4 अन्य नाम पता अज्ञात पंजीकृत है। इसमें अभी तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बृजेश शुक्ला से लूटी गयी दुनाली बन्दूक थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। मान्यवर, जो परिवार पीड़ित थे उनके साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरी संवेदना दिखायी और 5-5 लाख रुपये का उनको अनुदान भी दिया गया। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक, गौरव सिंह को वहां से हटा दिया गया है। इसके साथ जो थाना इंचार्ज थे सुरखाब खां उनको भी वहां से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया गया और कई लोगों को इसमें निलम्बित भी किया गया है। मान्यवर, यह घटना अपने-आप में जैसा कि मैंने पहले कहा बहुत दुःखद घटना है लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि सरकार किसके साथ खड़ी है ? सरकार पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है या अपराधियों के साथ खड़ी है जिन्होंने अपराध किया है। मान्यवर, हम पूरी तरीके से यह विश्वास करते हैं कि कोई भी निर्दोष आदमी को परेशान न किया जाय, उसको छेड़ा न जाय और किसी भी दोषी को बख्शा न जाय मान्यवर। इसमें जिन लोगों के नाम अज्ञात में थे मान्यवर, उनको भी पूरी तरीके से विवेचना में शामिल करके जिन लोगों का नाम आया है उनके खिलाफ जरा भी प्रथमदृष्टया इवीडेंस थी, उन लोगों को गिरफ्तार करके मान्यवर, जेल भेज दिया गया है और इसमें अभी भी विवेचना चल रही है। जिन लोगों को साजिश के तहत या किसी भी तरीके से इस घटना में इनवॉल्वमेंट होगा उसको यह सरकार पूरी तरीके से सजा दिलाने का काम करेगी और उनको सख्त से सख्त सजा मिले यह सरकार का पूरा-पूरा प्रयास होगा। जहां तक मान्यवर, हमारे दूसरे कई सदस्यों ने इस बात को कहा है कि अपराध बढ़ रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं मान्यवर, कि आज जिन लोगों ने यह कहा कि अपराध बढ़ रहे हैं उनकी जानकारी में हम ले आयें कि तीन महीने-चार महीने की यह सरकार है। 19 मार्च को हमने शपथ ली थी और आज लगभग साढ़े तीन महीने इस सरकार को हो गये। तीन महीने 20 दिन, और इस अवधि में मान्यवर, कई विषयों पर चाहे वह हत्या हो, चाहे वह रोड होल्डअप हो, चाहे फिरौती के लिये अपहरण हो मान्यवर, और चाहे दहेज मृत्यु हो, चाहे महिला उत्पीड़न के मामले हों। हम रिकार्ड और आंकड़ों के साथ कह सकते हैं मान्यवर, कि इसमें गिरावट आई है। (शोर) जितनी बात मैं कह रहा हूं मैं दावे के साथ कह रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

आंकड़े मेरे पास भी हैं। 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अब आप अपना आंकड़ा मिला लीजियेगा। मैं आंकड़ा दे रहा हूं। मेरे भी आंकड़े सुन लीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो साजिश में शामिल होगा। मंत्री जी खुले आम साजिश में शामिल हैं, मंत्री भी बने हुए हैं। तो संयुक्त जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष-

उनकी बात आ जाने दीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

कम से कम मंत्री को बर्खास्त कीजिये। टी0वी0 चैनल पर खुले आम आ रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप निजी रूप से माननीय मंत्री जी से नाराज हो सकते हैं लेकिन कोई भी मंत्री किसी भी दोषी को बचायेगा नहीं। कोई मंत्री किसी दोषी के साथ नहीं खड़ा होगा।

श्री लालजी वर्मा-

वह साजिश में शामिल हैं। टी0वी0 चैनल पर आ रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप पता नहीं टी0वी0 चैनल पर क्या-क्या देखते रहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है और साजिश करने वालों को बचाने का काम कर रही है। निश्चित रूप से अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो मैंने कहा है कि चाहे हत्या हो, चाहे दहेज मृत्यु हो, चाहे महिला उत्पीड़न के मामले हों और चाहे फिरौती के लिये हो, चाहे रोड होल्डअप हो, सबमें मान्यवर, गिरावट आई है और मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। जिन-जिन विषयों पर मैंने कहा है मैं उन पर आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मेरे पास भी वही आंकड़े हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आंकड़े जरूर दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोगों ने कहा है। यह सरकार पूरी तरह से किसी एक मामले में नहीं, किसी को भी किसी अपराधी को बचाने में योगी सरकार विश्वास नहीं रखती।

श्री लालजी वर्मा-

संरक्षण देने वाले को आप सीधे-सीधे बचा रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। यह बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री की पूरी बात आ जाने दीजिये। बीच में इन्टरेप्शन ठीक नहीं। वर्मा जी आप बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जब से यह सरकार आई है..(शोर)

श्री अध्यक्ष-

बात आने दीजिए बीच में न बोलें। जब आप लोग बोल रहे थे तो उधर से किसी ने टीका-टिप्पणी नहीं की।

श्री लालजी वर्मा-

मेरी बात नहीं सुनी जा रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, 4.43 प्रतिशत हत्या में गिरावट है। रोड होल्डअप में 100 परसेन्ट की गिरावट है। दहेज मृत्यु में....(शोर) जो बात कह रहे हैं उसे काटो। शोर मचाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। दहेज मृत्यु में 6.68 प्रतिशत की गिरावट है। पिछले 1-1-2017 से 15-6-2017 तक जो स्थिति है। पहले हम 2017 का आंकड़ा पढ़े देते हैं उसके बाद 2016 का आंकड़ा पढ़े देते हैं। जो ज्यादा बोल रहे हैं इनके जमाने का भी पढ़ देते हैं, माहौल खराब करने का अगर सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है तो वह समाजवादी पार्टी को जाता है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

समाजवादी पार्टी के अनेकानेक सदस्य सदन के वेल में आ गए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल खड़े हैं आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

(चर्चा कराइए की आवाजें)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल खड़े हैं उनको सुन लीजिए।

(सदन के फ्लोर से समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लगा रहे थे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल खड़े हैं।

(सदन के फ्लोर से सदस्य-पहले यह अपने शब्द वापस लें हम भी चुनकर आए हैं यह खेद प्रकट करें।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल को अपनी बात कहने दीजिए।

(सदन के फ्लोर से सदस्य वापस अपने स्थान पर चले गए)

(शोर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए मैंने शुरू में ही आपसे प्रार्थना की थी कि यह जो रायबरेली का मामला उठा है यह बहुत गम्भीर है और निश्चित रूप से इस समाज के प्रबुद्ध लोगों की मृत्यु हुई है। यह ऐसी घटना है, इसलिए मैं कह रहा था, सबकी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सुन लें उसके बाद उत्तर दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी गरम हो जाते हैं और जब गरम हो जाते हैं तो क्या कहना है नहीं कहना है भूल जाते हैं। जैसे ही गरम हो जाते हैं गरम होने का कारण है वह नहीं

कहूंगा। मान्यवर, माननीय सदस्य उद्वेलित हैं उस घटना की वजह से और दो बातें आ गईं, सरकार के एक मंत्री ने एक बयान दिया। सरकार के दूसरे मंत्री ने दूसरा बयान दिया घटना के तत्काल बाद पुलिस अधीक्षक ने दूसरा बयान दिया। पुलिस के डी0आई0जी0 या उसके ऊपर के अधिकारी ने दूसरा बयान दिया। कुछ लोग दूसरी बात उठाना चाहते हैं कुछ लोग दूसरी बात कह रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है। यह घटना बहुत ही जघन्य है। कोई भी मरता है चाहे वह किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो वह इस धरती मां का बेटा है। चाहे पुलिस की गोली से मरे चाहे फौज की गोली से मरे चाहे वह पब्लिक की गोली से मरे वह जाति नहीं होता वह भारत मां का एक सपूत है और भारत माता का एक भी सपूत इस तरह से मारा जाए यह हमारे आपके लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन बात आ गई मंत्री पर बात आ गई लोगों पर पुलिस पर पुलिस वाले हटा भी दिए गए पुलिस का बयान दो तरह का दो मंत्रियों का बयान दो तरह का इसमें मेरा आपसे आग्रह होगा संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आग्रह होगा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषी चाहे जो हो चाहे रामगोबिन्द चौधरी ही क्यों न हों छोड़ा न जाए निर्दोष कोई फंसे नहीं पुलिस भी विवादित मंत्रि-मण्डल भी विवादित इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप इसमें अगुवाई करिए इसकी निष्पक्षता के लिए कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है मैं इसमें नहीं जाना चाहता माननीय सदस्यों की बात आ गई है इसकी जांच सी0बी0आई0 से आपकी केन्द्र में सरकार है सी0बी0आई0 सक्षम न हो तो सी0बी0सी0आई0डी0 से सी0बी0सी0आई0डी0 सक्षम न हो तो माननीय सदन के सभी दलों की समिति बनाकर आप इसकी निष्पक्ष जांच कराइए और जो दोषी हो तत्काल उसके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई और जो निर्दोष हो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं तीन विकल्प रख रहा हूं या तो सी0बी0आई0 जांच इस पर नहीं सक्षम हैं तो सी0बी0सी0आई0डी0 जांच जो आपके अण्डर में है उसमें भी नहीं है तो सदन के तमाम सदस्यों की एक समिति बनाकर इसकी जांच कराई जाए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें मंत्री को बर्खास्त करो, उनको हटाओ उनको रखो यह दोषी हैं वह दोषी हैं पता चल जाएगा यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आपका क्या कहना है। आप पूरी बात कह चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अब यह माहौल खराब करेंगे। इन्हें जनता ने तो नकार दिया है अब यह सोचते हैं कि अखबारों में कैसे बने रहें यह केवल मीडिया में बने रहने के लिए खड़े हो जाते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह बहुत ही गम्भीर विषय इसलिए हो जाता है कि सरकार के एक मंत्री द्वारा अपराधियों को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। जब तक मंत्री इस्तीफा नही देंगे इसकी निष्पक्ष जांच कैसे होगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सारी सूचनाएं समेकित कर दी थीं और इन सूचनाओं को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय वर्मा जी को जो ऊपर से हुकुम मिला उसका पालन किया।

श्री अध्यक्ष-

आप वर्मा जी और राम गोविन्द जी आपस में दोस्त हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि इस प्रकरण में पूरी निष्पक्षता के साथ पूरी सदाशयता के साथ अच्छे मन से कार्रवाई होगी। सरकार इसमें किसी भी दोषी को सजा दिलाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं करेगी किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा यह हम आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं। अभी तक जो कार्रवाई हुई है वह इस बात का द्योतक है कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है उनको सजा दिलाना चाहती है इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सारी सूचनाएं अग्राह्य कर दी हैं।

श्री लालजी वर्मा-

इस मामले में सरकार दोषियों को बचाने का काम कर रही है। सरकार के इस रवैये के खिलाफ मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री लालजी वर्मा अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गए)

श्री अध्यक्ष-

मैं श्री संजय प्रताप जायसवाल की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। श्री धर्मराज सिंह की सूचना पर, मा0 नितिन अग्रवाल जी की सूचना पर और मा0 राजभर जी की सूचना पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। नियम-56 की शेष सूचनाएं अग्राह्य करता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, इसकी निष्पक्षता की जो बात आई है। इसकी निष्पक्षता तो तभी होगी जब या तो इसकी सी0बी0आई0 या सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच हो या सदन की कोई कमेटी इसकी जांच करे तब निष्पक्षता होगी। इस पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने तो कुछ कहा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

सदन की कमेटी आपराधिक घटनाओं की विवेचना नहीं करती है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, कमेटी जांच करती है। कमेटी घटना का पता लगाती है। घटना का पता इसलिये लगायेगी, क्योंकि इसमें पुलिस का भी विवादास्पद बयान आया है। पुलिस के भी दो बयान आ गये। पुलिस का एक बयान आया कि वह आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे और एक खम्भे में लड़कर गाड़ी में आग लग गयी और मर गये। पुलिस का दूसरा बयान आया कि उनका मर्डर किया गया। अभी पंडित जी ने कहा कि उसका हाथ भी काट दिया गया। यह तभी सम्भव है जब इसकी सी0बी0आई0 या सी0बी0सी0आई0डी0 जांच हो या सदन की कमेटी इसकी जांच करे। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी किसी एक पर भी तो तैयार हों। यह सुझाव नहीं है बल्कि यह इस कांड की निष्पक्ष जांच के लिये जरूरी है। यह मामला कई तरह से उलझा है। पुलिस अधीक्षक का दूसरा बयान, पुलिस महानिरीक्षक का दूसरा बयान, एक मा0 मंत्री का दूसरा बयान, इसी सदन के दूसरे मा0 कैबिनेट मंत्री का दूसरा बयान, मा0

सदस्यों का दूसरा बयान, इसलिये यह मामला तो उलझ गया इसको कौन सही करेगा। सही तभी होगा जब इसकी सी0बी0आई0 या सी0बी0सी0आई0डी0 जांच हो या सदन की कमेटी इसकी जांच करे। मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, केन्द्र में भी आपकी सरकार है, सी0बी0सी0आई0डी0 के स्वयं आप मालिक हैं। मा0 अध्यक्ष जी इस सदन के मालिक हैं। इनमें से किसी एक जांच से कम पर समझौता नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

विविधता का अपना मजा है। आपका बयान अलग, मा0 मनोज जी का अलग, मा0 अजय जी का अलग, मा0 आराधना जी का अलग, मा0 यादव जी का अलग, यह दल भी तो अलग-अलग हैं और अलग-अलग मिल करके सब एक बनते हैं। मैंने इस सूचना पर जिनको बुलवाया उनकी सूचनाएं अग्राह्य कर दी हैं। बाकी सूचनाओं का हमने अभी नाम पढ़ दिया है उनको हमने ध्यानाकर्षण के लिये कह दिया है।

(श्री सुखदेव राजभर के अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 राजभर जी, आपकी सूचना पर मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य ''सी0बी0आई0 की जांच होनी चाहिये'' के नारे लगाते हुये सदन के वेल में आ गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-51 की सूचनायें लेते हैं।

आज दिनांक 11-07-2017 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री दलवीर सिंह जी की है जो जिला पंचायत अलीगढ़ में शासनादेशों के विरुद्ध कराये गये विकास कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री संजय गर्ग की है जो जनपद सहारनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 रूड़की-पंचकुला पर बाई पास के निर्माण के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री ओमकार सिंह यादव की है जो जनपद बदायूं की तहसील सहसवान में गंगा नदी की कटान को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था किये जाने से सम्बन्धित है, यह सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री मनीष असीजा की है जो जनपद फिरोजाबाद के जिला महिला चिकित्सालय के भवन निर्माण होने के उपरान्त चालू कराये जाने हेतु स्टाफ की तैनाती किये जाने से संबंधित है, यह सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की है जो जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत कतिपय निर्माणाधीन मार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की है जो जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में महिला वेलफेयर काउन्सलर की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की है जो जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के ब्लाक ठेकमा ग्राम हदिशा में कतिपय सड़क/पुलिया के निर्माण कार्य को कराये जाने के सम्बन्ध में है जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत

हुई। आठवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की है जो जनपद बस्ती के गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की है जो जनपद प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज में एन0आर0एच0एम0 के तहत स्वीकृत 50 बेड के मैटरनिटी बेड के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की है जो जनपद अम्बेडकरनगर में महामाया राजकीय मेडिकल कालेज में एम0डी0/एम0एस0 की कक्षायें संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। जो तीन सूचनायें अस्वीकार की गई हैं वह श्री अजय कुमार लल्लू, श्री अगयश राम सरन वर्मा तथा श्री रोशनलाल वर्मा की हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 11 जुलाई, 2017

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।